विशेषांक

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास को समर्पित

वर्ष 67 अंक : 1 पृष्ठ : 72 नवंबर 2020 मूल्य : ₹ 30

उद्यमिता और स्टार्टअप्स

आत्मनिर्भर भारत अभियान में कपड़ा उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है : प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने में कपड़ा उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। प्रधानमंत्री ने वस्त्र परम्पराओं पर आईसीसीआर द्वारा 3 अक्टूबर, 2020 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार कौशल उन्नयन, वित्तीय मदद और उन्नत तकनीकी के एकीकरण पर प्रमुखता से ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि विश्व–स्तरीय वस्त्र के निरंतर उत्पादन में हम अपने बुनकरों की मदद करेंगे। इसके लिए हमें अपनी और विश्व की सर्वोत्तम परम्पराओं को अपनाना होगा। इस वेबिनार के माध्यम से सबसे बेहतर प्रक्रियाओं और विचारों के आदान–प्रदान से नए अवसर पैदा होंगे।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने "रिश्तों की बुनाई : वस्त्र परम्पराएं" विषय पर आयोजित इस सम्मेलन के माध्यम से दुनिया के विभिन्न भागों के लोगों को एक मंच पर लाने के प्रयास हेतु भारतीय संस्कृति संबंध परिषद और उत्तर प्रदेश डिजाइन संस्थान के प्रयासों के लिए उनकी सराहना की। उन्होंने कहा कि वस्त्र क्षेत्र में हमारे इतिहास और विविधता की झलक और व्यापक अवसर उपलब्ध कराने की इसकी क्षमता कोई भी देख सकता है। प्रधानमंत्री ने भारत के उज्जवल वस्त्र परंपरा इतिहास के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक रूप से रंगे कपास और सिल्क का शानदार भारतीय इतिहास है। हमारे कपड़ों की विविधता में हमारी सांस्कृतिक समृद्धि की झलक मिलती है। श्री मोदी ने कहा कि हमारे देश के प्रत्येक राज्य के प्रत्येक गांव में हर एक समुदाय के पहनावे की कुछ अलग ही विशेषता दिखाई देती है। उन्होंने भारत के जनजातीय समुदाय की समृद्ध वस्त्र परम्पराओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत की सभी वस्त्र परम्पराओं में दृष्टि है, विचार है, और रंग हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि वस्त्र क्षेत्र हमेशा से अनेक अवसरों को सृजित करता रहा है। घरेलू–स्तर पर भारत में कपड़ा उद्योग उन क्षेत्रों में से है जो सबसे ज़्यादा रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराते हैं। वहीं वैश्विक–स्तर पर कपड़ा हमें व्यापार के माध्यम से सांस्कृतिक संबंध बनाने का अवसर देता है। उन्होंने कहा कि भारतीय वस्त्र, विश्व में सम्मानजनक स्थान पर रहते हैं और यह अन्य संस्कृतियों और परम्पराओं से समृद्ध वस्त्र उत्पादन में सक्षम हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। महात्मा गांधी ने कपड़े और सामाजिक सशक्तीकरण के पारस्परिक महत्व को समझा और इसीलिए उन्होंने अपने चरखे को स्वाधीनता आंदोलन का प्रतीक बनाया। चरखा हमें एक राष्ट्र के रूप में बुनता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में वस्त्र क्षेत्र में सबसे अधिक रोज़गार महिलाओं को मिलता है। इसलिए समृद्ध वस्त्र उद्योग महिलाओं के सशक्तीकरण के प्रयासों को संबल देगा। उन्होंने कहा कि चुनौतीपूर्ण समय में हमें भविष्य के लिए बेहतर तैयारी करनी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी वस्त्र परम्पराओं ने विविधता और स्वीकार्यता, आत्मनिर्भरता, कौशल व नवाचार जैसे सशक्त विचारों और सिद्धांतों का प्रदर्शन किया है। यह सिद्धांत आज के समय में और अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं। उन्होंने आशा जताई कि यह वर्चुअल सम्मेलन (वेबिनार) इन विचारों के सशक्तीकरण के साथ वस्त्र उद्योग को एक नए मुकाम पर ले जाने में अपना योगदान दे सकता है।

(स्रोत : पीआईबी)

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख मासिक पत्रिका

इस अंक में

वर्ष : 67 ★ मासिक अंक : 1 ★ पृष्ठ : 72 ★ कार्तिक–अग्रहायण 1942 ★ नवंबर 2020

प्रधान संपादक: धीरज सिंह

वरिष्ठ संपादक : ललिता खुराना

संयुक्त निदेशक (उत्पादन) : के. रामालिंगम

आवरण : राजिन्द्र कुमार

सज्जा : मनोज कुमार

संपादकीय कार्यालय
कमरा नं. 655, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110 0 03
वेबसाइट : publicationsdivision.nic.in
ई-मेल : kuru.hindi@gmail.com

व्यापार प्रबंधक
दूरभाष : 011-24367453

कुरुक्षेत्र मंगवाने की दरें
एक प्रति: ₹ 22, विशेषांक : ₹ 30, वार्षिक : ₹ 230, द्विवार्षिक : ₹ 430, त्रिवार्षिक : ₹ 610

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो। पाठकों से आग्रह है कि कैरियर मार्गदर्शक किताबों/संस्थानों के बारे में विज्ञापनों में किए गए दावों की जांच कर लें। पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषय-वस्तु के लिए 'कुरुक्षेत्र' उत्तरदायी नहीं है।

पत्रिका न मिलने की शिकायत हेतु इस पते पर मेल करें ई-मेल : pdjucir@gmail.com कुरुक्षेत्र की सदस्यता लेने या पुराने अंक मंगाने के लिए भी इसी ई-मेल पर लिखें या संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए दूरभाष: 011-24367453 पर संपर्क करें।

संपादक (प्रसार एवं विज्ञापन)
प्रसार एवं विज्ञापन अनुभाग
प्रकाशन विभाग,
कमरा सं. 56, भूतल, सूचना भवन,
सीजीओ परिसर, लोधी रोड,
नयी दिल्ली-110003

उद्यमिता से आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर राष्ट्र 5
–नरेन्द्र सिंह तोमर

सतत विकास के लिए नवाचार और उद्यमिता 10
–आर. रमणन, नमन अग्रवाल, हिमांशु अग्रवाल

कृषि स्टार्टअप्स से नवाचार को बढ़ावा 15
–डॉ. जगदीप सक्सेना

आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करते कृषि स्टार्टअप 20
–ऐश्वर्या चौहान और नवजीत कुमार

कृषि में उद्यमशीलता विकास : नई पहल एवं संभावनाएं 25
–डॉ. प्रतिभा जोशी एवं डॉ. गिरिजेश सिंह महरा

सशक्त ग्रामीण महिला उद्यमियों से नए भारत का सृजन 33
–पंखुड़ी दत्त

विज्ञान-प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और स्टार्टअप 38
–निमिष कपूर

खेती-किसानी में उद्यमिता की अपार संभावनाएं 43
–भुवन भास्कर

उद्यमिता और कौशल विकास में सीएसआर की उपयोगिता 48
–शिशिर सिन्हा

ग्रामीण भारत में पंख पसारता स्टार्टअप तंत्र 52
–इरतीफ लोन

उद्यमिता और स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय सहायता 56
–सतीश सिंह

ग्रामीण उद्यमियों के विकास में सॉफ्ट स्किल की भूमिका 61
–शैलेंद्र शर्मा

युवाओं में उद्यमिता और कौशल विकास 65
–बनश्री पुरकायस्थ

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

नयी दिल्ली	पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड	110003	011–24367260
दिल्ली	हाल सं. 196, पुराना सचिवालय	110054	011–23890205
नवी मुंबई	701, सी-विंग, सातवीं मंज़िल, केंद्रीय सदन, बेलापुर	400614	022–27570686
कोलकाता	8, एसप्लानेड ईस्ट	700069	033–22488030
चेन्नई	'ए विंग, राजाजी भवन, बसंत नगर	600090	044–24917673
तिरुअनंतपुरम	प्रेस रोड, नयी गवर्नमेंट प्रेस के निकट	695001	0471–2330650
हैदराबाद	कमरा सं. 204, दूसरा तल, सीजीओ टावर, कवादिगुड़ा सिकंदराबाद	500080	040–27535383
बैंगलुरु	फर्स्ट फ्लोर, 'एफ विंग, केंद्रीय सदर, कोरामंगला	560034	080–25537244
पटना	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	0612–2683407
लखनऊ	हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, क्षेत्र-ए, अलीगंज	226024	0522–2325455
अहमदाबाद	4–सी, नैप्च्युन टॉवर, चौथी मंज़िल, एचपी पेट्रोल पंप के निकट, नेहरू ब्रिज कार्नर, आश्रम रोड, अहमदाबाद	380009	079–26588669

संपादकीय

16 जनवरी, 2016 को जब प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम शुरू किया था तब उन्होंने कहा था– "स्टार्टअप की सफलता सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटी से नहीं है। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, एडवेंचर करने का इरादा यह सब इसके साथ जुड़ता है और तब जाकर हम दुनिया को कुछ दे सकते हैं।" उन्होंने यह भी कहा कि "हमारे देश को नौकरी करने वालों की बजाए नौकरी पैदा करने वालों का राष्ट्र बनने में समाधान निहित है।"

आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए गांव, जिला, राज्य और केंद्रीय स्तरों पर उद्योग जगत, शिक्षाविदों और सरकारों के बीच एक व्यापक सहयोग की आवश्यकता है। इस तरह के तालमेल से कोविड–19 संकट से निपटने में भी हमें काफी कामयाबी मिली है; आगे भी अगर इसी तालमेल से हम काम करते रहें तो 2024 तक भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।

भारत में स्टार्टअप की विधिवत शुरुआत सन् 2008 में मानी जाती है जब वैश्विक आर्थिक मंदी के दौर में आईटी आधारित स्टार्टअप्स बेहतरी की एक नई संभावना के रूप में सामने आए थे। परंतु देश में स्टार्टअप्स में तेज़ी 16 जनवरी, 2016 के बाद आई जब भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया अभियान की शुरुआत की। आज हमारे देश में विश्व का तीसरा सबसे विशाल स्टार्टअप नेटवर्क मौजूद है। इनकी संख्या में वार्षिक वृद्धि दर 12 से 15 प्रतिशत आंकी गई है। मुख्य रूप से युवाओं द्वारा स्टार्टअप को बड़े पैमाने पर अपनाया जा रहा है जिसमें लगभग 12 से 14 प्रतिशत महिलाएं शामिल हैं। देश के अधिकतर राज्यों ने स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष नीतियां भी बनाई हैं। भारत सरकार द्वारा कृषि स्टार्टअप्स को तकनीकी और वित्तीय प्रोत्साहन देने के लिए कुछ प्रभावशाली योजनाएं लागू की गई हैं। कृषि स्टार्टअप के माध्यम से रोज़गार और किसानों की आमदनी में वृद्धि की संभावनाएं बेहतर हुई हैं।

उल्लेखनीय है कि दुनिया में हर नौवां कृषि तकनीकी स्टार्टअप भारत से है। पिछले एक दशक में बड़ी तादाद में शिक्षित युवा इस क्षेत्र से जुड़े हैं। इन युवाओं के पास नई तकनीक एवं कारोबारी मॉडल शुरू करने का जुनून तथा नवाचारी विचार हैं। स्टार्टअप कृषि मूल्य श्रृंखला की छूटी हुई कड़ियां जोड़ रहे हैं तथा किसानों को कारगर उत्पाद तकनीक एवं सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। स्टार्टअप को मान्यता प्रदान करने के साथ ही स्टार्टअप इंडिया ने कृषि स्टार्टअप की मदद के लिए एग्रीकल्चर ग्रैंड चैलेंज और नेशनल स्टार्टअप अवॉर्ड जैसे कई कार्यक्रम और चुनौतियां भी शुरू की हैं।

खाद्य प्रसंस्करण के मामले में भारत शीर्ष देशों में शामिल है। प्रसंस्करण उद्योग में नए अवसर सृजित हो रहे हैं। वर्ष 2024 तक इस क्षेत्र में 90 लाख लोगों को रोज़गार मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' में सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को औपचारिक रूप देने के लिए 10 हज़ार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस राशि से 2 लाख सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को मदद पहुंचाई जा रही है।

हाल ही में केंद्र सरकार ने कृषि सुधार से जुड़े तीन कानून संसद में पारित किए हैं। किसानों को इन कृषि सुधारों से जहां बहुत–सी सुविधाएं एवं अपनी उपज कहीं भी किसी को भी बेहतर दाम पर बेचने की स्वतंत्रता मिली है वहीं इसके माध्यम से कृषि क्षेत्र में नए स्टार्टअप्स और उद्यम हेतु भी दरवाजे खुले हैं। लॉकडाउन के दौरान कृषि उद्यमिता के क्षेत्र में कई नए प्रयोग हमारे देश में हुए जिनमें से कुछ का ज़िक्र प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 25 अक्टूबर, 2020 को प्रसारित अपने 'मन की बात' कार्यक्रम में किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि किस तरह से झारखंड की स्वयंसहायता समूह की महिलाओं ने आजीविका फॉर्म फ्रेश नाम से एक ऐप बनाकर लोगों के घरों में फलों और सब्जियों की डिलीवरी की जिससे न केवल किसानों को अपनी सब्जियों के अच्छे दाम मिले बल्कि लोगों को भी फ्रेश फल और सब्जियां मिलते रहे। यहां आजीविका फॉर्म फ्रेश ऐप का आईडिया बहुत लोकप्रिय हो रहा है। भारत सरकार ने हाल ही में जो नए कृषि कानून बनाए हैं, उनके संदर्भ में भी प्रधानमंत्री ने एक उदाहरण देकर बताया कि महाराष्ट्र की एक फॉर्म प्रोड्यूसर कंपनी ने मक्के की खेती करने वाले किसानों से मक्का खरीद के दौरान इस बार मूल्य के अतिरिक्त बोनस भी दिया जिससे किसानों को सुखद आश्चर्य हुआ।

वर्तमान में हमारा देश जनांकिकीय लाभांश की स्थिति में है। हमारे देश में आश्रित जनसंख्या के मुकाबले 15 से 59 साल की कार्यशील जनसंख्या अधिक है। ऐसे में आज यह बेहद ज़रूरी है कि हम स्कूलों, विश्वविद्यालयों और उद्योगों के स्तर पर नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए व्यावसायिक, तकनीकी और प्रबंधकीय कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करें और राष्ट्र निर्माण गतिविधियों के प्रति इस युवा ऊर्जा को सार्थक दिशा प्रदान करें।

प्रधानमंत्री के 13 जनवरी, 2020 को विश्व युवा दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में कहा था "आज देश के युवाओं के सामर्थ्य से नए भारत का निर्माण हो रहा है। एक ऐसा नया भारत जिसमें इज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस भी हो और इज़ ऑफ लिविंग भी हो। एक ऐसा नया भारत जिसमें लाल बत्ती कल्चर नहीं, जिसमें हर इंसान बराबर है, हर इंसाान महत्वपूर्ण है। एक ऐसा नया भारत जिसमें अवसर भी हैं और उड़ने के लिए पूरा आसमान भी।"

संक्षेप में, युवा शक्ति को सही मायने में राष्ट्र शक्ति बनाने का एक व्यापक प्रयास आज देश में देखने को मिल रहा है। कौशल विकास से लेकर मुद्रा लोन तक हर तरह से युवाओं की मदद की जा रही है। स्टार्टअप इंडिया हो, स्टैंडअप इंडिया हो, फिट इंडिया अभियान हो या खेलो इंडिया, यह सभी अभियान युवाओं पर ही केंद्रित हैं। सरकार युवा नेतृत्व पर भी ज़ोर दे रही है; हाल ही में डीआरडीओ में डिफेंस रिसर्च से जुड़ी 5 वैज्ञानिक लैब में रिसर्च से लेकर मैनेजमेंट तक का पूरा नेतृत्व 35 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों को दिया गया है। यही है ''नया भारत, आत्मनिर्भर भारत...''! आइए, हम सब भारतवासी नए आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। आज जब अवसर भी हैं और खुला आसमान भी... तो क्यों न अपने सपनों को उड़ान दें और लगन से उन्हें पूरा करने में जुट जाएं।

उद्यमिता से आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर राष्ट्र

–नरेन्द्र सिंह तोमर

आज राष्ट्र तेज़ी से आत्मनिर्भरता के जिस लक्ष्य की ओर अग्रसर है, उसमें स्टार्टअप, उद्यमिता और कौशल विकास की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कृषि, बागवानी एवं पशुपालन के क्षेत्र में उद्यमिता एवं स्टार्टअप्स की असीम संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हाल ही में सरकार ने कृषि सुधार से जुड़े तीन कानून संसद में पारित किए हैं। किसानों को इन कृषि सुधारों से जहां बहुत–सी सुविधाएं एवं अपनी उपज कहीं भी, किसी को भी बेहतर दाम पर बेचने की स्वतंत्रता मिली है, वहीं इसके माध्यम से कृषि क्षेत्र में नए स्टार्टअप्स और उद्यम के भी दरवाजे खुले हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को 'कौशल से कल्याण' का मंत्र दिया है। विश्व की सबसे ज़्यादा युवा आबादी, श्रमशक्ति एवं प्रचुर संसाधनों के साथ किए जा रहे सकारात्मक प्रयासों के बल पर हम यह कह सकते हैं कि भारत दुनिया की कौशल राजधानी (स्किल कैपिटल) बनने की ओर अग्रसर है।

आज़ादी के सात दशक गुजर जाने के बाद भी उद्यमिता और कौशल विकास को लेकर राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुरूप एक ज़मीनी और प्रायोगिक रणनीति की कमी महसूस की जा रही थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्तमान सरकार ने 2015 में राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमिता नीति के ज़रिए इस दिशा में बड़े बदलावों की आधारशिला रखी और आज राष्ट्र तेज़ी से आत्मनिर्भरता के जिस लक्ष्य की ओर अग्रसर है, उसमें स्टार्टअप, उद्यमिता और कौशल विकास की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

वस्तुतः प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत का शंखनाद तो कोरोना संक्रमण के संकटकाल में किया है, लेकिन इसकी नींव सवा 6 वर्ष पूर्व से ही रखनी शुरू हो गई थी जोकि वर्तमान सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और अभियानों के माध्यम से समय–समय पर दिखाई देती रही है।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, पंचायती राज, ग्रामीण विकास और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री

इस संदर्भ में यह उत्साहजनक है कि भारत में विशाल युवाशक्ति और कार्यबल बढ़ा है, जो दर्शाता है कि डेमोग्राफिक डिवीडेंड यानी जनांकिकीय लाभांश भारत के पक्ष में है। वर्तमान में, हमारे देश में आश्रित जनसंख्या के मुकाबले 15 से 59 साल की कार्यशील जनसंख्या अधिक है। कार्यशील आबादी के औसत में लगातार वृद्धि हो रही है। आर्थिक सर्वेक्षण 2018–19 में भी कहा गया है कि भारत का जनांकिकीय लाभांश वर्ष 2041 के आसपास अपने चरम पर होगा, जब 20 से 59 आयु वर्ग की कार्यशील आबादी 59 प्रतिशत तक पहुंचने की उम्मीद है। यदि डेमोग्राफिक डिविडेंड किसी देश के पक्ष में है, तो निःसंदेह देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलती है, विकास दर में वृद्धि होती है और प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ती है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने डेमोग्राफिक डिवीडेंड के लाभों को प्राप्त करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। इनमें देश की कार्यशील जनसंख्या के कौशल विकास पर प्रमुख रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जनांकिकीय लाभांश भारत के अनुकूल रहते, कौशल विकास और उद्यमिता पर ज़्यादा ध्यान दिए जाने से, हम संपूर्ण विश्व में अगले दो से तीन दशक के भीतर विभिन्न क्षेत्रों में कुशल कामगारों का सबसे बड़ा गढ़ बन जाएंगे और हमारे देश के कुशल कामगारों की विश्व–स्तरीय मांग में अप्रत्याशित वृद्धि होगी।

इसमें दो राय नहीं कि कौशल और ज्ञान किसी भी राष्ट्र के लिए आर्थिक–सामाजिक विकास की प्रेरक शक्ति होते हैं। यदि राष्ट्र में हुनरमंद युवा उपलब्ध रहेंगे तो उद्योगों को मानव श्रम संसाधन की कमी नहीं होगी और वे उत्पादन के बेहतर परिणाम दे पाएंगे। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा देश में कुशल श्रमिकों की मांग और आपूर्ति का अंतर पाटने की दिशा में कई महत्पूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) इस दिशा में मील का पत्थर साबित हुई है। इस योजना के माध्यम से युवाओं को उद्योगों के अनुकूल कौशल का अल्पकालिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। देश में संचालित 233 जनशिक्षण संस्थानों के माध्यम से निरक्षर, नवसाक्षर एवं बीच में स्कूल छोड़ देने वाले युवाओं को स्थानीय बाज़ार की

आवश्यकता के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत संचालित अल्पकालिक प्रशिक्षण के माध्यम से लगभग 34.14 लाख युवाओं को प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है। इसमें से 28.36 लाख युवाओं को रोज़गार मिला है। इसी प्रकार, आरपीएल (रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग) कार्यक्रम के तहत 33.20 लाख युवाओं का कौशल प्रमाणित किया गया है, जिसमें से लगभग 27.36 लाख युवाओं को नौकरी मिली है।

स्टार्टअप्स को लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का शुरू से ही संवेदनशील दृष्टिकोण रहा है। 'स्टार्टअप इंडिया अभियान' की शुरुआत के अवसर पर उन्होंने कहा था कि वे चाहते हैं कि भारत के युवा, नौकरी खोजने वालों के बजाय, रोज़गार पैदा करने वाले बनें। यदि एक स्टार्टअप सिर्फ 5 लोगों को भी रोज़गार दे, तो यह भी राष्ट्र की बड़ी सेवा होगी। प्रधानमंत्री ने देश में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए 2016 में स्टार्टअप इंडिया अभियान का शुभारंभ किया। स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन एवं शैशवकाल में उन्हें संरक्षण देने की हमारी नीति के कारण देश में विगत वर्षों में स्टार्टअप तेज़ी से प्रारंभ हुए हैं और उन्होंने सफलता के नए आयाम भी रचे हैं। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2019 में सरकार ने इसकी परिभाषा बदलकर स्थापना के दस वर्ष तक उसे स्टार्टअप ही मानकर लाभ देते रहने का प्रावधान किया है। उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, 31 दिसंबर, 2019 तक देश में 26804 स्टार्टअप्स पंजीकृत थे। इनमें 3 लाख 6 हज़ार से अधिक युवाओं को रोज़गार मिला है। पंजीकृत स्टार्टअप्स में से 24 हज़ार 8 सौ से अधिक तो ऐसे हैं, जिन्होंने औसतन 12 लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराया है। स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, सरकार ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक में 10,000 करोड़ रुपये का 'फंड आफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स' कोष बनाया है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने 22 दिसंबर, 2019 तक, 47 'सेबी' (एसईबीआई) पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोषों (एआईएफ) में 3123 करोड़ रुपये से अधिक की प्रतिबद्धता की है। इन फंडों के माध्यम से 25,728 करोड़ रुपये का समग्र कोष जुटाया गया है।

> भारत में कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता एवं उन्नत कृषि की बदौलत अब खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में भी नए अवसर सृजित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान में सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को औपचारिक रूप देने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस राशि से 2 लाख सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को, वैश्विक पहुंच और 'वोकल फॉर लोकल' के संकल्प के साथ मदद पहुंचाई जा रही है। इस फंड से ऐसे उद्यमियों को फायदा होगा जिन्हें अपने उद्यमों को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के मानकों के अनुरूप बनाना है या वे अपना ब्रांड स्थापित करना चाहते हैं।

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के तहत 'आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लाई एम्प्लायर मैपिंग (असीम) पोर्टल' भी लांच किया है। यह पोर्टल मांग एवं आपूर्ति के आधार पर कुशल श्रमशक्ति का रियल टाइम डाटा उपलब्ध कराता है।

यह निश्चित है कि कोविड–19 के बाद के युग में डिजिटल स्किल की अहम भूमिका रहेगी। ऐसे में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा नवीनतम तकनीकी से जुड़े दीर्घकालीन अवधि के प्रशिक्षण प्रारंभ किए गए हैं। प्रशिक्षण महानिदेशालय ने जून 2020 में आईबीएम के साथ एक समझौता ज्ञापन कर निःशुल्क डिजिटल लर्निंग प्लेटफार्म (स्किलड बिल्ड रिनाइन) प्रारंभ किया है। राष्ट्रीय कौशल विकास संस्थान द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग के युग में डिजिटल कौशल का बहुमुखी प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। उद्यमिता और कौशल के क्षेत्र में योग जैसी भारतीय विधा को भी जोड़ा गया है। योग प्रशिक्षक के रूप में रोज़गार प्राप्त करने के लिए अब तक 98 हजार से अधिक व्यक्ति प्रशिक्षित हो चुके हैं।

युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान (पीएमयुवा) संचालित किया जा रहा है। इसके माध्यम से युवा उद्यमियों को प्रशिक्षण, उद्यम स्थापित करने संबंधी परामर्श और अन्य सहायता प्रदान की जाती है। 10 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों के चुनिंदा ज़िलों में इसे प्रायोगिक आधार पर चलाया जा रहा है। आईटीआई, पॉलीटेक्नीक महाविद्यालयों, प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्रों, जनशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षणार्थियों और पूर्व छात्रों को ध्यान में रखकर ही यह अभियान शुरू किया गया है, ताकि वे उद्यम को स्थापित करने में अपने तकनीकी प्रशिक्षण का उपयोग कर सकें। उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए 2016 में राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कार (एनईएएस) भी शुरू किया गया है। यह पुरस्कार युवाओं में उद्यमिता की भावना बढ़ाने और उन्हें प्रेरित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। यह पुरस्कार पहली पीढ़ी के उद्यमियों, उद्यमिता के लिए अनुकूल वातावरण सृजित करने वाले व्यक्तियों एवं महिला उद्यमियों को दिया जाता है।

सरकार ने स्टार्टअप शुरू करने वाली महिला उद्यमियों के प्रोत्साहन की दिशा में भी कई कार्य किए हैं। जर्मनी की संस्था जीआईज़ेड के साथ मिलकर सरकार ने महिला उद्यमियों और महिला स्टार्टअप्स के आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में एक पायलट परियोजना शुरू की है। इसे पूर्वोत्तर राज्यों– असम, मेघालय एवं मणिपुर के साथ राजस्थान और तेलंगाना में संचालित किया जा रहा है। सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उद्यमियों को व्यापार स्थापित करने और उसके संवर्धन के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध कराती रही है। इसमें मुद्रा योजना के साथ स्टैंडअप इंडिया योजना भी शामिल है।

कृषि, बागवानी एवं पशुपालन के क्षेत्र में भी उद्यमिता एवं स्टार्टअप्स की असीम संभावनाए हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हाल ही में सरकार ने कृषि सुधार से जुड़े तीन कानून संसद में पारित किए हैं। किसानों को इन कृषि सुधारों से जहां बहुत–सी सुविधाएं एवं अपनी उपज कहीं भी, किसी को भी बेहतर दाम पर बेचने की स्वतंत्रता मिली है, वहीं इसके माध्यम से कृषि क्षेत्र में नए स्टार्टअप्स और उद्यम के भी दरवाजे खुले हैं। मंडी के साथ–साथ कहीं पर भी उपज बेचने की आज़ादी, कृषि विपणन के ई–प्लेटफॉर्म और एग्री मार्केटिंग से कृषि क्षेत्र में युवा उद्यमियों को विकसित होने का अवसर मिलेगा। आवश्यक वस्तु संशोधन कानून के ज़रिए अनाज, आलू–प्याज जैसी उपज की भंडारण सीमा समाप्त किए जाने से अब निजी क्षेत्र में वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज और प्रसंस्करण इकाइयों का विस्तार होना तय है। इससे इस क्षेत्र में उद्यमिता विकास के नए आयाम खुलेंगे।

'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के अंतर्गत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक लाख करोड़ रुपये के कृषि अवसंरचना फंड का प्रावधान कर इस क्षेत्र की दशा और दिशा बदलने का प्रयास किया है। इस फंड से ग्रामीण क्षेत्र में वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज एवं खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों जैसी अधोसंरचनाएं विकसित की जाएंगी। अब तक यह देखा जाता रहा है कि कृषि क्षेत्र में निजी निवेश या तो बहुत कम है या फिर संतुलित नहीं है। निजी निवेशकों के कृषि उद्यम गांवों के स्थान पर शहरी इलाके में नजर आते हैं, जिसका पूरा लाभ किसानों एवं ग्रामीण युवाओं को नहीं मिल पाता है। कृषि अवसंरचना फंड से ये असंतुलन खत्म होना तय है। इससे कृषि क्षेत्र में उद्यमिता विकास का एक बड़ा अवसर सृजित हुआ है। आने वाले कुछ वर्षों में इसके सुखद परिणाम सामने आएंगे।

भारत में कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता एवं उन्नत कृषि की बदौलत अब खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में भी नए अवसर सृजित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान में सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को औपचारिक रूप देने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस राशि से 2 लाख सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को, वैश्विक पहुंच और 'वोकल फॉर लोकल' के संकल्प के साथ मदद पहुंचाई जा रही है। इस फंड से ऐसे उद्यमियों को फायदा होगा जिन्हे अपने उद्यमों को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के मानकों के अनुरूप बनाना है या वे अपना ब्रांड स्थापित करना चाहते हैं। इस योजना में वर्तमान खाद्य उद्यमियों के साथ ही किसान उत्पादक संगठनों, स्वयंसहायता समूहों एवं सहकारी समितियों को भी सहायता दी गई है। खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में हमारी रणनीति क्लस्टर–आधारित उद्यम स्थापित करने की है। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश में आम, कर्नाटक में टमाटर, आंध्र प्रदेश में मिर्च और महाराष्ट्र में संतरा से जुड़े उद्योग स्थापित किए जाएं। आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के अंतर्गत ही ऑपरेशन ग्रींस के तहत 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है ताकि आलू, प्याज, टमाटर जैसी सब्जियों के लिए कोल्ड

स्टोरेज, परिवहन और प्रोसेसिंग में मदद मिल सके।

जैविक कृषि के क्षेत्र में स्टार्टअप एवं उद्यमिता की प्रचुर संभावनाएं हैं। जैविक उत्पादों की वैश्विक–स्तर पर बढ़ती मांग को देखते हुए युवा इस क्षेत्र में स्टार्टअप्स के ज़रिए अपना कैरियर बना सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत पैकेज में हर्बल एवं औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) ने 2.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में औषधीय पौधों की खेती को सहायता प्रदान की है। अगले दो वर्षों में 4,000 करोड़ रुपये के परिव्यय से हर्बल खेती के तहत 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया जाएगा। इससे किसानों को 5 हज़ार करोड़ रुपये की आमदनी होगी। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड गंगा के किनारे 800 हेक्टेयर क्षेत्र में गलियारा विकसित कर औषधीय पौधे लगाएगा। यह भी अपना उद्यम स्थापित करने के लिए एक स्वर्णिम अवसर है। इसी तरह मधुमक्खी पालन, फ्लोरी कल्चर जैसे क्षेत्रों में भी काफी संभावनाए हैं।

उद्यमिता विकास और स्टार्टअप के मामले में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्र आगे रहे हैं। इसके मूल कारणों में शहरी क्षेत्रों में संबंधित तंत्र का सुदृढ़ होना, वित्तीय सहायता की आसान उपलब्धता और युवाओं के बीच बेहतर जागरूकता शामिल है। इसके बावजूद हमारा प्रयास इस दिशा में निरंतर बना हुआ है कि अधिसंख्य आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता और कौशल के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वरोज़गार से जोड़ा जाए। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ अन्य मंत्रालयों एवं संस्थाओं ने मिलकर इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं।

'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के अंतर्गत 'आत्मनिर्भरता' के इस संकल्प के मूल में उद्यमिता, कौशल और स्टा'र्टअप के बीज हैं। सच है कि यह समय सरकारी नौकरी तलाशने का नहीं, बल्कि स्वयं का उद्यम स्थापित कर दूसरों को रोज़गार देने का है। सरकार ने हर क्षेत्र में उद्यमिता के संवर्धन के लिए, मदद के दरवाज़े खोले हुए हैं। ऐसे में देश की युवा पीढ़ी और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं से मेरा कहना है कि आपके भीतर असीमित ऊर्जा का स्रोत मौजूद है। आप देश के भावी कर्णधार हैं। देश की समृद्धि, खुशहाली एवं गरिमा का सबसे बड़ा दायित्व आपके ऊपर है। ज़रूरत है तो केवल दृढ़ इच्छाशक्ति, प्रतिबद्धता और संकल्प शक्ति की।

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू–जीकेवाई) ने इस दिशा में क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। विगत 6 वर्षों में डीडीयू–जीकेवाई से देश में 10.51 लाख युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, वहीं प्रशिक्षण प्राप्त 6.65 लाख युवाओं को रोज़गार से जोड़ा गया है। केवल एक पीढ़ी पहले तक युवाओं में यह मानसिकता थी कि सरकारी नौकरी ही रोज़गार के रूप में स्थायी विकल्प है। किंतु डीडीयू–जीकेवाई जैसे अभियान से इस मानसिकता में परिवर्तन आया है। अब कौशल के बल पर अपना कल बदलने का साहस युवाओं में दिखाई देने लगा है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वर्ष 2018–19 में लगभग 1215 करोड़ रुपये की राशि ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास एवं प्रशिक्षण के लिए जारी की और 2019–20 में इस पर 1418 करोड़ रुपये से ज़्यादा खर्च किए गए।

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित दीनदयाल अंत्योदय योजना– राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई–एनआरएलएम) के तहत वर्ष 2016 से स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी) शुरू किया गया है। इसे गांवों में महिला उद्यमियों के सशक्तीकरण और उनमें उद्यमिता की भावना विकसित करने का एक सशक्त प्रयास कहा जा सकता है। गांवों से गरीबी खत्म करना सरकार का लक्ष्य है। इस दिशा में इस योजना के सार्थक परिणाम सामने आए हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता एवं स्टार्टअप्स की स्थापना को लेकर तीन प्रमुख समस्याएं रही हैं। ये हैं– ग्रामीण क्षेत्र में रहने वालों की वित्तीय स्थिति मज़बूत न होना, स्टार्टअप्स को शुरुआती संरक्षण एवं मार्गदर्शन नहीं मिल पाना और कौशल के लिए उपयुक्त संसाधन एवं वातावरण का न होना। यह प्रसन्नता का विषय है कि एसवीईपी के माध्यम से इन समस्याओं और मुद्दों का समाधान हो रहा है। स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी) ने विगत वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति की है। इसके माध्यम से अब तक 23 राज्यों के 153 ब्लॉकों में व्यवसाय सहायता सेवाओं और आवश्यक पूंजी जुटाने में सहायता प्रदान की गई है।

सामाजिक समावेश में भी इस योजना के उत्तम परिणाम सामने आए हैं। भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा सितंबर 2019 में की गई एसवीईपी की मध्यावधि समीक्षा के अनुसार इस योजना के उद्यमियों में 82 फीसदी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के हैं। यहां यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम, दीनदयाल अंत्योदय योजना– राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई–एनआरएलएम) के आधार स्तंभ के रूप में काम कर रहा है। इस कार्यक्रम के 75 प्रतिशत उद्यम, महिलाओं के स्वामित्व और प्रबंधन में हैं। अध्ययन से यह भी ज्ञात हुआ है कि उद्यमियों की कुल पारिवारिक आय का लगभग 57 प्रतिशत, एसवीईपी उद्यमों के माध्यम से ही प्राप्त हुआ है।

प्रधानमंत्री ने कोविड–19 की वैश्विक महामारी को दृष्टि में रखते हुए 'आपदा' को 'अवसर' में बदलने का दूरदर्शी आह्वान किया था। इससे प्रेरित होकर हमारे ग्रामीण क्षेत्र के नव–उद्यमियों एवं स्वयंसहायता समूहों ने संक्रमण से निपटने में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन/विनिर्माण कर 'वोकल फॉर लोकल' की दिशा में कार्य किया है। कोविड–19 के संकटकाल में ग्रामीण क्षेत्र में महिला स्वयंसहायता समूहों की भी अहम भूमिका रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में डीएवाई–एनआरएलएम

के महिला स्वयंसहायता समूहों ने मॉस्क, सैनेटाइज़र, हैंडवाश निर्मित कर न केवल संक्रमण पर अंकुश लगाने में भूमिका निभाई, बल्कि इन महिला उद्यमियों ने अतिरिक्त आय अर्जित कर अपने उद्यमिता कौशल को भी प्रमाणित कर दिया। देश में 29 राज्यों में लगभग 3 लाख 18 हज़ार से अधिक एसएचजी महिला सदस्यों ने लगभग 23.07 करोड़ फेस मॉस्क, 1.02 लाख लीटर हैंडवाश और 4.79 लाख लीटर से अधिक सैनिटाइज़र का उत्पादन किया। इस प्रकार इन वस्तुओं के 903 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यापार में उन्हीं का योगदान रहा। यह वही समय था जब देश के बड़े–बड़े उद्योग–धंधे बंद पड़े थे, लेकिन इन महिलाओं ने अपने उद्यम से न केवल परिवारों का खर्च चलाया, बल्कि देश में इन ज़रूरी वस्तुओं की कोई कमी नहीं होने दी।

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और इसके ग्रामीण स्वरोज़गार व प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) के माध्यम से भी गांवों में व्यापक–स्तर पर कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत कौशल प्राप्त करने वाले प्रशिक्षुओं को अपना उद्यम स्थापित करने के लिए बैंक ऋण उपलब्ध कराने का भी प्रावधान है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोज़गार एवं उद्यमिता की दिशा में सराहनीय प्रयास हुए हैं। यह कार्यक्रम 33 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 566 ज़िलों में 23 लीड बैंकों द्वारा 585 ग्रामीण स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से संचालित किया जा रहा है।

'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के अंतर्गत 'आत्मनिर्भरता' के इस संकल्प के मूल में उद्यमिता, कौशल और स्टा'र्टअप के बीज हैं। सच है कि यह समय सरकारी नौकरी तलाशने का नहीं, बल्कि स्वयं का उद्यम स्थापित कर दूसरों को रोज़गार देने का है। सरकार ने हर क्षेत्र में उद्यमिता के संवर्धन के लिए, मदद के दरवाज़े खोले हुए हैं। ऐसे में देश की युवा पीढ़ी और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं से मेरा कहना है कि आपके भीतर असीमित ऊर्जा का स्रोत मौजूद है। आप देश के भावी कर्णधार हैं। देश की समृद्धि, खुशहाली एवं गरिमा का सबसे बड़ा दायित्व आपके ऊपर है। ज़रूरत है तो केवल दृढ़ इच्छाशक्ति, प्रतिबद्धता और संकल्प शक्ति की। मेरा आप सभी से आह्वान है कि आप पूरे मनोयोग के साथ इसी समय अपने कदम आगे बढ़ाने का संकल्प लें, सरकार की कौशल विकास एवं प्रशिक्षण योजनाओं में सक्रिय भागीदार बनें, अपनी अभिरुचि वाले स्टार्टअप शुरू करने के लिए सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं का लाभ उठाएं। स्वयं एक कुशल उद्यमी के रूप में आत्मनिर्भर बनें, दूसरों को रोज़गार प्रदान करें और अपने कौशल एवं उद्यमशीलता से राष्ट्र की समृद्धि के द्वार खोलने में अधिकाधिक योगदान दें।

(लेखक केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, पंचायती राज, ग्रामीण विकास और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, भारत सरकार हैं।)

ई–मेल : ns.tomar@sansad.nic.in
mord.kb@gmail.com

सतत विकास के लिए नवाचार और उद्यमिता

–आर. रमणन, नमन अग्रवाल, हिमांशु अग्रवाल

सामाजिक–आर्थिक मोर्चे पर उत्कृष्ट नवाचारों और उद्यमशीलता की पहल को गतिशील बनाने के लिए सूक्ष्म वित्त और ग्रामीण वित्तपोषण योजनाओं का समय आ चुका है। लैंगिक समानता सुनिश्चित करना, आर्थिक विषमता को दूर करना और निशक्त जन समुदायों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। भारत जैसी तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं को भी जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों से बेहद सावधान रहने की ज़रूरत है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि सतत विकास लक्ष्य हर संगठन के अति महत्वपूर्ण उद्देश्य बने रहें।

भारत में सदियों से महान विचारकों, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, डॉक्टरों, नवप्रवर्तकों, दार्शनिकों, कलाकारों का कभी अभाव नहीं रहा है। भारत की बौद्धिकता, इंजीनियरिंग कौशल और कलात्मक क्षमताएं बेजोड़ हैं और दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों, गणितज्ञों और इंजीनियरों में शुमार प्रतिभाएं जैसे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, श्री एस रामानुजन, सर सी.वी.रमन और डॉ. विक्रम साराभाई भारत के विभिन्न भागों से आते हैं। हमारा दर्शन, संस्कृति, ललित कलाएं, धर्मस्थल और प्रतिमाएं भी उसी के साक्ष्य हैं।

हालांकि भारत में एक समग्र नवाचार और उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र की कमी रही है जो हमारे समूचे राष्ट्र में स्थित स्कूलों, विश्वविद्यालयों और उद्योगों में प्रेरणा, कल्पना और नवाचार को प्रोत्साहित करने और सक्षम बनाने में सहायता प्रदान कर सकती है। जब भी भारतीय विदेश जाते हैं तो वे अपनी उच्च क्षमता प्रदर्शित करते हैं और प्रौद्योगिकी, व्यवसाय, शिक्षा और यहां तक कि सरकारों में भी उपलब्धियों व उत्कृष्टता की नई बुलंदियां हासिल करते हैं। कई भारतीय गूगल, माइक्रोसॉफ्ट,आईबीएम, एडोब सहित दुनिया की कुछ सबसे बड़ी और सबसे नवीन तकनीकी, चिकित्सा और वित्तीय कंपनियों में नवाचारों की अगुआई कर रहे हैं।

इन विकसित देशों में एक अभिनव पारिस्थितिकी–तंत्र तक पहुंच ने कई भारतीयों को उनकी आकांक्षाओं को साकार करने, उनके सपनों को वास्तविकताओं में बदलने और उन्हें उनकी पूर्ण रचनात्मक क्षमता के फलने–फूलने में मदद की।

14 लाख से अधिक विद्यालयों, 10500 से अधिक इंजीनियरिंग और संबंधित संस्थानों, 39000 से अधिक महाविद्यालयों के साथ एक जनसांख्यिकीय लाभांश, जो भारत की विशेषता है और एक तेज़ी से विकसित होती अर्थव्यवस्था को देखते हुए, भारत के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वह सुनिश्चित करे कि अगले कुछ वर्षों में कार्यबल में शामिल होने वाले अनुमानित 15 करोड़ से

अधिक युवा एक विश्व–स्तर के राष्ट्रव्यापी नवाचार और उद्यमशीलता पारिस्थितिकी–तंत्र के उपयोग के माध्यम से अपनी वास्तविक क्षमता को जान पाएं जिसके लिए वे तेज़ी से उन्नत होती सुलभ और किफायती तकनीकों का लाभ उठाएं जो हमारी दुनिया को बदल रही हैं और नवाचार एवं नए रोज़गार सृजन के लिए व्यापक अवसर उत्पन्न कर रही हैं।

असाधारण तकनीकी प्रगति वास्तव में विश्व में परिवर्तन ला रही हैं और नई तकनीकों और व्यावसायिक नवाचारों को अति तीव्र गति से उत्पन्न कर रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स लघुकरण ने एक कमरे के आकार के कंप्यूटर को हमारी जेब में समाने में सक्षम किया है जिसमें बेहद कम लागत पर कंप्यूटिंग, स्टोरेज और संचार के अभिसरण की सुविधा है। रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगली पीढ़ी की उत्पादकता और ऑटोमेशन का संचालन कर रहे हैं। 3 डी प्रिंटर लघु और मध्यम उद्योग (एसएमई) स्तर पर रियल टाइम अवधारणा, डिज़ाइन, प्रोटोटाइप और निर्माण को वास्तविकता का रूप दे रहे हैं। इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स सेंसर टेक्नोलॉजी को मोबाइल से और हर उद्योग को जिसमें परिशुद्ध कृषि से लेकर स्वास्थ्य सेवा, जलशोधन और संरक्षण, जलवायु परिवर्तन नियंत्रण, आपदा भविष्यवाणी और प्रबंधन, चालकरहित कारें और अंतरिक्ष शटल शामिल हैं, सेटेलाइट टेक्नोलॉजी से जोड़ रहा है। बिग डाटा और एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन्नत लेकिन आसानी से इस्तेमाल किए जाने वाले साधनों के माध्यम से जटिल निर्णय लेना सक्षम बना रहे हैं। भारत एक अरब से अधिक आबादी वाला देश है, जिसमें हजारों चुनौतियां हैं और नूतन उद्यमी स्टार्टअप के लिए हजारों अवसर हैं जो अंतर्राष्ट्रीय–स्तर पर संभावित प्रभाव डालने में सफल हो सकते हैं।

> भारत में 715 से अधिक ज़िले हैं, 4000 से अधिक शहर और 6 लाख से अधिक गांव हैं। निर्विवाद रूप से नवाचार और उद्यमशीलता देश के इन सभी क्षेत्रों में भौतिक और साथ ही डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकास को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होंगे। राष्ट्र को आजीविका सक्षम, नवाचार और रोज़गार सृजन के सक्रिय केंद्र बनने के लिए स्मार्ट गांवों और कई सौ स्मार्ट शहरों की आवश्यकता है। स्मार्ट जल प्रबंधन, परिवहन, ऊर्जा प्रबंधन, और आवास व्यवस्था नवाचारों और स्टार्टअप के लिए व्यापक अवसर प्रस्तुत करते हैं।

कोविड–19 संकट के दौरान सबसे आगे भारतीय उद्यमी और स्टार्टअप

वैश्विक कोविड–19 आपदा की गति और गंभीरता ने दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया है। इसका संक्रामक प्रसार 140 से अधिक देशों में जीवन के सभी क्षेत्रों से जुड़े लोगों को त्रस्त कर रहा है और यह परस्पर गहन रूप से जुडी दुनिया में गंभीर रूप लेता जा रहा है जहां लोगों की गतिशीलता लगभग हर देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। कोविड–19 संकट के तत्काल समाधान के लिए देश हरसंभव प्रयास करने में जुटे हैं। दुनिया के बेहतरीन वैज्ञानिक, स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोग और जैव टेक्नोलॉजी शोधकर्ता इस संकट को समाप्त करने के लिए एक उपचारात्मक समाधान या वैक्सीन खोजने के लिए दिन–रात एक कर रहे हैं।

यह महामारी जिसका इतना व्यापक परिमाण और संक्रमण प्रसार है उसके लिए विभिन्न श्रेणियों में तत्काल निवारक, सहायक, उपचार से संबंधित समाधानों की आवश्यकता है। इनमें उच्च गुणवत्ता वाले और विश्वसनीय मॉस्क, व्यक्तिगत निवारक उपकरण, वेंटिलेटर, सैनिटाइज़र और संपर्क–ट्रेसिंग शामिल हैं। अगले एक से तीन महीनों के भीतर इन समाधानों का तेज़ी से परीक्षण, संचालन, तैनाती और परिमाण बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है। इसके लिए न केवल कंपनियों और सरकारी संस्थानों द्वारा अधिक उन्नत क्षमता बल्कि अपार दक्षता और चपलता की दरकार है जिससे कोविड–19 के संकट को प्रभावी ढंग से रोका और समाप्त किया जा सके।

कोरोना वायरस के चंगुल से 1.3 बिलियन से अधिक लोगों को सुरक्षित रखने के चुनौतीपूर्ण कार्य के तहत भारत सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए एक साथ कई कदम उठा रही है कि यह वैश्विक महामारी देश में कल्पना से परे विविध चुनौतियां उत्पन्न करने वाला कहर नहीं बरपा पाए। इनमें 250 से अधिक इनक्यूबेटर और 30000 से अधिक सक्रिय स्टार्टअप के साथ अपने नवाचार और स्टार्टअप पारिस्थितिकी–तंत्र का लाभ उठाना है।

भारत में चुनौतियां कई हैं– इनमें कोविड–19 के प्रसार को शहरों में नियंत्रित करना जिनमें आबादी के बहुत घने क्षेत्र हैं; इसका गांवों में मुकाबला करना जहां समुचित अस्पतालों, स्वास्थ्य सेवा उपकरणों या डॉक्टरों की कमी के साथ दैनिक मज़दूरी वाला अत्यधिक प्रवासी कार्यबल है; इसलिए आवश्यक समाधान भी अनेक हैं जिन्हें स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने की आवश्यकता है। किफ़ायत के साथ उच्च गुणवत्ता और उस तक पहुंच भारत जैसे देश में प्रमुख चुनौतियां और आवश्यकताएं हैं। चुनौतीपूर्ण समय और इस प्रकार की आपदा का सामना करने के लिए बड़े पैमाने पर सरकारी सहायता की आवश्यकता है। यह शोध, सरकार और उद्योग के बीच बड़े तालमेल की भी अपेक्षा करता है। हालांकि, कोई भी इस तरह के भीषण संकट के अप्रत्याशित रूप से उत्पन्न होने की कल्पना नहीं कर सकता था लेकिन भारत सरकार का पिछले कई वर्षों से अपने स्टार्टअप और इनक्यूबेटर पारिस्थितिकी–तंत्र को सतत रूप से प्रोत्साहन देना विश्व के अनेक भागों में निराशा के अंधेरे को दूर करने के लिए क्षितिज पर सबसे उज्जवल प्रकाश पुंजों में से एक है।

अटल इनोवेशन मिशनः नवाचार और उद्यमिता के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत का सशक्तीकरण

अभूतपूर्व परिमाणों वाली महामारी कोविड–19 ने, जो अभी जारी है, दुनिया भर में जीवन और आजीविका को बेहद प्रभावित

किया है। अब जबकि दुनिया में सबसे प्रखर शोधकर्ता कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने और उस पर अंकुश लगाने के लिए निवारक और उपचारात्मक समाधान खोजने की दिशा में तेज़ी से कदम उठा रहे हैं; इस वर्तमान संकट ने इस समय उत्पन्न होने वाले कई अवसरों के प्रति ध्यान आकर्षित किया है।

नौकरी करने वालों की बजाय नौकरी पैदा करने वालों का राष्ट्र बनने में समाधान निहित है। और इसके केंद्र में गांव, ज़िला, राज्य और केंद्रीय–स्तरों पर उद्योग जगत, शिक्षाविदों और सरकारों के बीच एक व्यापक सहयोग की आवश्यकता है। इस तरह के तालमेल ने वास्तव में कोविड–19 संकट में गति हासिल की है और इसका और अधिक लाभ उठाने की आवश्यकता है।

आइए, नवाचार और उद्यमशीलता के नज़रिए से पांच आधार स्तंभों का आंकलन करें।

हम जनसांख्यिकीय लाभांश के स्तंभ के साथ शुरू करते हैं। 35 वर्ष से कम आयु के हमारे देश के 65 प्रतिशत से अधिक लोगों, 14 लाख से अधिक स्कूलों और 10,500 इंजीनियरिंग और संबंधित संस्थानों, 39,000 कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के साथ भारत के समान दुनिया में कहीं अन्य इतना जनसांख्यिकीय लाभांश मौजूद नहीं है। यह आवश्यक है कि हम स्कूल, विश्वविद्यालय और उद्योग के स्तर पर नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देते हुए व्यावसायिक, तकनीकी और प्रबंधकीय कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करके राष्ट्र निर्माण गतिविधियों के प्रति इस युवा ऊर्जा को सार्थक दिशा प्रदान करें।

उभरती डिजिटल तकनीकों का लाभ उठाने के नए तरीके इस तरह के पारिस्थितिकी–तंत्र को बना सकते हैं और बढ़ावा दे सकते हैं। यह सैकड़ों शिक्षा प्रौद्योगिकी स्टार्टअप की स्थापना और वायरलैस, 5 जी संचार, मोबाइल एआर/वीआर, और एआई प्रौद्योगिकियों का लाभ उठा कर उन्हें ही सशक्त बनाने के लिए एक बड़ा अवसर प्रस्तुत करता है। मौजूदा सरकारी पहलों– जैसे स्कूल–स्तर पर अटल टिंकरिंग लैब्स और एआई पाठ्यक्रम, विश्वविद्यालय स्तरों पर इनक्यूबेटर और नवाचार सेल और उभरते हुए नए क्षेत्रों में स्टार्टअप और व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देना चाहिए– इस स्तंभ को मज़बूत करने के लिए इन्हें गति प्रदान करनी चाहिए।

दूसरा आधार स्तंभ आधारभूत संरचना का है। भारत में 715 से अधिक ज़िले हैं, 4000 से अधिक शहर और 6 लाख से अधिक गांव हैं। निर्विवाद रूप से नवाचार और उद्यमशीलता देश के इन सभी क्षेत्रों में भौतिक और साथ ही डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकास को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होंगे। राष्ट्र को आजीविका सक्षम, नवाचार और रोज़गार सृजन के सक्रिय केंद्र बनने के लिए स्मार्ट गांवों और कई सौ स्मार्ट शहरों की आवश्यकता है। स्मार्ट जल प्रबंधन, परिवहन, ऊर्जा प्रबंधन, और आवास व्यवस्था नवाचारों और स्टार्टअप के लिए व्यापक अवसर प्रस्तुत करते हैं।

यह हमारी अर्थव्यवस्था के असंतुलित विकास और मुट्ठी भर प्रथम श्रेणी शहरों की ओर एक निरंतर प्रवास को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। बुनियादी ढांचे के स्तंभ को डिजिटल हाईवे के निर्माण की भी आवश्यकता होगी जो यह सुनिश्चित करेगा कि नवाचार हर आम नागरिक तक पहुंचे चाहे वह शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आवासीय व्यवस्था से संबद्ध हो या फिर नौकरी के लिए सक्षम बनाना हो। यह युवा रचनात्मक उद्यमियों के लिए वैश्विक प्रभाव वाले विकासशील संस्थानों की स्थापना का एक शानदार अवसर प्रस्तुत करता है।

तीसरे स्तंभ 'मांग' के लिए भारत में उपयुक्त माहौल है। इसमें 1.3 अरब से अधिक लोग, एक युवा आबादी, एक बढ़ता मध्यम वर्ग, दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक तथा मौजूदा और उभरती उपभोक्ता ज़रूरतों के नए समाधानों की पुनः परिकल्पना के लिए किफायती व उपलब्ध उन्नत तकनीक है। सभी क्षेत्र–कृषि, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, जल प्रबंधन, स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा, किफायती आवास, रक्षा, अंतरिक्ष, परिवहन, या फुटकर बिक्री आदि में नए समाधान और उपभोक्ता या नागरिक केंद्रित सेवाओं के लिए रुकी हुई मांगों को पूरा करने और उनका लाभ उठाने के लिए हज़ारों स्टार्टअप और कंपनियों के लिए एक आदर्श स्थिति है।

मांग का स्तंभ हर उद्योग में 'मेक इन इंडिया' के लिए एक अभूतपूर्व अवसर प्रस्तुत करता है। विभिन्न मंत्रालयों द्वारा शुरू की गई चुनौतियों की संख्या बढ़ती जा रही है– इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, अटल न्यू इंडिया चैलेंजेज, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (कवच), डीबीटी जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बाइरैक) और साथ ही साथ निवारक सहायक समाधानों के लिए कोविड–19 चुनौतियां भी, जिनसे अनेक अभिनव समाधानों की रचना हुई।

अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्रों में नवाचारों के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी की हालिया घोषणाओं से एमएसएमई उद्योग के लिए नए अवसरों की मानो बाढ़ आ गई है। 1.3 अरब लोगों के लिए विकसित कोई भी समाधान विश्व के 7 अरब से अधिक लोगों के लिए भी एक संभव समाधान हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मायगव, और अटल इनोवेशन मिशन द्वारा हाल ही में आरंभ भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज विश्वस्तरीय ऐप्स की पहचान और तैयार करने के लिए एक स्वागत योग्य कदम है जिनका उपयोग बाकी दुनिया भी कर सकती है।

इसके बाद, हम 'प्रौद्योगिकी' के स्तंभ पर आते हैं। पिछले एक दशक में भारत में तेज़ी से बढ़ते 180 अरब अमरीकी डालर के आईटी/आईटीईएस और बायोटैक उद्योग की उल्लेखनीय प्रगति ने दुनिया के समक्ष भारत की विज्ञान संबंधी उपलब्धियों, इंजीनियरिंग और तकनीकी कौशल और क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। दुनिया की शीर्ष बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय प्रतिभाओं का लाभ उठा रही हैं और भारत में बड़े आर एंड डी केंद्रों की स्थापना करने की होड़ में हैं।

'सामाजिक–आर्थिक विकास' अंतिम स्तंभ है। 22 प्रतिशत आबादी के अभी भी गरीबी–रेखा के नीचे होने, अर्थव्यवस्था का 44 प्रतिशत अभी भी कृषि आधारित होने, कई ज़िले जो अभी भी शिशु मृत्युदर और मातृ मृत्युदर की गंभीर स्थिति से जूझ रहे हैं और महिला उद्यमी केवल 13 प्रतिशत हैं, ऐसी स्थिति में भारत को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि तेज़ी से होने वाली आर्थिक प्रगति में सामाजिक प्रगति भी निहित हो।

अटल नवाचार मिशन (एआईएम)

उपरोक्त चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार की प्रमुख पहल अटल नवाचार मिशन, नीति आयोग देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अगुआई कर रहा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एआईएम ने स्कूलों में समस्या सुलझाने वाली नवीन मानसिकता के सृजन और विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों, निजी और एमएसएमई क्षेत्र में उद्यमशीलता का एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया है।

1) अटल टिंकरिंग लैब – स्कूल–स्तर पर

पिछले 3 वर्षों में एआईएम ने हजारों अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना की है जो छठी कक्षा से 12 वीं कक्षा तक के छात्रों को 3 डी प्रिंटरों, रोबोटिक्स, लघु रूप वाले इलेक्ट्रॉनिक्स डू इट योरसेल्फ किटों जैसे नूतन उपकरणों और टेक्नोलॉजी तक पहुंच और उनका प्रयोग करने में सक्षम बनाती हैं और इस प्रकार समस्या सुलझाने वाली नूतन मानसिकता को विकसित करती है तथा उन्हें उनके समुदायों और उनके आसपास की समस्याओं को हल करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। अटल टिंकरिंग लैब समस्त देश के स्कूलों में स्थापित किए जा रहे हैं, 650 से अधिक ज़िलों में 5000 से अधिक लैब चलाई जा रही हैं और 20 लाख से अधिक विद्यार्थी उनका लाभ उठा रहे हैं।

2) अटल इनक्यूबेटर्स– विश्वविद्यालयों, संस्थानों, उद्योग स्तर पर

स्टार्टअप और उद्यमियों के लिए एक सहायक पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए एआईएम विश्वविद्यालयों, संस्थानों, कॉर्पोरेट आदि में अटल इन्क्यूबेशन सेंटर (एआइसी) नामक विश्वस्तरीय इनक्यूबेटर स्थापित कर रहा है जो विश्व–स्तर के अभिनव स्टार्टअप को बढ़ावा देंगे और मापनीय और सतत उपक्रम बनेंगे।

अब तक एआईएम ने विश्व–स्तर के इनक्यूबेटर की स्थापना के लिए 102 विश्वविद्यालयों/संस्थानों/निजी संगठनों का चयन किया है, जिनमें से प्रत्येक हर चार साल में 40–50 विश्व–स्तर के स्टार्टअप की स्थापना और देखरेख को बढ़ावा देगा। उनमें से 68 पहले से ही 1250 से अधिक ऑपरेशनल स्टार्टअप्स के साथ चालू हैं और शेष इस साल के दौरान चालू हो जाएंगे।

3) अटल समुदाय नवाचार केंद्र (एसीआईसी)– भारत के अविकसित और अल्प–विकसित क्षेत्रों को सेवा प्रदान करना

प्रौद्योगिकी के लाभों को बढ़ावा देने के लिए टियर 2, टियर 3 शहरों, आकांक्षी ज़िलों, आदिवासी, पहाड़ी और तटीय क्षेत्रों सहित भारत के अविकसित और अल्प–विकसित क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एआईएम एक अनूठे भागीदारी संचालित मॉडल के साथ अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र स्थापित कर रहा है जिसमें एआईएम समान या अधिक मिलान राशि का योगदान करने वाले

भागीदार को एसीआइसी के लिए 2.5 करोड़ रुपये तक का अनुदान देगा। देश भर से 300 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं और अगले दो वर्षों के दौरान 50 से अधिक एसीआइसी की स्थापना की जाएगी।

4) अटल न्यू इंडिया चैलेंज़िस (एएनआइसी)– राष्ट्रीय प्रभाव के साथ उत्पाद और सेवा नवाचार

राष्ट्रीय सामाजिक–आर्थिक प्रभाव वाले उत्पाद और सेवा नवाचारों की स्थापना के लिए, एआईएम ने केंद्र सरकार के पांच अलग–अलग मंत्रालयों और विभागों की साझेदारी में 24 अटल न्यू इंडिया चैलेंज़िस शुरू की हैं। 950 से अधिक आवेदनों में से 52 विजेताओं को अनुदान सहायता और एआईएम के इनक्यूबेटर/सलाहकार द्वारा मार्गदर्शन के लिए चुना गया है।

5) लघु उद्योगों के लिए व्यावहारिक शोध एवं नवाचार (एआरआइएसई)– एमएसएमई उद्योग में नवाचार को बढ़ावा

एमएसएमई/स्टार्टअप क्षेत्र में चरणबद्ध तरीके से नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए एआईएम सहभागी मंत्रालयों के साथ (एआरआइएसई) लघु उद्योगों के लिए व्यावहारिक शोध एवं नवाचार लांच करेगा, ताकि उत्पाद विकास और वाणिज्यिक परिनियोजन के बाद उत्कृष्ट अनुसंधान अवधारणाओं को व्यवहार्य मौलिक प्रोटोटाइप में बदल दिया जाए।

6) परिवर्तन के परामर्शदाता (संरक्षण एवं सहभागिता– सार्वजनिक, निजी क्षेत्र, एनजीओ, शिक्षा क्षेत्र, संस्थानों के साथ)

सभी पहलों की सफलता के लिए एआईएम ने सबसे बड़े परामर्शदाता अनुबंध और प्रबंधन कार्यक्रम "मेंटर इंडिया – द मेंटर्स ऑफ़ चेंज" को आरंभ किया है। आज तक एआईएम के पास एआईएम इनोवेट पोर्टल पर देशभर में 10000 से अधिक पंजीकरण हैं, जिनमें से 4000 से अधिक एटीएल और एआईसी को आवंटित किए गए हैं।

सामाजिक–आर्थिक मोर्चे पर उत्कृष्ट नवाचारों और उद्यमशीलता की पहल को गतिशील बनाने के लिए सूक्ष्म वित्त और ग्रामीण वित्तपोषण योजनाओं का समय आ चुका है। लैंगिक समानता सुनिश्चित करना, आर्थिक विषमता को दूर करना और निशक्त जन समुदायों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। भारत जैसी तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं को भी जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों से बेहद सावधान रहने की ज़रूरत है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि सतत विकास लक्ष्य हर संगठन का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य बने रहें।

सतत विकास के लिए उद्यमिता और स्टार्टअप को बढ़ावा देने से ही भारत को उपरोक्त स्तंभों को मज़बूत करने पर ध्यान केंद्रित करके नए भारत की अभिनव उद्यमशीलता की भावना जागृत करने में मदद मिलेगी, जो लंबे समय से वांछित विकास, समृद्धि और कल्याण का एक अभूतपूर्व आंदोलन सुनिश्चित करेगा जो शेष विश्व के हितों की पूर्ति कर सकता है।

(लेखक श्री आर. रमणन नीति आयोग में अतिरिक्त सचिव और अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) के मिशन निदेशक हैं; श्री नमन अग्रवाल सीनियर एसोसिएट, नीति आयोग और श्री हिमांशु अग्रवाल यंग प्रोफेशनल, नीति आयोग हैं।)

(लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।)

ई–मेल : naman.agrawal@nic.in

कृषि स्टार्टअप्स से नवाचार को बढ़ावा

–डॉ. जगदीप सक्सेना

अपना उद्यम शुरू करने के इच्छुक युवाओं के बीच कृषि स्टार्टअप्स की लोकप्रियता तेज़ी से बढ़ रही है। कृषि स्टार्टअप्स के माध्यम से भारतीय कृषि में विज्ञान, तकनीक और नवोन्मेष का समावेश हो रहा है। कृषि उत्पादकता और किसानों की आमदनी में वृद्धि के साथ कृषि क्षेत्र में रोज़गार की संभावनाएं भी प्रबल हो रही हैं। भारतीय कृषि के नव–परिवर्तन में कृषि स्टार्टअप्स एक प्रभावशाली और मुखर भूमिका के लिए तत्पर हैं।

भारतीय कृषि नव–परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। अब हमारा देश संपूर्ण कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता से आगे बढ़कर अनेक कृषि तथा खाद्य उत्पादों के निर्यात की सुखद अवस्था में है। भारत सरकार की व्यापार तथा निर्यात अनुकूल नीतियां कृषि को एक लाभकारी उद्यम तथा व्यवसाय के रूप में बदल रही हैं। कृषि तथा कृषि व्यवसाय के विकास को नवीन तकनीकों तथा नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी का साथ भी मिला है। कृषि के प्रत्येक क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों के कारण उत्पादकता, कुशलता और लाभदायकता में वृद्धि दर्ज की जा रही है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए देश के युवाओं ने कृषि के क्षेत्र में मुख्य रूप से तकनीक–आधारित स्टार्टअप की शुरुआत करके भारतीय कृषि के आयामों को एक नई दिशा दी है।

भारत सरकार द्वारा कृषि स्टार्टअप को तकनीकी तथा वित्तीय प्रोत्साहन देने के लिए कुछ प्रभावी योजनाएं लागू की गई हैं। कृषि स्टार्टअप के माध्यम से रोज़गार और किसानों की आमदनी में वृद्धि की संभावनाएं बेहतर हुई हैं। अपनी परिभाषा के अनुसार स्टार्टअप छोटे और नए उद्यम हैं, जो मुख्य रूप से नई तकनीक या नवोन्मेष पर आधारित होते हैं। अपनी नई सोच के कारण स्टार्टअप से परंपरागत प्रक्रियाओं को नई दिशा मिलती है, जो अंततः सभी संबंधितों के लिए लाभकारी सिद्ध होती है। इस कारण कृषि और कृषि व्यवसाय में नवोन्मेष आधारित विकास संस्कृति को प्रोत्साहन मिल रहा है। कृषि के आर्थिक विकास में स्टार्टअप्स को एक नई और उज्जवल संभावना के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि स्टार्टअप्स मुख्य रूप से किसी प्रचलित समस्या या अभाव का तकनीक आधारित समाधान प्रस्तुत करते हैं।

नई आशाएं, नई संभावनाएं

भारत में स्टार्टअप्स की विधिवत् शुरुआत सन् 2008 से मानी जाती है, जब वैश्विक आर्थिक मंदी के दौर में आईटी–आधारित स्टार्टअप्स बेहतरी की एक नई संभावना के रूप में सामने आए थे। परंतु स्टार्टअप्स को विशेष वेग और बल प्राप्त हुआ 16 जनवरी, 2016 को जब भारत सरकार ने 'स्टार्टअप इंडिया' अभियान की शुरुआत की। आज हमारे देश में विश्व का तीसरा सबसे विशाल स्टार्टअप नेटवर्क/परिवेश मौजूद है, जिसमें लगभग

50,000 स्टार्टअप तत्परता से कार्य कर रहे हैं (2018)। इनकी संख्या में वार्षिक वृद्धि दर 12–15 प्रतिशत आंकी गई है। मुख्य रूप से युवाओं द्वारा स्टार्टअप को बड़े पैमाने पर अपनाया जा रहा है, जिसमें लगभग 12–14 प्रतिशत महिलाएं शामिल हैं। इस समय देश के 26 राज्यों में स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष नीतियां बनाई गईं हैं। स्टार्टअप्स की स्थापना के प्रारंभिक दौर में कृषि क्षेत्र को विशेष महत्व प्राप्त नहीं था, परंतु जैसे–जैसे कृषि की समस्याओं के तकनीकी समाधान सामने आए और कृषि क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खुले, वैसे–वैसे कृषि क्षेत्र में भी स्टार्टअप्स के गठन ने ज़ोर पकड़ लिया। वर्ष 2013 से 2017 के दौरान कुल 366 कृषि स्टार्टअप्स की स्थापना हुई। 'नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कम्पनीज़' (नैसकॉम) की पिछले वर्ष जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में 450 से अधिक कृषि स्टार्टअप्स सक्रिय हैं और इनकी वार्षिक वृद्धि दर लगभग 25 प्रतिशत आंकी गई है। पिछले पांच वर्षों में 25 से अधिक कृषि स्टार्टअप्स ने विश्व पटल पर अपनी जगह बनाई है। राज्यवार देखें तो 50 प्रतिशत से अधिक कृषि स्टार्टअप्स बेंगलुरु, मुंबई और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में केंद्रित हैं। इसके बाद हरियाणा (8 प्रतिशत), तमिलनाडु (7 प्रतिशत) और गुजरात का स्थान है।

कृषि स्टार्टअप का विकास किसी प्रचलित समस्या के तकनीकी समाधान हेतु एक व्यावसायिक विचार से प्रारंभ होता है, जो आमतौर पर इसके संस्थापक या उसकी छोटी–सी टीम का मौलिक विचार होता है। इस विचार को व्यवसाय की कसौटी पर जांच–परख कर, व्यावहारिक धरातल पर उतारना और व्यवसाय के रूप में स्थापित करना एक कठिन, श्रमसाध्य और लंबी प्रक्रिया है। परंतु भारत सरकार की स्टार्टअप अनुकूल नीतियों ने इसे अपेक्षाकृत आसान बना दिया है। विशेष रूप से कृषि के क्षेत्र में अपार संभावनाओं के कारण स्टार्टअप की राह में सफलता दर उत्साहजनक है। कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप की संभावनाओं को कुछ प्रमुख वर्गों या थीम्स में बांटा जा सकता है।

- **ई–कॉमर्स और बाज़ार से जुड़ाव (मार्केट लिंकेज) :** कृषि उपज को उचित मूल्य पर बाज़ार/मंडी में बेचकर लाभ प्राप्त करना किसानों के लिए कठिन चुनौती है। विशेषकर छोटे किसानों के लिए यह और भी कठिन हो जाता है, क्योंकि उनकी उपज की मात्रा कम होती है, जिस कारण परिवहन पर अधिक खर्च हो जाता है। कृषि उपज की बिक्री के परिदृश्य से बिचौलियों/आढ़तियों को हटाकर किसानों का सीधे ग्राहकों या बाज़ार से संबंध जोड़ने के लिए स्टार्टअप्स बनाए गए हैं और इसे एक बड़ी संभावना के रूप में देखा जा रहा है। इसी प्रकार की सुविधा बाज़ार से कृषि आदानों की खरीद के लिए भी दी जा रही है। कुछ स्टार्टअप्स ने ई–कॉमर्स कंपनियों के माध्यम से किसानों की उपज को सीधे शहरी स्टोर्स तक पहुंचाने की व्यवस्था भी की है।
- **कृषि मशीनरी की सुविधा :** आधुनिक कृषि में अनेक कृषि कार्यों के लिए कुशल मशीनों तथा उपकरणों की आवश्यकता होती है, जिनकी कीमत अधिक होती है। इन मशीनों को किराए/लीज़ पर किसानों को उपलब्ध कराना एक लाभकारी उद्यम के रूप में सामने आया है। इस वर्ग के स्टार्टअप्स कृषि में आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन भी दे रहे हैं। मशीनरी के साथ उसके उपयोग की जानकारी भी दी जाती है।
- **कृषि सुविधाएं :** कृषि कार्यों के दौरान किसानों को अनेक सहायक सुविधाओं और जानकारी की आवश्यकता होती है। जैसे मिट्टी–पानी की जांच, सही समय पर बुआई, सिंचाई, कटाई और उर्वरक/खाद लगाना, आदि। इन कार्यों के लिए सही जानकारी के साथ किसानों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना स्टार्टअप्स के लिए लाभकारी व्यवसाय है। इसके अंतर्गत मौसम के पूर्वानुमान के आधार पर किसानों को सचेत करना, कृषि कार्यों की जानकारी देना भी शामिल किया जाता है।
- **कृषि भंडारण व प्रसंस्करण :** कुछ स्टार्टअप्स द्वारा किसानों को फसलों की कटाई के बाद उसके उचित रखरखाव, भंडारण तथा प्रसंस्करण आदि की जानकारी दी जाती है और आवश्यक मशीनरी तथा सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। इससे उपज की बर्बादी पर रोक लगती है और किसानों का लाभ बढ़ता है। इस प्रकार के प्रयास कृषि उपज को तत्काल मंडी/बाज़ार तक पहुंचाने के लिए भी किए जा रहे हैं।
- **कंप्यूटर और इंटरनेट आधारित सुविधाएं :** स्टार्टअप्स के लिए इंटरनेट के उपयोग से किसानों को सही जानकारी देना एक विशाल संभावना वाला क्षेत्र है। अनेक मोबाइल एप्स बनाए गए हैं, जो मौसम के पूर्वानुमान से लेकर मंडी के ताज़ा भाव तक की जानकारी देते हैं। फसल कब और कहां बेचनी चाहिए, इसकी जानकारी भी देते हैं। मोबाइल एप्स के माध्यम से किसानों को सुविधाएं उपलब्ध कराना भी इसमें शामिल है। ड्रोन, सेंसर्स और 'बिगडाटा' विश्लेषण जैसी आधुनिक तकनीकों को भी स्टार्टअप्स के माध्यम से खेतों तक पहुंचाया जा रहा है।
- **डिजिटल सशक्तीकरण :** स्टार्टअप्स के माध्यम से किसानों का डिजिटल सशक्तीकरण उन्हें वित्तीय कंपनियों और सरकारी योजनाओं से जोड़ रहा है, ताकि वे इन सुविधाओं का लाभ उठा सकें। इससे किसानों के लिए वित्तीय कंपनियों से ऋण लेना आसान और सहज हो गया है। दूसरी ओर, वित्तीय कंपनियों को भी किसानों के ऋण व्यवहार की पूर्व जानकारी रहती है, जिससे उनका जोखिम कम होता है।
- **आधुनिक उत्पाद :** बायो–टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी जैसी अनेक आधुनिक तकनीकों के माध्यम से कृषि उपयोगी उत्पाद बनाना और उन्हें किसानों तक पहुंचाना स्टार्टअप्स के लिए एक संभावनापूर्ण विकल्प है। इसके माध्यम से उर्वरक, कीटरोधी व रोगरोधी उत्पाद, फसल वृद्धि बढ़ाने वाले उत्पाद,

आदि तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही नवोन्मेष आधारित उपकरण भी बनाए जा रहे हैं, जो किसान की उपज के श्रेणीकरण, प्रसंस्करण, भंडारण आदि में सहायता करते हैं।

- **अन्य सुविधाएं :** कुछ स्टार्टअप्स ने प्रचलित सुविधाओं को कुशलता के साथ और पैकेज के रूप में किसानों तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। इसके अंतर्गत बायोगैस प्लांट, सोलर पैनल, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई आदि की सुविधाएं किसानों तक पहुंचाई जाती हैं।

स्टार्टअप्स के लिए ऊपर बताए गए विषय क्षेत्र केवल सांकेतिक हैं। कृषि एक व्यापक और विविधतापूर्ण क्षेत्र है, जिसमें लगभग हर कदम पर स्टार्टअप शुरू करने की संभावना मौजूद है।

विकास के सहारे और साथी

कृषि क्षेत्र हो या कोई अन्य क्षेत्र, स्टार्टअप्स को विकास और व्यावसायिक सफलता के लिए तकनीकी मार्ग निर्देशन, वित्तीय सहायता, बाज़ार सहायता तथा अन्य सहायक सुविधाओं की आवश्यकता होती है। इनके बिना स्टार्टअप का पांव जमाना बहुत कठिन हो जाता है। कृषि क्षेत्र में इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए कई संस्थाएं और योजनाएं सामने आई हैं, जिन्हें सामूहिक तौर पर 'इनक्यूबेटर्स' या 'एक्स्लीरेटर्स' कहा जाता है।

स्टार्टअप्स के लिए लगभग अनिवार्य है कि उनका विकास किसी नई तकनीक या नवोन्मेष पर आधारित हो। इस दिशा में पहला कदम उठाते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने सन् 2010 में देश के विभिन्न भागों में स्थित अपने राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों में उनके विषय क्षेत्र के अनुसार 24 'इनक्यूबेटर्स' की स्थापना की जिन्हें 'बिजनेस प्लनिंग एंड डेवलपमेंट' यानी बीपीडी यूनिट्स कहा गया। इसके अंतर्गत स्टार्टअप्स को नई तकनीक उपलब्ध कराने के साथ अनुसंधान सहायता, कार्यालय के लिए स्थान, आईसीटी सुविधाएं, प्रबंधन और बाज़ार संबंधी सलाह, कानूनी और वित्तीय सेवाएं आदि उपलब्ध कराई गईं। उद्देश्य था कि देश में कृषि स्टार्टअप्स के विकास की एक मज़बूत लहर उत्पन्न हो, जिसका लाभ किसानों सहित उद्यमियों तथा अन्य संबंधितों को मिले।

'इनक्यूबेटर्स' की सहायता से 150 से अधिक स्टार्टअप्स और कंपनियों को व्यावसायिक सफलता का अवसर मिला। ये सभी स्टार्टअप्स आईसीएआर विकसित तकनीकों को अपनाकर आगे बढ़े हैं। इसके अंतर्गत कृषि संबंधी विभिन्न विषय शामिल किए गए, परंतु सबसे अधिक संख्या खाद्य उत्पादों और प्रक्रियाओं संबंधी स्टार्टअप्स की रही। वर्तमान में आईसीएआर अपने संस्थान राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी (आईसीएआर–नार्म, हैदराबाद) के माध्यम से और भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से एक 'टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर' का संचालन कर रहा है। इसे 'ए–इंडिया' का नाम दिया गया है, जिसका पूरा नाम है 'एसोसिएशन फॉर इनोवेशन डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन एग्रीकल्चर' इसके माध्यम से स्टार्टअप्स को व्यावसायिक विकास की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसी क्रम में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से हैदराबाद स्थित अंतरराष्ट्रीय संस्थान 'इक्रीसेट' (इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स) में सन् 2017 में 'इनोवेशन हब' की स्थापना की गई। इसके अंतर्गत स्टार्टअप उद्यमियों, वैज्ञानिकों, तकनीकी विशेषज्ञों को एक मंच साझा करने का अवसर दिया गया ताकि व्यवसाय–अनुकूल तकनीक को चुनकर परिष्कृत किया जा सके और युवाओं को व्यवसाय के लिए सौंपा जा सके। यह लगभग 10,000 वर्ग फुट में फैली एक विशाल सुविधा है, जिसमें स्टार्टअप्स के विकास के लिए आवश्यक सभी घटक मौजूद हैं। इसका उद्देश्य युवाओं के साथ छोटे किसानों को लाभ पहुंचाना भी है। भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम), अहमदाबाद में 'सेंटर फॉर इनोवेशन, इनक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप (सीआईआईई) नाम से एक केंद्र संचालित किया जा रहा है, जो स्टार्टअप को इनोवेशन के साथ प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराता है। इस केंद्र ने आईसीएआर–नार्म के साथ साझेदारी में खाद्य एवं कृषि व्यवसाय एक्स्लीरेटर की स्थापना की है।

नार्म के ए–इंडिया और आईआईएम–अहमदाबाद के सीआईआईई ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से सन् 2015 में कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से देश का पहला 'कृषि उड़ान' कार्यक्रम संचालित किया। इसने खाद्य एवं कृषि व्यवसाय एक्सीलेरेटर की भांति कार्य करते हुए कृषि स्टार्टअप्स को आवश्यक बुनियादी सुविधाएं तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए लगभग 200 कृषि स्टार्टअप्स ने आवेदन किया, जिनमें से 40 संभावनापूर्ण स्टार्टअप्स को चुनकर व्यवसाय के लिए तैयार किया गया। इनमें से आठ को स्टार्टअप व्यवसाय में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार किया गया और तीन स्टार्टअप्स को लगभग 2.5 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता भी प्राप्त हुई। सन् 2017 में कृषि उड़ान का दूसरा और सन् 2019 में तीसरा संस्करण संचालित किया गया। दूसरा संस्करण छह महीने का एक निश्चित कार्यक्रम था, जिसमें लगभग 580 स्टार्टअप्स ने आवेदन किया और 40 स्टार्टअप्स को मार्गनिर्देशन तथा सहायता देकर व्यवसाय के लिए तैयार किया गया। कुल 10 स्टार्टअप्स को आगे की सहायता के लिए चुना गया, जिनमें से चार स्टार्टअप्स 6.25 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जुटाने में सफल रहे। कृषि उड़ान का तीसरा संस्करण चार से छह महीने का कार्यक्रम था और इसके अंतर्गत कृषि स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए बैंगलुरु, पुणे, पटना, लखनऊ, गुरुग्राम, भोपाल और गुवाहाटी में 'रोड शो' आयोजित किए गए। पूर्व के दो संस्करणों की अपेक्षा इसका प्रभाव और इसमें स्टार्टअप्स की भागीदारी अधिक प्रभावशाली रही।

हैदराबाद स्थित 'नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट' (मैनेज) ने कुछ विशेष क्षेत्रों में कृषि स्टार्टअप्स के विकास के लिए 'एग्री–क्लीनिक व एग्री–बिजनेस इनक्यूबेशन

सेंटर' स्थापित किया है। इसके अंतर्गत युवा उद्यमियों को मुख्य रूप से कृषि आदान, कृषि आईसीटी, पशुपालन, स्वास्थ्य तथा पोषण, कृषि सेवा केंद्र, फसल कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी, कृषि यंत्रीकरण, 'सप्लाई चेन' प्रबंधन, मात्स्यिकी और कृषि भंडार प्रबंधन के क्षेत्र में व्यवसाय के लिए प्रेरित और प्रशिक्षित किया जाता है। संभावित उद्यमियों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने से लेकर क्षमता निर्माण, तकनीकी व व्यावसायिक मार्ग निर्देशन, नेटवर्किंग और वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इस इनक्यूबेशन सेंटर द्वारा अब तक 54 हजार से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है, जिनमें से लगभग 23 हजार ने अपना व्यवसाय शुरू कर दिया है। कुछ ने सफल उद्यम के रूप में अपनी पहचान बनाई है, जबकि अनेक युवा स्टार्टअप के माध्यम से अपनी जगह बना रहे हैं।

प्रोत्साहन और पैकेज

'स्टार्टअप इंडिया' के अभियान में कृषि को विशेष महत्त्व देने के लिए प्रधानमंत्री ने सन् 2018 में 'स्टार्टअप एग्री इंडिया' कार्यक्रम शुरू करने की सिफारिश की ताकि कृषि प्रक्रियाओं को अधिक नवोन्मेषी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि युवा प्रतिभाओं को कृषि की ओर आकर्षित करके सर्वथा नवीन विचारों के साथ स्टार्टअप शुरू करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) में 'हैकेथॉन' आयोजित करने की आवश्यकता है। पुनः जुलाई, 2020 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसंधान कार्यों की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि और संबंधित क्षेत्रों में तकनीक के उपयोग और नवोन्मेष को सुनिश्चित करने के लिए स्टार्टअप्स और कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देना आवश्यक है। किसानों को उनकी मांग और आवश्यकता के अनुसार उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि अनुसंधान संस्थानों में चुनी गई कृषि समस्याओं का समाधान खोजने के लिए प्रत्येक दो वर्ष में 'हैकेथॉन' आयोजित करने चाहिए। उन्होंने ऐसे यंत्रों व उपकरणों के विकास पर ज़ोर दिया, जिनसे कृषि कार्यों में मशक्कत को कम किया जा सके, क्योंकि खेत में बड़ी संख्या में खेतिहर महिलाएं श्रम करती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषक समुदायों के पारंपरिक ज्ञान और युवाओं के तकनीकी कौशल के मेल से भारतीय कृषि के परिदृश्य में क्रांतिकारी बदलाव संभव है। प्रधानमंत्री की अनुशंसा के अनुसार कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय तथा अन्य संबंधित विभागों में कृषि स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने की योजनाएं तत्परता से लागू की जा रही हैं।

कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय की व्यापक राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत कृषि स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए इसके अंतर्गत 'नवोन्मेष एवं कृषि उद्यमिता विकास कार्यक्रम' के नाम से एक अन्य घटक जोड़ा गया। इसमें चुने गए कृषि स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता तथा अन्य 'इनक्यूबेशन' सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, ताकि वे व्यावसायिक रूप से सफल होकर अपने पैरों पर खड़े हो सकें। ये स्टार्टअप्स मुख्य रूप से कृषि प्रसंस्करण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल कृषि, कृषि यंत्रीकरण, व्यर्थ से संपदा, डेयरी और मात्स्यिकी आदि क्षेत्रों से चुने गए हैं। मंत्रालय ने पांच संस्थानों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में ज्ञान–विज्ञान की साझेदारी के लिए चुना है। ये हैं :

- राष्ट्रीय कृषि प्रसार प्रबंधन संस्थान (मैनेज), हैदराबाद,
- राष्ट्रीय कृषि मार्केटिंग संस्थान, जयपुर
- भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (पूसा), नई दिल्ली
- कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़, कनार्टक, और
- असम कृषि विश्वविद्यालय, ज़ोरहाट, असम।

इसके साथ ही देश भर में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 29 'कृषि व्यवसाय इनक्यूबेटर्स' भी स्थापित किए गए हैं, जो चुने गए कृषि स्टार्टअप्स को व्यवसाय के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करते हैं। इसके अंतर्गत उपलब्ध कराए जाने वाले प्रमुख घटक इस प्रकार हैं:

- कृषि उद्यमिता के विकास के लिए दो महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसमें युवा उद्यमी को 10,000 रुपये मासिक की सहायता राशि भी दी जाती है। इस दौरान तकनीक से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण के साथ बौद्धिक संपदा और वित्तीय पक्षों पर भी सलाह देकर युवा उद्यमियों को जागरूक बनाया जाता है।
- विचार की अवस्था पर कार्य करने के लिए उद्यमी को पांच लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें उद्यमी को 10 प्रतिशत का अपना योगदान देना अनिवार्य होता है।
- इसके बाद की अवस्था में, जिसे 'सीड–स्टेज' कहते हैं, उद्यमी को 25 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसमें उद्यमी को 15 प्रतिशत का अपना योगदान देना अनिवार्य होता है।

इस योजना के अंतर्गत अब तक कुल 346 कृषि स्टार्टअप्स को लगभग 3672 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है। इस राशि को किश्तों में उपलब्ध कराया जा रहा है।

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा कृषि एवं ग्रामीण स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2019–20 के दौरान लगभग 100 स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया। इसके लिए 'नैबवेंचर्स' के नाम से एक सब्सिडरी कंपनी का गठन किया गया है, जो लगभग एक हजार करोड़ रुपये के विशेष कोष के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। नाबार्ड ने 16 'आल्टरनेटिव इंवेस्टमेंट फंड्स' के माध्यम से 50 कृषि उद्यमों को 272 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की है।

चुनौती और सफलता

प्रधानमंत्री के आह्वान पर कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय ने 15 दिसंबर, 2017 को नवोन्मेष के माध्यम से कृषि संबंधी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए 'एग्रीकल्चर ग्रैंड चैलेंज'

नाम से एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन किया। यह कृषि स्टार्टअप्स के लिए एक चुनौती थी कि वे समस्या का व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य समाधान खोजें और सरकार से 'इनक्यूबेशन' सुविधाएं तथा वित्तीय सहायता प्राप्त करें। कृषि मंत्रालय की ओर से कुल 12 समस्याओं पर समाधान खोजने की चुनौती पेश की गई।

- मिट्टी में पोषक और सूक्ष्म पोषक पदार्थों की जांच के लिए सेंसर आधारित त्वरित और सरल जांच का विकास।
- कृषि के इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार (ई–नाम) में कृषि जिंसों की विशाल मात्रा का वास्तविक समय में त्वरित श्रेणीकरण।
- कृषि प्रसंस्करणकर्ताओं को कृषि उद्यमी/किसान से सीधे जोड़ने के लिए ई–बाज़ारों का विकास यानी 'फार्म टू फोर्क' मॉडल।
- दाल/तिलहन/आलू/प्याज/टमाटर की बुआई के समय उनकी उपज मूल्य का पूर्वानुमान।
- सरकारी योजनाओं के लाभ को सीधे किसानों तक पहुंचाने के लिए कृषि प्रसार के ऑनलाइन प्लेटफार्म का विकास।
- गांव या खेत के स्तर पर उपज अनुमान का मॉडल।
- कृषि उपज (फल, सब्जी, फूल) की छंटाई/श्रेणीकरण और टिकाऊपन बढ़ाने के लिए तकनीक का उपयोग।
- ताज़े उत्पादों में मिलावट की जांच के लिए तकनीक का उपयोग।
- ऑनलाइन या कॉल सेंटर मॉडल पर कृषि आदानों की उपलब्धता।
- धान की पराली के वैकल्पिक उपयोग।
- कीटनाशकों के सुरक्षित विकल्प का विकास।
- भारत में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए कम लागत।
- आसान तकनीकों, उत्पादों, सेवाओं आदि का विकास।

मंत्रालय को देश भर से एक हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से लगभग 400 को कई महीने तक कार्यशालाओं के माध्यम से तैयार किया गया, और इसके बाद पुनः स्क्रीनिंग तथा इंटरव्यू किए गए। अंत में कुल स्टार्टअप्स को उनके नवोन्मेषी समाधान की प्रभावशीलता तथा व्यावहारिकता के आधार पर चुना गया। इनमें से कुछ की झलक प्रस्तुत है :

- मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच के लिए एक ऐसे किट का विकास हुआ, जो मिनटों में सटीक रिपोर्ट देती है। कीमत पांच हजार रुपये से भी कम है।
- कृषि उपज का चंद मिनटों में श्रेणीकरण करने वाली तकनीक विकसित की गई।
- शहरी आबादी की किराना आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 'अर्बन फार्म' मॉडल का विकास।
- बुआई के समय उपज की कीमत का पूर्वानुमान लगाने वाले डिजिटल समाधान का विकास।
- सेटेलाइट द्वारा डाटा के आधार पर उपज के पूर्वानुमान के मॉडल का विकास।
- किसानों को कृषि आदानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्लेटफार्म तैयार किए गए।
- कीटनाशकों के विकल्प के रूप में फेरोमोंस का उपयोग और छिड़काव के लिए ड्रोंस का उपयोग।

कृषि के क्षेत्र में अपार व्यावसायिक संभावनाओं, अनुसंधान और नवोन्मेष आधारित तकनीकों की उपलब्धता, कृषि स्टार्टअप्स के विकास के लिए अनुकूल वातावरण और नीतियां तथा वित्तीय सहायता की अनेक योजनाओं ने देश में कृषि स्टार्टअप्स की लहर को तेज़ कर दिया है। अपना उद्यम शुरू करने के इच्छुक युवाओं के बीच कृषि स्टार्टअप्स की लोकप्रियता तेज़ी से बढ़ रही है। कृषि स्टार्टअप्स के माध्यम से भारतीय कृषि में विज्ञान, तकनीक और नवोन्मेष का समावेश हो रहा है। कृषि उत्पादकता और किसानों की आमदनी में वृद्धि के साथ कृषि क्षेत्र में रोज़गार की संभावनाएं भी प्रबल हो रही हैं। भारतीय कृषि के नव–परिवर्तन में कृषि स्टार्टअप्स एक प्रभावशाली और मुखर भूमिका के लिए तत्पर हैं।

(लेखक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली में प्रधान संपादक रह चुके हैं।)

ई–मेल : jagdeepsaxena@yahoo.com

आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करते कृषि स्टार्टअप

–ऐश्वर्या चौहान और नवजीत कुमार

कृषि स्टार्टअप आज की तेज़ एवं गतिशील अर्थव्यवस्था में न केवल फल–फूल रहे हैं बल्कि अनूठे समाधान एवं तकनीक विकसित कर रहे हैं और रोज़गार सृजन भी कर रहे हैं। स्टार्टअप द्वारा तैयार अनूठे समाधान एवं तकनीकें समाज पर कई गुना प्रभाव डाल रही हैं। निजी क्षेत्र से ही नहीं बल्कि सरकारी क्षेत्र से भी नवाचारों या नई ईजादों की मांग बढ़ी है।

भारतीय कृषि क्षेत्र का परिदृश्य

भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की अहम भूमिका है। दुनिया के 10वें सबसे बड़े भू–संसाधन भारत में ही मौजूद हैं और 20 कृषि जलवायु क्षेत्रों के साथ दुनिया की सभी 15 प्रमुख जलवायु भी भारत में मिलती हैं। दुनिया में मिलने वाली 60 प्रकार की मिट्टी में से 46 प्रकार की मिट्टी देश में मिलती है।[1] 58 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण परिवारों के लिए आजीविका का प्रमुख साधन खेती ही है।[2] वर्ष 2019–20 में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों द्वारा सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) में 4 प्रतिशत वृद्धि[3] दर्ज की गई थी और बढ़ती आबादी तथा ग्रामीण एवं शहरी आय ने कृषि उत्पादों की मांग में होने वाली वृद्धि को तेज़ किया है। भारत का खाद्य एवं किराना बाज़ार दुनिया का छठा सबसे बड़ा बाज़ार है, जिसमें 70 प्रतिशत बिक्री खुदरा ही होती है।[4] खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भारत में छठा सबसे बड़ा उद्योग है और उत्पादन, खपत, निर्यात तथा संभावित वृद्धि के लिहाज से इसे पांचवें पायदान पर रखा गया है।[5] साथ ही, अप्रैल 2000 से मार्च 2020 तक कृषि सेवा में 2.16 अरब डॉलर तथा कृषि मशीनरी में 57.4 करोड़ डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) भी आया है।[6] भारत मसालों, दलहन, दूध, चाय, काजू तथा जूट का सबसे बड़ा उत्पादक और गेहूं, चावल, फल एवं सब्जी, गन्ने, कपास एवं तिलहन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भी है। भारत इस समय दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कृषि रसायन उत्पादक है।[7]

वर्ष 2020–21 के केंद्रीय बजट के अनुसार कृषि मंत्रालय के लिए 40.06 अरब डॉलर का आवंटन किया गया।[8] भारत सरकार ने कृषि, पशुपालन एवं बागान क्षेत्र में स्वतः (ऑटोमैटिक) मार्ग से 100 प्रतिशत एफडीआई की इजाजत भी दे दी है।[9] साथ ही इस क्षेत्र एवं इसके कामगारों को ज़रूरी बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही में संसद ने तीन कृषि सुधार

1. https://www.investindia.gov.in/sector/agriculture-forestry 2. https://www.investindia.gov.in/sector/agriculture-forestry 3. https://www.investindia.gov.in/sector/agriculture-forestry 4. https://www.ibef.org/industry/agriculture-india.aspx 5. https://www.ibef.org/industry/agriculture-india.aspx 6. https://www.investindia.gov.in/sector/agriculture-forestry 7. http://ficci.in/spdocument/23049/Agri-start-ups-Knowledge-report-ficci.pdf 8. https://www.investindia.gov.in/sector/agriculture-forestry 9. https://www.investindia.gov.in/sector/agriculture-forestry

अधिनियम पारित किए और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद उन्हें कानून का रूप दे दिया गया– कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) अधिनियम, कृषक (सशक्तीकरण तथा संरक्षण) मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवा करार अधिनियम और आवश्यक जिंस (संशोधन) अधिनियम। सुधारों का लक्ष्य बुनियादी ढांचा निर्माण एवं राष्ट्रीय तथा वैश्विक बाज़ारों में कृषि उत्पादों के लिए आपूर्ति शृंखलाएं तैयार करने में निजी क्षेत्र के निवेश के ज़रिए क्षेत्र में वृद्धि तेज़ करना है। साथ ही, कानूनों का उद्देश्य छोटे किसानों की मदद करना भी है, जिनके पास अपनी उपज की बेहतर कीमत पाने के लिए मोलभाव करने का या खेतों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए तकनीक में निवेश करने का साधन नहीं होता। इसमें किसानों को कृषि उत्पाद एवं विपणन समिति की मंडियों के बाहर अपनी मर्जी से किसी को भी अपनी उपज बेचने की इजाजत दी गई है, जिससे किसानों को प्रतिस्पर्धा के कारण बेहतर कीमत मिलेगी तथा ढुलाई पर उनका खर्च भी बचेगा।[10] इस क्षेत्र के लिए नए कृषि कानूनों की संपूर्ण सफलता का आकलन कुछ समय बाद ही किया जा सकेगा।

कृषि उद्यमिता

सरकार कृषि क्षेत्र में वृद्धि तेज़ करने का प्रयास कर रही है और देश के उभरते हुए उद्यमी नई पहलों एवं नई तकनीकों के विकास के ज़रिए लगातार इस क्षेत्र में योगदान कर रहे हैं। आधुनिक तकनीकें तथा पद्धतियां निश्चित रूप से कृषि को अगले स्तर तक ले जाएंगी और किसानों का बोझ कम करेंगी। इसीलिए देश में कृषि स्टार्टअप्स के लिए बड़ी संभावना तैयार हो गई है। कृषि को कृषि कारोबार में बदलना अहम रणनीति है, जहां उद्यमशील किसान लाभकारी खेती करते हैं।

दुनिया में हर नौवां कृषि तकनीकी (एग्रीटेक) स्टार्टअप भारत से ही है। पिछले एक दशक में शिक्षित युवाओं की फौज ने इस क्षेत्र को दिशा दी हैं। इन युवाओं के पास खेती को आदिम सांचे से निकालकर उच्च तकनीक वाली (हाई–टेक) बनाने के लिए नई तकनीक एवं कारोबारी मॉडल शुरू करने के विचार, जुनून तथा नवाचारी दिमाग है। स्टार्टअप कृषि मूल्य शृंखला की छूटी हुई कड़ियां बना रहे हैं तथा किसानों को कारगर उत्पाद, तकनीक एवं सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

दुनिया में हर नौवां कृषि तकनीकी (एग्रिटेक) स्टार्टअप भारत से ही है।[11] पिछले एक दशक में शिक्षित युवाओं की फौज ने इस क्षेत्र को दिशा दी हैं। इन युवाओं के पास खेती को आदिम सांचे से निकालकर उच्च तकनीक वाली (हाई–टेक) बनाने के लिए नई तकनीक एवं कारोबारी मॉडल शुरू करने के विचार, जुनून तथा नवाचारी दिमाग है। स्टार्टअप कृषि मूल्य शृंखला की छूटी हुई कड़ियां बना रहे हैं तथा किसानों को कारगर उत्पाद, तकनीक एवं सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। साथ ही, फार्म ऑटोमेशन, मौसम के पूर्वानुमान, ड्रोन के इस्तेमाल, सब्जी की ऑनलाइन मार्केटिंग, स्मार्ट पोल्ट्री एवं डेयरी उपक्रम, स्मार्ट खेती जैसे कृषि संबंधी कार्यों में प्रयोग हो रहे नवाचार तथा तकनीक केंद्रित ताकतवर स्टार्टअप कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए तैयार खड़े हैं।

भारतीय स्टार्टअप तंत्र में एग्रिटेक स्टार्टअप तेज़ी से बढ़ रहे हैं; भारत में 5 से भी कम वैश्विक एग्रिटेक कंपनियां काम कर रही हैं, जबकि 25 से ज़्यादा भारतीय एग्रिटेक कंपनियां दुनिया भर में पैठ बना चुकी हैं।[12] 300 से ज़्यादा एग्रिटेक स्टार्टअप कृषि आपूर्ति शृंखला प्रबंधन में मौजूद विसंगतियां दूर करने की कोशिश में जुटे हैं।[13]

कृषि उद्यमिता के लिए अवसर

कृषि क्षेत्र वित्त, बीज, रसायन जैसे खेती के संसाधनों पर नियंत्रण रखने वाली आपूर्ति शृंखला की अकुशलता और वितरण नेटवर्क में अनुचित प्रवेश जैसी दिक्कतों से भरा हुआ है। इसके अलावा, भारत में हर साल कटाई के बाद लगभग 13 अरब डॉलर की उपज बरबाद भी हो जाती है।[14] मांग पर चलने वाली कोल्ड चेन, गोदामों पर निगरानी रखने के सॉल्यूशन तथा बाज़ार से जुड़ाव मौजूदा गतिरोधों को दूर कर सकते हैं, जिसके कारण प्रक्रियाएं सुगम बन सकती हैं तथा किसानों की आय में भी अच्छा–खासा इज़ाफा हो सकता है।

कृषि भारत में बंटी हुई गतिविधि है और ज़्यादातर क्षेत्र पानी के लिए बारिश पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में उन्नत तकनीक की मदद से सूचना का प्रसार होगा, जो पर्याप्त सिंचाई एवं जल संरक्षण में मददगार हो सकता है।

क्षेत्र की वृद्धि में बाधा डालने वाली एक और समस्या यह है कि भारत में कृषि भूमि बंटी हुई और छोटी है; 70 प्रतिशत से अधिक खेत एक हेक्टेयर से छोटे हैं और राष्ट्रीय औसत दो हेक्टेयर से कम है[15], जिस कारण कृषि उपज भी बहुत कम रहती है। खेत के आकार के हिसाब से उत्पादकता बढ़ाने की युक्तियां इस समय की ज़रूरत हैं।

कृषि क्षेत्र भारत के 50 प्रतिशत श्रमबल को रोज़गार देता है मगर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में उसका केवल 18 प्रतिशत योगदान है। फार्म ऑटोमेशन तथा एग्रीगेशन में मद करने वाली युक्तियों या सॉल्यूशन से श्रमबल का तार्किक एवं फायदेमंद वितरण होगा।[16]

खाद्य प्रसंस्करण के मामले में भारत शीर्ष देशों में आता है। 2024 तक इस क्षेत्र में 90 लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा। खाद्य प्रसंस्करण में संगठित क्षेत्र की केवल 60 प्रतिशत हिस्सेदारी है। असंगठित क्षेत्र को औपचारिक रूप प्रदान करने से क्षेत्र सुव्यवस्थित हो सकता है तथा उस पर नज़र रखी जा सकती है, जिससे किसानों की आय एवं निर्यात में फायदा तथा इज़ाफा होगा।

10. https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/agriculture/everything-you-need-to-know-about-the-new-agriculture-bills-passed-in-lok-sabha/articleshow/78183539.cms 11. https://nasscom.in/knowledge-center/publications/agritech-india-emerging-trends-2019 12. https://nasscom.in/knowledge-center/publications/agritech-india-emerging-trends-2019 13. https://inc42.com/resources/how-agritech-startups-can-further-add-up-to-the-governments-mission-to-double-farmers-income-by-2022/ 14. NasscomAgritech in India: Emerging Trends in 2019

सभी क्षेत्रों में डिजिटलीकरण हो रहा है मगर कृषि क्षेत्र में अभी यह पूरी तरह नहीं आया है। डिजिटलीकरण से लेनदेन में अधिक पारदर्शिता आएगी तथा किसानों के लिए बिक्री के माध्यम भी बढ़ जाएंगे। इसके अलावा, डिजिटल आंकड़ों एवं बाज़ार के साथ जुड़ाव से कृषि क्षेत्र के प्रत्येक हितधारक को ताकत मिल सकती है। अभी ज़मीनी–स्तर एवं किसानों के स्तर पर आंकड़ों तथा जानकारी की बेहद कमी है। डिजिटल काम के साथ ही आंकड़ों का भंडार तैयार करने वाले सॉल्यूशन से योजनाओं, बीमा तथा ऋण वितरण की तस्वीर ही बदल जाएगी, जिसका कई गुना असर हो सकता है।

स्टार्टअप इंडिया की मान्यता

इन्वेस्ट इंडिया के अंतर्गत चल रहा स्टार्टअप इंडिया अभियान भारत सरकार के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) का प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य स्टार्टअप कारोबारों की वृद्धि के लिए अनुकूल मज़बूत–तंत्र तैयार करना, सतत आर्थिक वृद्धि को सहारा देना और बड़े स्तर पर रोज़गार के मौके सृजित करना है। सरकार का लक्ष्य इस कार्यक्रम के ज़रिए स्टार्टअप को नवाचार एवं डिज़ाइन के माध्यम से सशक्त बनाना है।

16 जनवरी, 2016 को प्रधानमंत्री के हाथों इस अभियान के उद्घाटन के बाद से भारत को रोज़गार तलाशने वालों की जगह रोज़गार देने वालों का देश बनाने के उनके सपने में योगदान करने के मकसद से कई कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं। इन कार्यक्रमों ने तंत्र को ज़रूरी मदद देकर स्टार्टअप की संस्कृति को रफ्तार दी है। इसके अलावा, इस पहल के ज़रिए स्टार्टअप को मान्यता दी जा रही है और कई उद्यमियों को भारत में अपना कारोबार शुरू करने के फायदे मिल रहे हैं। सामान्य सांविधिक नियम अधिसूचना 127 (ई) के अंतर्गत दी गई परिभाषा पूरी करने वाले स्टार्टअप डीपीआईआईटी के स्टार्टअप इंडिया अभियान के अंतर्गत मान्यता प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। 20 सितंबर, 2020 तक 36,904 स्टार्टअप डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त कर चुके हैं। मान्यता प्रमाणपत्र हासिल करने वाले स्टार्टअप में से करीब 5 प्रतिशत कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं। कृषि क्षेत्र में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या में 2017 से 2019 के बीच लगभग 74 प्रतिशत की चक्रवृद्धि दर से बढ़ोत्तरी हुई है। डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त कृषि स्टार्टअप की सबसे अधिक संख्या वाले चार राज्यों– महाराष्ट्र (19 प्रतिशत), कर्नाटक (14 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (8 प्रतिशत) और दिल्ली (8 प्रतिशत) हैं।

स्टार्टअप को मान्यता प्रदान करने के साथ ही स्टार्टअप इंडिया ने कृषि स्टार्टअप की मदद के लिए एग्रिकल्चर ग्रेंड चैलेंज और नेशनल स्टार्टअप अवार्ड जैसे कई कार्यक्रम और चुनौतियां भी आरंभ की हैं।

एग्रिकल्चर ग्रेंड चैलेंज

स्टार्टअप इंडिया विभिन्न सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए तथा तंत्र को समर्थ बनाने (इनेबलर) एवं उसका निर्माण करने वालों के बीच मेलजोल बढ़ाने के मकसद से ग्रेंड चैलेंज आयोजित करता है। ग्रेंड चैलेंज के ज़रिए सरकार स्टार्टअप के साथ काम करती है और राष्ट्रीय कार्यक्रम क्रियान्वित करने के लिए साझेदारी करती है। कृषि मंत्रालय ने स्टार्टअप इंडिया के साथ मिलकर दिसंबर 2017 में एग्रिकल्चर ग्रेंड चैलेंज आयोजित किया, जिसमें पहले ही 12 समस्याएं चुनी गईं और स्टार्टअप से उनके समाधान ढूंढने के लिए कहा गया। प्रत्येक समस्या के लिए स्टार्टअप को दो चरणों में बांटा गया– विचार (आइडिया) और उद्यम (एंटरप्राइज)। कृषि से जुड़ी इन समस्याओं में परखना एवं श्रेणियों में बांटना (एसेइंग एंड ग्रेडिंग), खेत से थाली तक पहुंचाना (फार्म टू फॉर्क), अंतिम व्यक्ति तक प्रसार (लास्ट माइल डिसेमिनेशन), मिट्टी की जांच, छांटना एवं श्रेणियों में बांटना (सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग), कीटनाशकों के विकल्प, जांच में मिलावट, उपज का अनुमान, कस्टम हायरिंग सेंटर एवं कीमत का पूर्वानुमान शामिल थे। इस चैलेंज में देश भर से 1,066 आवेदन आए। 400

15. http://nmoop.gov.in/conference/docs/Background_Paper_Agri_Startups.pdf 16. https://nasscom.in/knowledge-center/publications/agritech-india-emerging-trends-2019

से अधिक मान्यता प्राप्त एग्रिटेक स्टार्टअप के साथ कई मार्गदर्शन कार्यशालाएं आयोजित की गईं। उसके बाद कई चरणों की जांच तथा साक्षात्कार हुए और 20 एकदम नए विचारों को बढ़ावा देने के लिए चुना गया। अंत में 20 विजेता सामने आए, जिनमें 10 विचार के स्तर के स्टार्टअप और 10 उद्यम के स्तर के स्टार्टअप थे। विचार के स्तर के स्टार्टअप को 3 महीने के लिए इनक्यूबेट किया गया ताकि उनके विचार के प्रारूप को विकास के चरण तक लाया जा सके। उद्यम स्तर के स्टार्टअप को 3 महीने के लिए बढ़ावा दिया गया ताकि उनके उत्पाद बाज़ार के लिहाज से तैयार बन सकें।

कृषि क्षेत्र में राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2020

स्टार्टअप इंडिया ने दिसंबर 2019 में राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2020 आयोजित किए। इसका उद्देश्य ऐसे उत्कृष्ट स्टार्टअप तथा इनेबलर को मान्यता देना एवं पुरस्कृत करना था, जो रोज़गार सृजन, संपत्ति सृजन एवं मापने योग्य सामाजिक प्रभाव की उच्च संभावना वाले अनूठे उत्पाद अथवा समाधान एवं वृद्धि लायक उद्यम तैयार कर रहे हैं। कुल मिलाकर ऐसे 12 क्षेत्र चिह्नित किए गए, जिनमें स्टार्टअप फल–फूल रहे थे और उन्हें 35 श्रेणियों तथा 3 विशेष श्रेणियों में बांट दिया गया। आवेदकों को नवाचार, वृद्धि की क्षमता, समावेशन एवं विविधता, सामाजिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव तथा पर्यावरण पर प्रभाव की कसौटी पर जांचा गया। 12 क्षेत्रों में कृषि प्राथमिकता वाला क्षेत्र था, जिसमें चार श्रेणियों – किसानों के साथ काम और शिक्षा, कटाई के उपरांत की गतिविधि, उत्पादकता तथा संबद्ध क्षेत्रों (मत्स्यपालन, पोल्ट्री, पशुपालन आदि) में 150 से अधिक आवेदन आए।

6 अक्टूबर, 2020 को हुए वर्चुअल सम्मान समारोह में मांड्या ऑर्गेनिक फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, इंटेलो लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, नव–डिज़ाइन एंड इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, कॉर्नेक्स्ट एग्री प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को कृषि की चारों श्रेणियों में विजेता घोषित किया गया। प्रत्येक श्रेणी में जीतने वाले स्टार्टअप को 5–5 लाख रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया। विजेताओं को कॉर्पोरेट एवं गवर्नमेंट कनेक्ट कार्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा तथा डीपीआईआईटी द्वारा प्रायोजित विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्टार्टअप कार्यक्रमों के प्रतिभागिता के मामले में प्राथमिकता भी मिलेगी।

केंद्रीय योजनाएं – आरकेवीवाई 'रफ्तार'

भारत सरकार कृषि तंत्र में एक बार फिर तकनीक तथा कारोबार विकास की ऊर्जा भर रही है और कृषि कारोबार संवर्धन तथा उद्यमशीलता की ज़रूरत एवं तौर–तरीकों पर खासतौर पर काम कर रही है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के लिए 2007 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) आरंभ की गई। इसके तहत राज्य कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के विकास के लिए ज़िला अथवा राज्य कृषि योजना के अनुसार अपनी–अपनी ज़रूरत की गतिविधियां चुन सकते हैं।

योजना के तहत राज्यों को अपनी ज़रूरत, प्राथमिकता एवं कृषि जलवायु आवश्यकताओं के अनुसार परियोजनाओं के चयन, योजना मंजूरी तथा क्रियान्वयन की आज़ादी एवं स्वायत्तता मिलती है। इससे भी राज्य कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। 1 नवंबर, 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पहले से चल रही केंद्र प्रायोजित योजना (राज्य योजना)– राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना– रिम्युनरेटिव अप्रोचेज फॉर एग्रिकल्चर एंड अलाइड सेक्टर रिजुवनेशन (आरकेवीवाई–रफ्तार) के रूप में तीन वर्ष तक यानी 2017–18 से 2019–20 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी। साथ ही इसके लिए 15,722 करोड़ रुपये की राशि के आवंटन की भी मंजूरी दी गई। इसका प्रमुख उद्देश्य किसानों के प्रयासों को मज़बूत कर, जोखिम कम कर तथा कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देकर खेती को लाभकारी आर्थिक गतिविधि बनाना है।

योजना के अंतर्गत नवाचार एवं कृषि उद्यमिता विकास का जो घटक है, वह वित्तीय सहायता प्रदान कर तथा कृषि प्रसंस्करण, कृत्रिम मेधा, डिजिटल कृषि, खेतों के मशीनीकरण, कचरे से संपदा, डेयरी, मत्स्यपालन आदि श्रेणियों में स्टार्टअप को बढ़ावा देते हुए इनक्यूबेशन तंत्र का संवर्धन कर नवाचार तथा कृषि उद्यमिता को प्रोत्साहित करता है। कृषि, सहकार एवं कृषक कल्याण विभाग ने देश भर से उत्कृष्टता केंद्र के रूप में पांच नॉलेज पार्टनरों को तथा 24 आरकेवीवाई–रफ्तार कृषि कारोबार इनक्यूबेटरों को चुना है। पांच नॉलेज पार्टनर हैं– राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज, हैदराबाद), राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान (एनआईएएम, जयपुर), भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई, पूसा, नई दिल्ली), कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय (धारवाड़, कर्नाटक) और असम कृषि विश्वविद्यालय (ज़ोरहाट, असम)। योजना के प्रमुख घटकों में रफ्तार–कृषि कारोबार इनक्यूबेटर के तहत तैयार किए जा रहे स्टार्टअप (इनक्यूबेटी) को 25 लाख रुपये (85 प्रतिशत अनुदान एवं 15 प्रतिशत योगदान इनक्यूबेटी द्वारा) तक की प्रारंभिक निवेश की राशि (सीड फंडिंग) प्रदान करना तथा कृषि उद्यमियों को 5 लाख रुपये (90 प्रतिशत अनुदान एवं 10 प्रतिशत योगदान इनक्यूबेटी द्वारा) तक आइडिया अथवा (प्री–सीड) धनराशि प्रदान करना शामिल है। 10,000 रुपये मासिक मानदेय के साथ 2 महीने के लिए चलाया जा रहा कृषि उद्यमी ओरिएंटेशन कार्यक्रम भी इसका एक घटक है, जिसमें वित्तीय, तकनीकी एवं आईपी से जुड़े मसलों पर मार्गदर्शन शामिल है।

फिलहाल इनक्यूबेट किए जा रहे स्टार्टअप[17] में से एगस्मार्टिक टेक्नोलॉजीज़ डाटा की मदद से सटीक सिंचाई एवं रोग प्रबंधन के ज़रिए उपज बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। इसके लिए

17. https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1643788 18. https://sarkariyojana.com/maharashtra-agri-tech-scheme-track-agriculture-management/

कृषि स्टार्टअप्स में नई संभावनाएं

आज कश्मीर का पुलवामा पूरे देश को पढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आज देशभर में बच्चे अपना होमवर्क करते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो कहीं–न–कहीं इसके पीछे पुलवामा के लोगों की कड़ी मेहनत भी है। कश्मीर घाटी पूरे देश की करीब–करीब 90 प्रतिशत पेंसिल स्लेट, लकड़ी की पट्टी की मांग को पूरा करती है, और उसमें बहुत बड़ी हिस्सेदारी पुलवामा की है...। पुलवामा की अपनी यह पहचान तब स्थापित हुई है, जब, यहां के लोगों ने कुछ नया करने की ठानी, काम को लेकर रिस्क उठाया और खुद को उसके प्रति समर्पित कर दिया।

लॉकडाउन के दौरान टेक्नोलॉजी–बेस्ड सर्विस डिलीवरी के कई प्रयोग हमारे देश में हुए हैं, और अब ऐसा नहीं रहा कि बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिकस कम्पनियां ही यह कर सकती हैं। झारखंड में ये काम महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने करके दिखाया है। इन महिलाओं ने किसानों के खेतों से सब्जियां और फल लिए और सीधे घरों तक पहुंचाए। इन महिलाओं ने 'आजीविका फार्म फ्रेश' नाम से एक ऐप बनवाया जिसके जरिए लोग आसानी से सब्जियां मंगा सकते थे। इस पूरे प्रयास से किसानों को अपनी सब्जियों और फलों के अच्छे दाम मिले, और लोगों को भी फ्रेश सब्जियां मिलती रही। वहां 'आजीविका फार्म फ्रेश ऐप' का आइडिया बहुत पॉपुलर हो रहा है। लॉकडाउन में इन्होंने 50 लाख रुपये से भी ज़्यादा के फल–सब्जियां लोगों तक पहुंचाई हैं। साथियो, एग्रीकल्चर सेक्टर में नई सम्भावनाएं बनता देख, हमारे युवा भी काफी संख्या में इससे जुड़ने लगे हैं। मध्यप्रदेश के बड़वानी में अतुल पाटीदार अपने क्षेत्र के 4 हजार किसानों को डिजिटल रूप से जोड़ चुके हैं...।

साथियों, इन दिनों महाराष्ट्र की एक घटना पर मेरा ध्यान गया। वहां एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ने मक्के की खेती करने वाले किसानों से मक्का ख़रीदा। कंपनी ने किसानों को इस बार, मूल्य के अतिरिक्त, बोनस भी दिया। किसानों को भी एक सुखद आश्चर्य हुआ। जब उस कंपनी से पूछा, तो उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने जो नए कृषि क़ानून बनाए हैं, अब उसके तहत, किसान भारत में कहीं पर भी फ़सल बेच पा रहे हैं और उन्हें अच्छे दाम मिल रहे हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि इस एक्सट्रा प्रोफिट को किसानों के साथ भी बांटना चाहिए। उस पर उनका भी हक़ है और उन्होंने किसानों को बोनस दिया है। साथियों, बोनस अभी भले ही छोटा हो, लेकिन ये शुरुआत बहुत बड़ी है। इससे हमें पता चलता है कि नए कृषि क़ानून से ज़मीनी–स्तर पर, किस तरह के बदलाव किसानों के पक्ष में आने की संभावनाएं भरी पड़ी हैं...।

–25 अक्टूबर, 2020 को प्रसारित 'मन की बात' 2.0 में प्रधानमंत्री के संबोधन के अंश

वह कृत्रिम मेधा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और कंप्यूटर विज़न का इस्तेमाल करता है। इसी तरह ए2पी एनर्जी सॉल्यूशन कृत्रिम मेधा का इस्तेमाल कर कचरे (बायोमास) का पता लगाता है और उसे इकट्ठा करने के लिए किसानों के साथ काम करता है। ईएफ पॉलिमर ने किसानों की पानी की कमी का संकट दूर करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल पॉलिमर तैयार किया, जो पानी रोककर रखता है। एसएनएल इनोवेशंस (इनोफार्म्स) फलों को गूदे यानी पल्प में बदलने के लिए खुद ही तैयार किए गए मोनोब्लॉक फल प्रसंस्करण प्लेटफॉर्म (सचल) का इस्तेमाल कर सीधे खेत पर ही प्रसंस्कृत फलों तथा सब्जियों का पल्प मुहैया कराता है। इस पल्प को एक वर्ष तक रखा जा सकता है और एसएनएल के समाधान के ज़रिए खेत से ग्राहक तक इसकी आवाजाही का भी पता लगाया जा सकता है।

राज्य योजनाएं

विभिन्न राज्य सरकारें भी अलग–अलग योजनाओं के ज़रिए मौजूदा कृषि उद्योग एवं तंत्र को विकसित करने के प्रयास लगातार करती आई हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कृषि प्रबंधन पर डिजिटल तरीके से नजर रखने के लिए महा एग्रिटेक स्कीम 2019 आरंभ की, जिससे बीज बोने से लेकर फसल की कटाई तक खेती से जुड़ी पूरी जानकारी पर अधिक कुशलता के साथ नजर रखी जा सकेगी। योजना में बुआई के क्षेत्र, वातावरण, फसलों के विभिन्न रोगों की जांच की जाएगी तथा किसानों को अहम जानकारी मुहैया कराई जाएगी। कर्नाटक इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी सोसाइटी (किट्स), कर्नाटक सरकार के आईटी–बीटी एवं एसएंडटी विभाग, कृषि विभाग तथा भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित सी–कैम्प के समन्वित प्रयास से स्थापित के–टेक सेंटर फॉर एक्सीलेंस में कृषि में मौजूद तथा संभावित समस्याओं के हल तलाशने के लिए विभिन्न तकनीकों को आकर्षित कर नवाचार को बढ़ावा दिया जाता है।

निष्कर्ष

युवा एवं फुर्तीला स्टार्टअप तंत्र प्रभावी तरीके से खुद को इस अभूतपूर्व समय के हिसाब से ढाल रहा है। कृषि स्टार्टअप आज की तेज़ एवं गतिशील अर्थव्यवस्था में न केवल फल–फूल रहे हैं बल्कि अनूठे समाधान एवं तकनीक विकसित कर रहे हैं और रोज़गार सृजन भी कर रहे हैं। स्टार्टअप द्वारा तैयार अनूठे समाधान एवं तकनीकें समाज पर कई गुना प्रभाव डाल रही हैं। निजी क्षेत्र से ही नहीं बल्कि सरकारी क्षेत्र से भी नवाचारों या नई ईजादों की मांग बढ़ी है। कृषि स्टार्टअप को पहले की ही तरह आत्मनिर्भरता एवं लंबे समय तक टिकने की दिशा में प्रभावी तरीके से काम जारी रखना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत की कल्पना का मूल स्टार्टअप में ही है और आने वाले वर्षों में भी बना रहेगा।

(ऐश्वर्या चौहान इन्वेस्ट इंडिया, स्टार्टअप इंडिया में एसोसिएट हैं; नवजीत कुमार असिस्टेंट मैनेजर, स्टार्टअप इंडिया, इन्वेस्ट इंडिया हैं।)

(लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।)

ई–मेल : **aishwariya.chauhan@investindia.org.in**
navjeet.kumar@investindia.org.in

कृषि में उद्यमशीलता विकास : नई पहल एवं संभावनाएं

–डॉ. प्रतिभा जोशी एवं डॉ. गिरिजेश सिंह महरा

जनसंख्या तथा बेरोज़गारी की विशाल समस्या को संस्थानीकरण के अलावा ग्रामीण उद्यमशीलता की प्रक्रिया और संकल्पना के माध्यम से ही हल किया जा सकता है। इसमें स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका निश्चित रूप से बढ़ती जा रही है। भारतीय उद्यमशीलता विकास संस्थान (ईडीआई) का ग्रामीण उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमों (आरईडीपी) को लागू करने में, एक कार्यनीति के रूप में प्रशिक्षण के उपयोग का अनुभव, बहुत सकारात्मक परिणाम देने वाला सिद्ध हुआ है।

भारतीय कृषि ने पिछले काफी समय से राष्ट्रीय आय में उल्लेखनीय योगदान दिया है। हरितक्रांति ने भारत को न सिर्फ खाद्यान्न में वरन दुग्ध उत्पादन में भी विश्व के शिखर पर खड़ा कर दिया और आज भारत फल एवं सब्जियों में, दूध, मसाले एवं जूट में वैश्विक–स्तर पर सबसे बड़ा उत्पादक है। रोज़गार तथा आजीविका सृजन में इसके उच्चांश के कारण कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का मूलाधार माना जाता है। यह 52 प्रतिशत कार्यबल को रोज़गार उपलब्ध कराकर 50 करोड़ से अधिक लोगों को सहारा देता है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय 2014 के सर्वेक्षण के अनुसार किसानों की औसत आय 6426 रुपये प्रति माह है और इस आय में वह 3078 रुपये कृषि से, 2069 रुपये मज़दूरी/पेंशन, 765 रुपये पशुधन व 514 रुपये गैर–कृषि कार्यों से अर्जित करता है। परंतु कृषि संरचना की वर्तमान स्थिति इस तथ्य की ओर भी इशारा करती है कि हालांकि सीमांत और छोटे किसानों की संख्या अधिक है, परंतु छोटे किसान फसल उत्पादन में तेज़ी से तकनीकी विकास के साथ तालमेल रखने में असमर्थ हैं। गैर–कृषि क्षेत्र में रोज़गार की कमी और इनपुट की बढ़ती लागत और विभिन्न अन्य कारकों के कारण बढ़ती ऋण ग्रस्तता ने छोटे और सीमांत किसानों के अस्तित्व को मुश्किल बना दिया है। गुणवत्ता की उपज के लिए बाज़ार की बढ़ती मांग के साथ, सीमांत और छोटे किसानों को उपयुक्त तकनीकी और ऋण समर्थन की ज़रूरत है, ताकि गुणवत्ता पूर्ण एवं अच्छे उत्पादन के लिए अपने कौशल को उन्नत किया जा सके। खेती की आय में बढ़ोत्तरी की दर तेज़ करने की आवश्यकता है इसलिए कृषि क्षेत्रों के साथ ही किसानों की आय में वृद्धि के सभी अन्य उद्यमों के संभावित स्रोतों को तलाशना होगा। एक अच्छी रणनीति, नवीन कार्यक्रम, पर्याप्त संसाधन और कार्यान्वयन में सुशासन के साथ यह लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

स्वयंसहायता समूह, ग्रामीण उद्यमशीलता तथा ग्रामीण विकास

ग्रामीण जनसंख्या भारत की जनसंख्या का प्रमुख हिस्सा है। इस विशाल हिस्से की आजीविका संबंधी कार्यनीतियां मुख्यतः

कृषि तथा संबंधित गतिविधियों पर निर्भर हैं। पिछले एक दशक के दौरान कृषि के क्षेत्र में वृद्धि में गिरावट देखी गई है। यह गिरावट की प्रवृत्ति रोज़गार की वृद्धि दर तथा सकल घरेलू उत्पादन में भी देखी गई है। जनसंख्या तथा बेरोज़गारी की विशाल समस्या को संस्थानीकरण के अलावा ग्रामीण उद्यमशीलता की प्रक्रिया और संकल्पना के माध्यम से ही हल किया जा सकता है। इसमें स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका निश्चित रूप से बढ़ती जा रही है। भारतीय उद्यमशीलता विकास संस्थान (ईडीआई) का ग्रामीण उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमों (आरईडीपी) को लागू करने में एक कार्यनीति के रूप में प्रशिक्षण के उपयोग का अनुभव बहुत सकारात्मक परिणाम देने वाला सिद्ध हुआ है। इस दृष्टि से ग्रामीण स्वरोज़गार का सबसे महत्वपूर्ण पहलू स्वयंसहायता समूहों का निर्माण करना है जो प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण संबंधी उपायों के माध्यम से मानव पूंजी में मूल्यवान निवेश सिद्ध हो सकते हैं। सीमांत व छोटे किसानों को फसल उत्पादन के साथ अन्य उद्यम के आयामों की ओर भी ध्यान देना होगा। इनमें से कुछ आयाम निमन्वत हैं–

1) विपणन : किसानों को अपने उत्पादों का सीधा विपणन करना आवश्यक है तथा अपने उत्पादन की अच्छी कीमत कहां मिलेगी, उसका सर्वे कर अपने उत्पादों को उन बाज़ारों तक भेजने की व्यवस्था खुद करनी चाहिए। इस मॉडल से बिचौलियों की भागीदारी समाप्त हो जाती है तथा उपभोक्ता के प्रत्येक रुपये का अधिकांश हिस्सा किसान के हक में जाता है।

2) मूल्य संवर्धन : अपने उत्पादों की ग्रेडिंग, पैकेजिंग एवं प्रसंसस्करण कर किसान उससे अधिक से अधिक आमदनी प्राप्त कर सकते हैं तथा स्वरोज़गार को भी बढ़ावा दे सकते हैं। अपना ब्रांड बनाकर एक अपना बाज़ार स्थापित कर विश्वसनीयता बनाई जा सकती है जिसका अधिकतम लाभ उत्पादक किसान, किसान समूह/उत्पदक समूह एवं उपभोक्ता सभी को होगा।

3) संगठित उत्पादन : उत्पादन की मात्रा के आधार पर ही उसका विपणन निर्धारित होता है। अतः कुछ किसान संगठित होकर एक ही तरह की फसल/फल/फूल/सब्जियों की खेती करेंगे तो उसे दूर भेजने में परिवहन खर्च में कमी आएगी तथा दूरस्थ बाज़ारों में मिलने वाली अच्छी कीमतों का लाभ उठाया जा सकेगा। इसमें ई–नाम पोर्टल का सहयोग कारगर हो सकता है।

4) उत्पाद विशेष पर केंद्रित रहना : किसी एक उत्पाद पर केंद्रित रहने का अर्थ है उससे संबंधित ज्ञान अर्जन, उत्पादन, मूल्य सवंर्धन आदि में महारथ हासिल होना। इसका फायदा समय के साथ मिलता है। साथ ही, अन्य उत्पादकों की तुलना में पहले होने की वजह से बाज़ार में भी अच्छी पकड़ रहती है जिसका फायदा मिलता है। इससे अपना एक ब्रांड बनाने और बाज़ार में स्थापित करने में मदद मिलती है।

5) समेकित कृषि प्रणाली : एक विशेष उत्पाद के अतिरिक्त किसान अन्य कृषि उत्पादों पर भी ध्यान देंगे तो आय में वृद्धि होगी और जोखिम प्रबंधन भी होगा। फसल प्रणाली की सघनता को बढ़ाकर भी प्रति इकाई उत्पादकता/आमदनी को बढ़ाया जा सकता है। नियमित आमदनी के लिए धान्य फसलों के साथ–साथ डेयरी, मुर्गीपालन, सब्जियों की खेती, फल उत्पादन, मछली पालन आदि को भी अपनाना आवश्यक है।

6) बागवानी फसलों की सुरक्षित खेती : बागवानी फसलों की सुरक्षित खेती से परंपरागत कृषि उत्पादन प्रणाली के स्थान पर विविधीकरण का एक बेहतर विकल्प उपलब्ध होता है और इसके कई कारण हैं। सुरक्षित दशाओं में फसलोत्पादन से मुख्य तथा बेमौसम में सब्जियों, पुष्पों तथा कुछ फल फसलों की उत्पादन क्षमता व गुणवत्ता बढ़ाने में बहुत सफलता मिलती है और इससे विविध प्रकार की कृषि जलवायु संबंधी दशाओं में जल तथा पोषक तत्वों की सर्वोच्च दक्षता प्राप्त की जा सकती है। इस प्रौद्योगिकी की निकट भविष्य में कृषि के क्षेत्र में बहुत क्षमता है क्योंकि इसका उपयोग उच्च मूल्य वाली सब्जी की फसलों जैसे टमाटर, चेरी टमाटर, रंगीन शिमला मिर्च, अनिषेकजनित खीरा, कर्तित फूलों जैसे गुलदाउदी, लिलियम आदि के पुष्प, स्ट्राबेरी, अंगूर आदि को उगाने के लिए लाभदायक ढंग से किया जा सकता है। इस प्रकार, सब्जियों की बेमौसम खेती करने से आमदनी को बढ़ाया जा सकता है।

7) मधुमक्खी पालन : मधुमक्खी पालन विशेष रूप से भूमिहीन युवाओं के लिए रोज़गार सृजन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण व्यवसाय के रूप में उभरा है क्योंकि इसके लिए भूमि की आवश्यकता नहीं होती है। मधुमक्खी के छत्ते सड़क के किनारे, नहरों के आसपास की खाली ज़मीन तथा खेतों की मेड़ पर रखे जा सकते हैं। यह उद्यम मधुमक्खियों की 20 कालोनियों से आरंभ किया जा सकता है और प्रति कालोनी की लागत 5000 रुपये आती है। यहां इस्तेमाल होने वाले अन्य उपकरण हैं शहद निकालने की युक्ति, छत्ते से संबंधित औजार, बिना ढक्कन की ट्रे और चाकू जो आसानी से उपलब्ध हैं और सस्ते भी हैं। मधुमक्खी पालन एक विकेंद्रीकृत, वन्य तथा ग्रामीण कृषि आधारित उद्योग है जिसके लिए बहुत कम कच्चे माल की ज़रूरत होती है।

8) वाणिज्यिक स्तर पर खुम्बी की खेती : खुम्बियां ऐसे ताज़े कवक हैं जो पूर्णतः शाकाहारी आहार हैं। ये बहुत स्वादिष्ट और पोषक होती हैं। किसी भी फार्मिंग प्रणाली के विविधीकरण से टिकाऊपन आता है। यह एक ऐसा प्रमुख क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, कृषि उद्योग अपशिष्ट सहित कृषि अपशिष्टों के पुनश्चक्रण द्वारा उत्पादन को बढ़ाने की क्षमता रखता है। खुम्बी की खेती स्थानीय अर्थव्यवस्था को सहारा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है क्योंकि इससे खाद्य सुरक्षा, पोषण और औषधि के क्षेत्र में पर्याप्त योगदान होता है; अतिरिक्त रोज़गार और आय सृजित होती है और ऐसा स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय–स्तर के व्यापार द्वारा होता है। इसके अलावा, इससे प्रसंस्करण उद्यमों के लिए अधिक अवसर प्राप्त होते हैं। इसे छोटे और सीमांत किसानों द्वारा आसानी से अपनाया जा सकता है क्योंकि इसके लिए बहुत

कम भूमि की आवश्यकता होती है।

9) डेयरी पालन : तमाम कृषि जिंसों में से दूध निर्गम के सकल मूल्य का अकेला सबसे बड़ा योगदाता है जिसके पश्चात् क्रमशः धान, गेहूं, तिलहनों, दालों और चीनी का स्थान है। इतना ही नहीं बल्कि दूध का मुद्रास्फीति में सबसे कम योगदान है। इस प्रकार दूध भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा है। डेयरी पालन को सदैव ऐसे परिवारों में कृषि की एक उपप्रणाली माना गया है जो पूरी तरह पुनश्चक्रण योग्य फसल अपशिष्टों पर निर्भर रहते हैं। वास्तविकता यह है कि पशुधन पूरक आमदनी का महत्वपूर्ण स्रोत है। मिश्रित फार्मिंग इसे अपनाने वालों के लिए प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध एक प्रकार से बीमा का कार्य करती है और इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा व पोषणिक पुनश्चक्रण में भी सहायता पहुंचाती है। यदि डेयरी पालकों को नए विचारों, सुविधाओं, क्रियाविधियों, सामग्री और इसके साथ–साथ डेयरी पशुओं से उत्तम उत्पादन के लिए श्रम से संपन्न किया जाए तो डेयरी उद्यम से होने वाले लाभ में बहुत वृद्धि की जा सकती है। इसके लिए दूध व दूध से निर्मित पदार्थों के उचित विपणन की भी आवश्यकता होगी।

10) कुक्कुट पालन : कुक्कुट पालन भारत में कृषि क्षेत्र का सबसे तेज़ी से वृद्धि करने वाला व्यवसाय है जिसकी वृद्धि दर प्रति वर्ष लगभग 8 प्रतिशत है। भारत में कुक्कुट पालन क्षेत्र में संरचना और परिचालन की दृष्टि से अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है और अब यह मात्र घर के पिछवाड़े मुर्गीपालन की क्रिया से बढ़कर चार दशकों की अवधि में एक प्रमुख वाणिज्यिक कृषि आधारित उद्योग बन गया है। नई प्रौद्योगिकियों के उन्नयन, रूपांतरण तथा अनुप्रयोग के निरंतर प्रयासों से कुक्कुट तथा अन्य संबद्ध क्षेत्रों में कई गुना तथा अनेक आयामी वृद्धि का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इसका तात्पर्य है कि भारतीय कुक्कुट बाज़ार में व्यवसाय के अपार अवसर हैं। इसके अतिरिक्त, मछली पालन, केंचुआ खाद उत्पादन, सब्जियों की खेती आदि आयामों से किसानों की आमदनी बढ़ाने व स्वरोज़गार उत्पन्न करने की दिशा में सार्थक प्रयास किया जा सकता है।

उद्यमशीलता विकास की व्यापक संभावनाओं हेतु नीतिगत सुधार एवं वर्तमान योजनाएं

1. कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय

31 जुलाई, 2014 को कौशल विकास एवं उद्यमिता विभाग की स्थापना हुई और बाद में 10 नवंबर, 2014 को यह मंत्रालय बना। यह मंत्रालय देशभर में सभी कौशल विकास प्रयासों के समन्वय, कुशल मानवशक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच में दूरी को समाप्त करने, व्यावसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण ढांचा तैयार करने, कौशल उन्नयन, नए कौशल व नवोन्मेषी सोच का विकास करने के लिए उत्तरदायी है (एमएसएमई, 2016)। इसे निम्नलिखित कार्यशील सहयोगियों से सहायता मिलती है–

(क) राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (एनएसडीए) : यह एक स्वायत्त निकाय है जोकि 12वीं योजना और उससे आगे के कौशल संबंधी लक्ष्यों को हासिल करने में सरकारी और निजी क्षेत्र के कौशल विकास प्रयासों का समन्वय एवं सामंजस्य करता है। साथ ही, सामाजिक, क्षेत्रीय, लिंग संबंधी एवं आर्थिक विषमता को दूर करने का प्रयास करता है। यह राज्य कौशल विकास मिशन के लिए एक नोडल एजेंसी के तौर पर कार्य करता है। राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी के मुख्य कार्यों में शामिल हैं : मौजूदा कौशल विकास योजनाओं का मूल्यांकन करना; कौशल से संबंधित एक राष्ट्रीय डाटाबेस का सृजन व उसका रखरखाव; यह सुनिश्चित करना कि वंचित व सीमांत वर्गों की कौशल संबंधी ज़रूरतों को पूरा किया जाए, आदि (एनएसडीए, 2014)।

(ख) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) : भारत में यह अपनी तरह की एक पहली सार्वजनिक–निजी भागीदारी है जोकि कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने वाले उद्यमों, कंपनियों और संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करके कौशल विकास में एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है।

(ग) राष्ट्रीय कौशल विकास निधि (एनएसडीएफ) : देश में कौशल विकास हेतु सरकारी तथा गैर–सरकारी क्षेत्र दोनों से धनराशि एकत्रित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसमें विभिन्न सरकारी स्रोतों तथा अन्य दानदाताओं/योगदानकर्ताओं द्वारा धनराशि का योगदान किया जाता है ताकि विभिन्न क्षेत्रों विशिष्ट कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय युवाओं का कौशल विकास किया जा सके, उसे बढ़ाया जा सके व प्रोत्साहित किया जा सके।

2. कौशल विकास एवं उद्यमशीलता पर राष्ट्रीय नीति 2015 : इसका उद्देश्य देश के भीतर चलाई जा रहीं सभी कौशल गतिविधियों को एक समन्वय प्रदान करना, प्रचलित मानकों में इनका संरेखण करना और मांगकेंद्रों के साथ कौशल को जोड़ना है। यह नीति रोज़गार क्षमता और उत्पादकता को बढ़ाने हेतु कौशल विकास को जोड़ती है।

3. राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन : इसे विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर 15 जुलाई, 2015 को प्रारंभ किया गया। मिशन का विकास ''कुशल भारत (स्किल्ड इंडिया)'' के लक्ष्य को हासिल करने में कौशल प्रशिक्षण गतिविधियों के संबंध में सेक्टरों व राज्यों के बीच अभिसरण उत्पन्न करने के लिए किया गया है।

4. उद्यमिता विकास योजना : वर्तमान में इसे कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा विकसित किया जा रहा है। इस योजना को विभिन्न अवयवों के साथ तैयार किया जा रहा है जैसेकि उद्यमशीलता शिक्षा पाठ्यक्रम, वेब एवं मोबाइल आधारित नेटवर्किंग प्लेटफार्म, उद्यमशीलता हब (e-hubs) नेटवर्क, अंतर्राष्ट्रीय संपर्क, राष्ट्रीय उद्यमशीलता दिवस, महिलाओं व अल्पसंख्यक वर्गों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा, तथा सामाजिक उद्यमशीलता आदि।

5. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) : प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय की एक अग्रणी परिणाम आधारित कौशल प्रशिक्षण योजना है। इस कौशल प्रमाणन एवं पुरस्कार योजना का उद्देश्य बड़ी

संख्या में भारतीय युवाओं को कौशल प्रशिक्षण लेने के लिए प्रोत्साहित करना और इसके माध्यम से रोज़गारपरक बनाकर अपनी आजीविका का अर्जन करने में समर्थ बनाना और उन्हें प्रोत्साहित करना है। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं :

- प्रमाणन प्रक्रिया में मानकीकरण को बढ़ावा देना और कौशल पंजीकरण सृजन करने की प्रक्रिया की शुरुआत करना;
- बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को कौशल प्रशिक्षण लेने के लिए प्रोत्साहित करना और इसके माध्यम से रोज़गारपरक बनाकर आजीविका अर्जन में समर्थ बनाना और उन्हें प्रोत्साहन देना। मौजूदा कार्यबल की उत्पादकता में वृद्धि करना और देश की ज़रूरतों के अनुसार प्रशिक्षण एवं प्रमाणन का संरेखण करना;
- कौशल प्रशिक्षणों के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करके उनकी रोज़गार क्षमता और उत्पादकता को बढ़ाने हेतु कौशल प्रमाणन के लिए वित्तीय पुरस्कार प्रदान करना;
- प्राधिकृत संस्थानों में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को प्रति अभ्यर्थी 8,000 रुपये (आठ हजार रुपये) का औसत वित्तीय पुरस्कार प्रदान करना;
- रुपये 1,500 करोड़ की अनुमानित कुल लागत के साथ लगभग 24 लाख युवाओं को लाभ।

सहयोग का ढंग : प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करके रोज़गार की भूमिका के स्तर के अनुसार क्षेत्र के भीतर ही विभिन्न रोज़गार भूमिकाओं के लिए वित्तीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इस राशि का आकलन प्रशिक्षण की लागत, भुगतान करने में प्रशिक्षुओं की सहमति तथा अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखकर किया जाता है। उत्पादन, निर्माण और प्लम्बिंग सेक्टरों में प्रशिक्षण पर कहीं अधिक प्रोत्साहन दिया जाएगा।

6. प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी): इस स्कीम को राष्ट्रीय–स्तर पर खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा लागू किया जाता है जोकि इसकी नोडल एजेंसी है। राज्य–स्तर पर इस स्कीम को राज्य खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग निदेशालयों, राज्य खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड तथा ज़िला उद्योग केंद्रों एवं बैंकों द्वारा लागू किया जाता है। इस योजना के तहत सरकारी अनुदान लाभान्वितों/उद्यमियों तक उनके बैंक खातों में संभावित वितरण के लिए चिन्हित बैंकों के माध्यम से खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा पहुंचाई जाती है जिसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं :

- नए स्वरोज़गार उद्यमों/परियोजनाओं/सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना करके देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोज़गार अवसर उत्पन्न करना;
- व्यापक रूप से बिखरे पारम्परिक कारीगरों/ग्रामीण व शहरी बेरोज़गार युवाओं को एक साथ लाना और उन्हें यथासंभव उनके स्थान पर ही स्वरोज़गार के अवसर उपलब्ध कराना;
- देश में पारम्परिक एवं भावी कारीगरों तथा ग्रामीण व शहरी बेरोज़गार युवाओं के एक बड़े वर्ग को सतत एवं टिकाऊ रोज़गार उपलब्ध कराना ताकि शहरी क्षेत्रों की ओर ग्रामीण युवाओं के पलायन को रोका जा सके;
- कारीगरों की मज़दूरी अर्जन क्षमता में वृद्धि करना और ग्रामीण एवं शहरी रोज़गार की वृद्धि दर में बढ़ोत्तरी में योगदान करना।

सहयोग का ढंग : उत्पादन सेक्टर और व्यवसाय/सेवा सेक्टर के तहत परियोजना/इकाई की अधिकतम लागत क्रमशः रुपये 25 लाख एवं रुपये 10 लाख है। कुल परियोजना लागत की शेष राशि को बैंकों द्वारा आवधिक ऋण के साथ–साथ कार्यशील पूंजी (वर्किंग केपिटल) के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा।

7. आत्मनिर्भर भारत अभियान : आत्मनिर्भर भारत की एक बड़ी प्राथमिकता देश की कृषि और किसानों को स्वावलंबी बनाना है। सरकार इस दिशा में कृषि क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाने के साथ–साथ इस काम के लिए ज़रूरी ढांचागत सुविधाओं का विकास प्राथमिकता के आधार पर कर रही है। आत्मनिर्भर भारत अभियान हेतु प्रधानमंत्री ने 20 हजार करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। पैकेज में किसानों और दिहाड़ी एवं प्रवासी मज़दूरों का खासा ख्याल रखा गया है। किसानों को इस साल 30 हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। यह रकम नाबार्ड की तरफ से उपलब्ध कराई गई राशि के अलावा होगी। कोविड–19 महामारी के प्रकोप के बाद सरकार ने 3 करोड़ किसानों को 4.22 लाख करोड़ कृषि लोन पर 3 महीने की मोराटोरियम की सुविधा दी है। इस अवधि में किसानों को अपने कृषि कर्ज़ का भुगतान करना

प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत वित्तीय सहायता के स्तर	लाभान्वित का योगदान (परियोजना लागत का)	सब्सिडी दर (परियोजना लागत की)	
पीएमईजीपी के तहत लाभान्वितों की श्रेणियां		शहरी	ग्रामीण
क्षेत्रफल (परियोजना/इकाई का स्थान)			
सामान्य श्रेणी	10 प्रतिशत	15 प्रतिशत	25 प्रतिशत
विशेष श्रेणी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला/पूर्व सैनिक, दिव्यांगजन, पूर्वोत्तर पर्वतीय क्षेत्र तथा सीमावर्ती क्षेत्र आदि	05 प्रतिशत	25 प्रतिशत	35 प्रतिशत

ज़रूरी नहीं होगा। वहीं श्रम कानूनों में बदलाव कर मज़दूरों को उनके राज्य में ही काम उपलब्ध कराया जाएगा।

8. भारत में निर्माण (मेक इन इंडिया) : इस योजना को 25 सितंबर, 2014 को प्रारंभ किया गया था ताकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ–साथ घरेलू कंपनियों को भी अपने उत्पादों का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इस पहल के पीछे मुख्य लक्ष्य अर्थव्यवस्था के 25 क्षेत्रों में रोज़गार उत्पन्न करना और कौशल संवर्धन करना था। इस पहल का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता मानक बनाए रखना और पर्यावरण पर प्रभाव को न्यूनतम करना भी है। इस पहल के अंतर्गत भारत में पूंजीगत एवं प्रौद्योगिकीय निवेश को आकर्षित करने का प्रयास है।

9. 'स्टार्टअप इंडिया' पहल : इसका प्रयोजन भारतीय युवाओं के बीच उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना है। 'स्टार्टअप इंडिया : स्टैंडअप इंडिया'' द्वारा उद्यमशीलता को बढ़ाने और रोज़गार उत्पन्न करने के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ावा दिया जाता है और अन्य प्रोत्साहन दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि ''प्रत्येक 1.25 लाख बैंक शाखाओं द्वारा कम से कम एक दलित अथवा आदिवासी उद्यमी को और न्यूनतम एक महिला उद्यमी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।'' इस पहल से उद्यमशीलता को एक नया आयाम दिया जाएगा और साथ ही देश में स्टार्टअप का एक नेटवर्क स्थापित करने में मदद मिलेगी।

10. उद्यम पूंजी सहायता स्कीम (लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ द्वारा प्रायोजित) : उद्यम पूंजी सहायता स्कीम कृषि व्यवसाय विकास के लिए एक केंद्रीय सेक्टर स्कीम है जिसे लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ (एसएफएसी) द्वारा लागू किया गया है। इस स्कीम को इस प्रकार तैयार किया गया है जिससे कृषि उत्पाद एवं उत्पादों के प्राइमरी एवं उच्च–स्तरीय मूल्य संवर्धन हेतु कृषि व्यवसाय इकाइयां स्थापित करने के इच्छुक उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। इस स्कीम के तहत निजी उद्यमियों, किसानों, कंपनियों/पार्टनरशिप/प्रोपराइटरी फर्मों, किसान उत्पादक कंपनियों/किसान उत्पादक संगठनों/स्वयंसहायता समूहों अथवा कृषि निर्यात ज़ोन में स्थित किसी भी इकाई के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध है।

11. नए उद्यमिता विकास संस्थान (ईडीआई) स्थापित करने, प्रशिक्षण संस्थान स्कीम (एटीआई स्कीम) में सहायता के तहत उद्यमिता विकास संस्थानों के लिए बुनियादी सुविधा को मज़बूती प्रदान करने हेतु स्कीम।

एमएसएमई द्वारा नियमित आधार पर उद्यमिता एवं कौशल विकास के कार्य को करने के लिए तीन राष्ट्रीय स्तर उद्यमशीलता विकास संस्थान नामतः सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए राष्ट्रीय संस्थान (एनआईएमएसएमई), हैदराबाद; उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास के लिए राष्ट्रीय संस्थान (एनआईईएसबीयूडी), नोएडा, उत्तर प्रदेश; एवं भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई), गुवाहाटी में स्थापित किए गए हैं। प्रशिक्षण संस्थानों को उद्यमिता विकास एवं कौशल विकास कार्यक्रमों के आयोजन हेतु बुनियादी सुविधाओं का सृजन करने अथवा उसको सुदृढ़ करने एवं कार्यक्रम सहयोग के लिए पूंजीगत अनुदान (कैपिटल ग्रांट) के रूप में सहायता प्रदान की जाएगी।

12. आईएसओ 9000/आईएसओ 14001 प्रमाणन प्रतिपूर्ति योजना (एमएसएमई मंत्रालय द्वारा प्रायोजित) इस योजना के तहत, ऐसे लघु–स्तरीय/सहायक उपक्रम को प्रोत्साहन दिया जाता है जिसके द्वारा आईएसओ 9000/आईएसओ 14001/एचएसीसीपी प्रमाण हासिल किया गया हो। इस योजना का दायरा बढ़ाया गया है ताकि आईएसओ 14001 प्रमाणन हासिल करने के लिए किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति को शामिल किया जा सके। प्रत्येक मामले में अधिकतम रुपये 75,000 तक कुल व्यय की 75 प्रतिशत सीमा तक आईएसओ 9000/आईएसओ 14001/एचएसीसीपी प्रमाणन हासिल करने के खर्चों की प्रतिपूर्ति की जाती है।

13. लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों में उद्यमिता एवं प्रबंधन विकास के लिए सहयोग (एमएसएमई मंत्रालय द्वारा प्रायोजित) इस स्कीम के तहत नवोन्मेषी व्यवसाय विचारों (नवीन स्वदेशी प्रौद्योगिकी, प्रक्रियाएं, उत्पाद, कार्यविधि आदि) को पोषित करने के लिए प्रारंभिक अवस्था में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिसका कि एक वर्ष में व्यावसायीकरण किया जा सकेगा। 'व्यवसाय इनक्यूबेटर्स (BI)' की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रत्येक व्यवसाय इनक्यूबेटर्स के लिए रुपये 62.5 लाख की समग्र सीमा तक प्रत्येक इनक्यूबेट/विचार के लिए रुपये 4–8 लाख के बीच लागत हो सकती है। प्रति व्यवसाय इनक्यूबेटर्स की दरों पर मदों में रुपये 2.50 लाख का बुनियादी उन्नयन, रुपये 1.28 लाख का अभिउन्मुखता/प्रशिक्षण तथा रुपये 0.22 लाख का प्रशासनिक व्यय शामिल होता है। इसका मुख्य उद्देश्य जानकारी आधारित नवोन्मेषी उद्यमों के विकास को बढ़ावा देना और एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मक एवं उत्तरजीविता शक्ति में सुधार लाना है।

14. सूचना सहायतार्थ सेवाएं (राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा प्रायोजित) सूचना की अति महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रतिस्पर्धा में बढ़ोत्तरी और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की बाधाएं कम होने के कारण, सूचना के लिए मांग नई ऊंचाईयां छू रही है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) द्वारा सूचना सहायतार्थ सेवाएं प्रस्तुत की जा रही हैं जोकि सहायता की एकल खिड़की सुविधा है जिसके द्वारा जहां एक ओर व्यवसाय, प्रौद्योगिकी एवं वित्त पर सूचना प्रदान की जाएगी वहीं दूसरी ओर, भारतीय लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों की प्रमुख सक्षमता का प्रदर्शन भी किया जाएगा। निगम द्वारा अपने मार्ट www.msmemart.com के माध्यम से सेवाएं प्रस्तुत की जा रही हैं जोकि व्यवसाय से व्यवसाय (B 2 B) तथा व्यवसाय से उपभोक्ता (B 2 C) अनुपालन वेबपोर्टल है।

प्लेटिनम सदस्यता : B 2 B तथा B 2 C दोनों पोर्टल में शामिल होने वाले सदस्य को सभी B 2 B एवं B 2 C विशेषताओं

तक असीमित पहुंच मिलेगी और साथ ही 10 उत्पादों की फोटो अपलोड करने की अनुमति होगी।

- **गोल्ड सदस्यता :** केवल B 2 B अथवा B 2 C पोर्टल में शामिल सदस्य को किसी एक पोर्टल की विशेषताओं की अनुमति होगी जिसे चुना गया है और उस पर 10 उत्पादों की फोटो अपलोड करने की अनुमति होगी।

  बेसिक सदस्य : केवल B 2 B पोर्टल के लिए निशुल्क सीमित पहुंच।

15. मुद्रा बैंक : 8 अप्रैल, 2015 को माइक्रो यूनिट्स डेवलेपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी यानी मुद्रा बैंक की स्थापना की गई थी जिसका उद्देश्य भारत में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने हेतु सूक्ष्म इकाइयों का विकास करना और नॉन–कारपोरेट लघु व्यवसाय सेक्टर को वित्तीय सहायता प्रदान करना था। इसका मुख्य उद्देश्य लघु व्यवसाय इकाइयों को ऋण उपलब्ध कराना है। मुद्रा बैंक द्वारा रुपये 50000 से रुपये 10 लाख तक ऋण आवश्यकता वाली सूक्ष्म इकाइयों को ऋण के लिए बैंकों, एमएफआई तथा एनबीएफसी आदि को पुनः वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मुद्रा योजना के तहत, मुद्रा बैंक द्वारा उद्यमियों की बढ़वार एवं वित्तीय ज़रूरतों की अवस्था को चिन्हित करने के लिए तीन उत्पादों नामतः शिशु, किशोर एवं तरुण को प्रांरभ किया गया है। एसएमई सेक्टर के लिए मुद्रा बैंक को रुपये 20000 करोड़ आवंटित किए गए हैं जिससे लघु व्यवसाय एवं उत्पादन इकाइयों की प्रगति को बढ़ाने हेतु क्रेडिट सुविधा में वृद्धि होगी।

16. अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) : इसे एआईएम प्लेटफार्म भी कहा जाता है जिसकी स्थापना भारत का रूपांतरण करने हेतु राष्ट्रीय संस्थान के भीतर बजट 2015 के माध्यम से की गई थी। इसका प्रयोजन इनोवेशन, अनुसंधान एवं विकास की संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों पर बल देते हुए शिक्षाविदों को शामिल करके इनोवेशन उन्नयन प्लेटफार्म की सुविधा प्रदान करना है।

17. स्वरोज़गार एवं प्रतिभा उपयोगिता (एसईटीयू) : यह एक तकनीकी–वित्तीय, इनक्यूबेशन तथा सुविधा कार्यक्रम है जिसका प्रयोजन स्टार्टअप व्यवसाय तथा अन्य स्वरोज़गार गतिविधियों विशेषकर प्रौद्योगिकी प्रेरित क्षेत्रों में सभी पहलुओं में सहयोग प्रदान करना है। सेतु के लिए नीति आयोग में प्रारंभ में रुपये 1000 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है। साथ ही, इसका उद्देश्य स्टार्टअप के माध्यम से लगभग 100,000 रोज़गार उत्पन्न करने का है।

18. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा उद्यमिता विकास की पहल

- कृषि में मूल्य संवर्धन और प्रौद्योगिकी ऊष्मायन केंद्र (वाटिका): यह 3 मॉडलों के माध्यम से काम कर रहा है। i) केवीके परिसर में स्थापना और कौशल विकास के लिए संचालित ii) इकाई को संचालित करने के लिए कौशल विकास और आंशिक वाणिज्यिक शर्तों के संचालन के लिए केवीके परिसर में यूनिट की स्थापना और उद्यमियों के समूह को आउटसोर्सिंग iii) यूनिट को वाणिज्यिक लाइनों पर काम करने के लिए आरकेवीवाई के एक बार अनुदान के साथ एफपीओ या किसी भी निजी संस्था को दिया जाना है। कुल 100 वाटिका केंद्र वाटिका के तहत स्थापित किए जाने हैं और अनुमानित बजट लगभग 2 करोड़ है।
- **पोषक तत्वों के प्रति संवेदनशील कृषि संसाधन और नवाचार (एनएआरआई : नारी) :** प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ–साथ, पारिवारिक खेती में हस्तक्षेप, कृषि को पोषण से जोड़ना, महिलाओं और युवाओं के बीच कौशल विकास, स्थानीय रूप से उपलब्ध भोजन का जैव–सुदृढ़ीकरण, साल भर चलने वाला आहार पैटर्न, पोषक तत्व थाली, पोषण स्मार्ट गांव, इत्यादि पर बल दिया जा रहा है तथा 2 वर्षों के लिए राजस्व के तहत 100 केवीके/2.0 लाख/केवीके को कवर करने वाला कार्यक्रम है जिससे उद्यमिता विकास पर ज़ोर दिया जा रहा है।
- **जनजातीय क्षेत्रों में ज्ञान प्रणाली और होमस्टेड कृषि प्रबंधन (क्षमता केएसएचएएमटीए) :** देश के 125 आदिवासी–बहुल ज़िलों में मौजूद पारंपरिक कृषि ज्ञान प्रणालियों का दस्तावेजीकरण और सत्यापन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य आला क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए उद्यम–आधारित तकनीकी हस्तक्षेप के लिए मॉड्यूल प्रदान करना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उचित क्षमता निर्माण में सहायता दी जाएगी। 'क्षमता' कार्यक्रम में, केवीके ज़िला–स्तर पर नोडल बिंदु के रूप में है और सभी आईसीएआर संस्थानों में टीएसपी के तहत उपलब्ध धन को पूल करके परिचालन किया जाएगा। कार्यक्रम को लाइन विभागों के कार्यक्रमों के साथ अभिसरण में लागू किया जाएगा तथा उद्यमिता विकास पर फोकस होगा।
- **मेरा गांव मेरा गौरव (एमजीएमजी) :** इस योजना का उद्देश्य किसानों के साथ वैज्ञानिकों के प्रत्यक्ष इंटरफेस को बढ़ाना है। किसानों को नियमित आधार पर आवश्यक जानकारी, ज्ञान और सलाह प्रदान करना इसका मुख्य लक्ष्य है। कार्यक्रम के तहत, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के विभिन्न केंद्रों और संस्थानों में कार्यरत वैज्ञानिक और राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों के साथ काम करने वाले किसान क्षेत्र का दौरा करते हैं और खेती में बाधा को हल करने और वैज्ञानिक तरीकों के बारे में जागरूक एवं मार्गदर्शन करने की सुविधा प्रदान करते हैं। इस योजना के तहत, वैज्ञानिकों के समूहों को गांवों का चयन करना है और उस गांव के संपर्क में रहना है और किसानों को तकनीकी और अन्य संबंधित पहलुओं की जानकारी व्यक्तिगत यात्राओं के माध्यम से या दूरसंचार के माध्यम से प्रदान करनी है। इस तरह, राष्ट्रीय कृषि

अनुसंधान और शिक्षा प्रणाली (एनएआरईएस) के 20,000 वैज्ञानिक सीधे गांवों में काम कर सकते हैं तथा उद्यमिता विकास पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

- **फार्मर फर्स्ट :** यह उत्पादन और उत्पादकता से परे ले जाने और बहु–हितधारकों के साथ किसानों–वैज्ञानिकों के संपर्क को बढ़ाने के माध्यम से विशेषाधिकार देने की एक आईसीएआर पहल है। 'फार्मर फर्स्ट' का उद्देश्य प्रौद्योगिकी विकास और अनुप्रयोग के लिए किसानों–वैज्ञानिकों के इंटरफेस को समृद्ध करना है।
- **कृषि में युवाओं को आकर्षित करना और उन्हें सशक्त करना (आर्या) :** आर्या कार्यक्रम का उद्देश्य चयनित क्षेत्रों में स्थायी आय और लाभकारी रोज़गार के लिए विभिन्न कृषि, संबद्ध और सेवा क्षेत्र के उद्यमों को लेने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को आकर्षित करना और उन्हें सशक्त बनाना है। यह प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन और विपणन जैसी संसाधन और पूंजी गहन गतिविधियों को लेने के लिए नेटवर्क समूहों को स्थापित करने के लिए खेत युवाओं को सक्षम बनाता है। आर्या परियोजना 25 राज्यों में केवीके के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है, प्रत्येक राज्य से एक ज़िला। एक ज़िले में, 200–300 ग्रामीण युवाओं की पहचान उद्यमिता की गतिविधियों में उनके कौशल विकास और संबंधित सूक्ष्म उद्यम इकाइयों की स्थापना के लिए की जाएगी, जोकि क्षेत्र में मशरूम, बीज प्रसंस्करण, मृदा परीक्षण, मुर्गीपालन, डेयरी, बकरी, कार्प–हैचरी, वर्मी–कम्पोस्ट आदि, केवीके कृषि विश्वविद्यालयों और आईसीएआर संस्थानों को प्रौद्योगिकी भागीदार के रूप में शामिल करेंगे।
- **स्टूडेंट रेडी :** आइईएडीवाई शब्द ''ग्रामीण उद्यमिता जागरूकता विकास योजना'' को संदर्भित करता है। स्टूडेंट रेडी स्किल डेवलपमेंट की पहल है, जिससे स्टूडेंट्स को स्किल्स मज़बूत करने में मदद मिलती है, जिससे वे वैश्विक चुनौतियों से निपटने में सक्षम हो सकें, और उनकी रोज़गार क्षमता में सुधार के साथ–साथ उद्यम स्थापित करने की क्षमता भी बढ़ सके। छात्रों को रावे घटक के तहत अनुसंधान स्टेशनों और केवीके के समन्वय में खेत पर काम करने का अनुभव मिलता है। छात्र कृषि परिवारों, कृषि आधारित उद्योगों, आरएडब्ल्यूई कार्यक्रम के चरणों के दौरान सहकारी समितियों के साथ गांवों में रहते हैं ताकि उन्हें वास्तविक जीवन क्षेत्र का अनुभव मिल सके, समस्याओं को समझ सकें और इन समस्याओं से निपटने के लिए आत्मविश्वास हासिल कर सकें। यह कार्यक्रम युवाओं को कृषि और संबद्ध क्षेत्र और ऐसे उपक्रमों की ओर आकर्षित करेगा, जब स्थापित होने से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। कृषि की लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।
- **राष्ट्रीय कृषि बाज़ार का निर्माण :** एपीएमसी (एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी) में प्रतिस्पर्धा विपणन वातावरण और भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सभी राज्यों द्वारा एपीएमसी अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता है। किसानों के लिए सीधे विपणन और अनुबंध खेती आसान होनी चाहिए। इसके अलावा, राज्यों को ठेका खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, जिसके तहत खरीदार आधुनिक प्रौद्योगिकी, गुणवत्ता के आदान–प्रदान, अन्य सहायता और गारंटीकृत मूल्य तक किसानों को पहुंच प्रदान कर सकता है। तकनीकी सहायता से समर्थित प्रत्यक्ष खरीद के कुछ प्रयोगों ने कुछ राज्यों के किसानों को फायदा पहुंचाया है।
- **आंचलिक प्रौद्योगिकी प्रबंधन और व्यवसाय योजना और विकास इकाई (जेडटीएमबीपीडी) :** एग्रीकल्चर शोध एवं विकास प्रणाली किसानों, कृषि शोधकर्ताओं, शिक्षकों और विस्तार अधिकारियों, प्रोसेसर और बिजनेसमैन को एकीकृत करता है, जो राष्ट्रीय संपदा और बेहतर आजीविका पैदा करने और विभिन्न स्रोतों से ज्ञान और जानकारी प्राप्त करने के लिए मूल्य श्रृंखला मोड में हैं। देश के पांच क्षेत्रों में पांच ऐसी इकाइयां स्थापित की गई हैं। इन इकाइयों की स्थापना वाले संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) नई दिल्ली (उत्तर क्षेत्र), भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई) इज्जतनगर (उत्तर क्षेत्र), राष्ट्रीय प्राकृतिक रेशा अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी एवं संस्थान (एनआईआरजेएएफटी), कोलकाता (पूर्व क्षेत्र), केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान (सीआईआरसीओटी), मुंबई (पश्चिम क्षेत्र) और केंद्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईएफटी), कोच्चि (दक्षिण क्षेत्र) है। 9 जून, 2016 को आईएआरआई नई दिल्ली में आईसीएआर संस्थानों और उत्तर भारत के राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर एग्री–स्टार्टअप के लिए दूसरा एग्रीबिज़नेस इनक्यूबेशन प्रोग्राम –अराइज़ –लांच पैड" शुरू किया है। भारत सरकार, 'स्किल इंडिया' और 'स्टार्टअप इंडिया' की अपनी विभिन्न पहलों के माध्यम से, युवा उद्यमियों द्वारा विविध क्षेत्रों के स्पेक्ट्रम पर नए स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित कर रही है। एग्रीबिजनेस पर ध्यान देने के साथ आईएआरआई का मानना है कि युवा उद्यमियों को एक मंच प्रदान किया जाना चाहिए जो आज की बाज़ार की ज़रूरतों को पूरा करने हेतु अभिनव समाधान प्रदान करने के लिए अपनी रचनात्मक क्षमताओं को प्रखर करने के लिए लांच–पैड के रूप में कार्य करता है। ''एरीज'' एक ऐसी पहल है, जिसमें सरकार के प्रयासों को युवा उद्यमियों/विचारों को पहचानने के शुरुआती चरण में ही एक कदम आगे बढ़ाया जा रहा है और एक उचित व्यवसाय प्रस्ताव और अंततः एक व्यवहार्य व्यवसाय इकाई बनाने हेतु आवश्यक कौशल/सलाह देने के लिए प्रदान

किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य अनुमोदित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करने हेतु कौशल विकास को प्रोत्साहित करना है।

कृषि विधेयक 2020: क्या हैं प्रावधान

कृषि में बदलाव और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से नवनिर्मित विधेयक भी कृषि व्यापार व कृषक सशक्तीकरण में सहायक होंगे तथा ये, कृषि उपज का बाधारहित व्यापार सक्षम बनाएंगे और किसानों को सरकारी व अन्य निवेशकों के साथ जुड़ने में भी सशक्त बनाएंगे। देश में किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए विभिन्न प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। ये प्रतिबंध अधिसूचित एपीएमसी मार्केट यार्ड से बाहर कृषि उपज बेचने में किसानों के ऊपर लगाए गए थे। किसान राज्य सरकारों के पंजीकृत लाइसेंसधारकों को ही अपनी उपज बेचने के लिए बाध्य था। इसके अलावा, राज्य सरकारों द्वारा लागू किए गए विभिन्न एपीएमसी कानूनी प्रावधानों के चलते विभिन्न राज्यों के बीच कृषि उपज के बाधारहित आवागमन में भी अनेक बाधाएं मौजूद थीं। इस बाधा को दूर करने हेतु किसान उपज व्याापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक, 2020 के माध्यम से एक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का प्रावधान किया गया है जिसमें किसान और व्यापारी विभिन्न राज्य कृषि उपज विपणन विधानों के तहत अधिसूचित बाज़ारों के भौतिक परिसरों या सम–बाज़ारों से बाहर निपुण, पारदर्शी और बाधारहित, एक राज्य से दूसरे राज्य और अपने राज्यों में, व्यापार, वाणिज्यों तथा किसानों की उपज को बढ़ावा देने के लिए प्रतिस्पर्धी वैकल्पिक व्यापार चैनलों के माध्यम से किसानों की उपज की खरीद और बिक्री लाभदायक मूल्यों पर करने से संबंधित चयन की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार और इससे जुड़े मामलों या आकस्मिक मामलों के लिए एक सुविधाजनक ढांचा भी उपलब्ध कराया जाएगा। यह कानून देश में व्यापक रूप से विनियमित कृषि बाज़ारों को बाधारहित बनाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। यह किसानों के लिए अधिक विकल्प खोलेगा, किसानों की विपणन लागत कम करेगा और उन्हें बेहतर मूल्य प्राप्त करने में भी मदद करेगा। यह कानून अधिक (सरप्लस) उत्पादन वाले क्षेत्रों के किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त करने और उत्पाद की कमी वाले क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को कम कीमत पर उत्पाद मिलने में मदद करेगा।

भारत के अधिकांश किसान लघु व सीमांत हैं तथा कृषि की मौसम पर निर्भरता, उत्पादन की अनिश्चितताएं, बाज़ार की अस्थिरता, कृषि लागत और उत्पादन प्रबंधन दोनों के संबंध में कृषि को जोखिम भरा बनाना जैसी कुछ कमजोरियां भी कृषि को अन्य व्यवसायों जैसा लाभप्रद बनाने में आज भी कुछ हद तक ही समर्थ हैं। किसानों (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) के मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक, 2020 में कृषि समझौतों पर राष्ट्रीय ढांचे के लिए प्रावधान है, जो किसानों को कृषि व्यापार फर्मों, प्रोसेसरों, थोक विक्रेताओं, निर्यातकों या बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ कृषि सेवाओं और एक उचित तथा पारदर्शी तरीके से आपसी सहमत लाभदायक मूल्य, ढांचे में भविष्य में होने वाले कृषि उत्पादों की बिक्री तथा इनसे जुड़े मामलों या इसके आकस्मिक मामलों में जुड़ने के लिए किसानों को संरक्षण देगा और उनका सशक्तीकरण भी करता है। इस बिल में मुख्यतः अनुबंध (कांट्रैक्ट) फार्मिंग की बात की गई है जिसमें किसान खरीदारों, खुदरा विक्रेताओं एवं निर्यातकों के साथ अनुबंध कर, फसल बोने से पहले ही खरीद की कीमत तय कर सकेंगे, जिससे किसान को खरीद मूल्य मिलना सुनिश्चित होगा (बिक्री के समय मूल्य की अनिश्चितता से कृषक बाध्य नहीं होगा)। इस बिल में अनुबंध (कांट्रैक्ट) फार्मिंग पर राष्ट्रीय अनुबंध ढांचा बनाया जाएगा तथा अनुबंधित किसानों को गुणवत्ता वाले बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करना, तकनीकी सहायता और फसल स्वास्थ्य की निगरानी, ऋण की सुविधा और फसल बीमा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यह कानून बाज़ार की अस्थिरता के जोखिम को किसान से हटाकर प्रायोजक के पास ले जाएगा और किसान की आधुनिक तकनीक और बेहतर कृषि इनपुट से पहुंच को भी सक्षम बनाएगा। यह कानून विपणन की लागत कम करेगा और किसानों की आय में सुधार करेगा। किसान सीधे विपणन में शामिल होंगे जिससे बिचौलियों द्वारा उत्पन्न अवरोध कम होगा और किसानों को पूरा मूल्य प्राप्त होगा। इस विधेयक में किसानों को पर्याप्त संरक्षण प्रदान किया गया है तथा समय पर विवाद निवारण के लिए प्रभावी विवाद समाधान तंत्र उपलब्ध कराया गया है।

वस्तुतः वर्तमान परिस्थिति में किसान कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस, प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट में निवेश की कमी के कारण बेहतर मूल्य प्राप्त करने में असमर्थ रहता है क्योंकि आवश्यक वस्तु अधिनियम के कारण उद्यमशीलता की बाधा है। अधिक फसल होने पर, (विशेष रूप से जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के मामले में) किसानों को भारी हानि उठानी पड़ती है। यह कानून मूल्य स्थिरता लाते हुए किसान और उपभोक्ता दोनों की ही मदद करेगा। यह प्रतिस्पर्धी बाज़ार का माहौल बनाएगा और भंडारण सुविधाओं की कमी के कारण होने वाली कृषि उत्पादों की बर्बादी भी रोकेगा। आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020, अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुंओं की सूची से हटाने का प्रावधान करता है। इससे निजी निवेशकों को उनके व्यापार के परिचालन में अत्यधिक नियामक हस्तक्षेपों की आशंका दूर हो जाएगी। उत्पाद, उत्पाद सीमा, आवाजाही, वितरण और आपूर्ति की स्वतंत्रता से बिक्री की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद मिलेगी और कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र/देशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित होगा।

(डॉ. प्रतिभा जोशी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के कृषि प्रौद्योगिकी आकलन एवं स्थानांतरण केंद्र में वैज्ञानिक हैं; डॉ. गिरिजेश सिंह महरा कृषि प्रसार संभाग में बतौर वैज्ञानिक कार्यरत हैं।)
ई–मेल : girijeshmahra22@gmail.com

सशक्त ग्रामीण महिला उद्यमियों से नए भारत का सृजन

–पंखुड़ी दत्त

आज भारत दुनिया के सबसे सस्ती डाटा दरों वाले देशों में शामिल है जहां कम लागत के ऐसे फीचर और स्मार्ट मोबाइल फोन भी उपलब्ध हैं जिन पर खास वित्तीय एप्लिकेशंस का उपयोग किया जा सकता है। महिलाएं अब अपने बैंक खातों तक मोबाइल फोन के ज़रिए पहुंच सकती हैं और घर की सुरक्षा में रहते हुए अपनी सुविधा के अनुसार वित्तीय लेन–देन कर सकती हैं। 2014 से 2017 के दौरान सरकार के लगातार प्रयासों और अनुकूल बाज़ार स्थितियों की वजह से बैंक खातों के स्वामित्व के क्षेत्र में स्त्री–पुरुष अंतर 20 प्रतिशत से घटकर 6 प्रतिशत के स्तर पर आ गया है।

समय–समय पर कराए जाने वाले आवधिक श्रमशक्ति सर्वेक्षण के अंतर्गत वर्ष 2018–19 के सर्वेक्षण के अनुसार भारत की 59.7 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएं स्वरोज़गार में लगी हैं, 11 प्रतिशत नियमित मज़दूरी या वेतन प्राप्त करती हैं जबकि 29.3 प्रतिशत आकस्मिक श्रमिक का काम करती हैं। इसकी तुलना में ग्रामीण भारत के 57.4 प्रतिशत पुरुष स्वरोज़गार करते हैं, 14.2 प्रतिशत नियमित मज़दूरी या वेतन से अपनी रोज़ी–रोटी कमाते हैं और 28.3 प्रतिशत आकस्मिक श्रमिक हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में काम के प्रकार के लिहाज से महिलाओं और पुरुषों का हिस्सा भिन्न नहीं है, लेकिन स्वरोज़गार के प्रकार की दृष्टि से दोनों में भारी अंतर है। ग्रामीण भारत में स्वरोज़गार में संलग्न लोगों में से 84 प्रतिशत बिना किसी श्रमिक की मदद के खुद ही काम करने वाले मज़दूर और नियोक्ता हैं जबकि केवल 37 प्रतिशत महिलाएं इस श्रेणी में आती हैं। ग्रामीण भारत में स्वरोज़गार में लगी महिलाओं में से 63 प्रतिशत अपने ही कुटीर उद्योग में हेल्पर की तरह कार्य करती हैं। इससे उनकी हालत बड़ी नाजुक हो जाती है क्योंकि अक्सर उन्हें औपचारिक रोज़गार करने वालों की तरह कोई सामाजिक संरक्षण या अतिरिक्त लाभ नहीं मिल पाता।

ग्रामीण भारत में महिला रोज़गार

आवधिक श्रमशक्ति सर्वेक्षण (पी.एल.एफ.एस.) के अनुसार राज्यों में जम्मू–कश्मीर, मिज़ोरम हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश में ग्रामीण भारत में स्वरोज़गार में लगी महिला श्रमिकों का सबसे बड़ा हिस्सा रहता है। इसकी तुलना में चंडीगढ़, बिहार, केरल और असम ऐसे कुछ राज्य हैं जिनमें स्वरोज़गार में लगी ग्रामीण महिलाओं का हिस्सा सबसे कम है। चंडीगढ़ और

बिहार में आकस्मिक श्रमिक के रूप में काम करने वाली महिलाओं का हिस्सा सबसे कम है। असम और केरल में नियमित वेतन पर काम करने वाली महिलाओं का हिस्सा अधिक है। जिन राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में सकल घरेलू मूल्य संवर्धन का अधिक हिस्सा था वहां भी स्वरोज़गार अधिक पाया गया जो 0.30 के सहसंबंध गुणांक के रूप में परिलक्षित हुआ। जहां एक ओर सहसंबंध की प्रकृति सहजात पाई गई, वहीं सहसंबंध गुणांक के कम होने से संकेत मिला कि यह संबंध मज़बूत नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य की प्रति व्यक्ति आय का स्वरोज़गार में लगी महिलाओं से सहसंबंध –0.25 प्रतिशत पाया गया। इसका मतलब यह हुआ कि स्वरोज़गार में लगी महिलाओं की अधिक साझेदारी वाले राज्यों में प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत कम हो सकती है। हालांकि संबंध की दिशा प्रत्याशित है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे रोज़गार के अनौचपारिक होने और इससे जुड़ी कमज़ोरियों को देखते हुए सहसंबंध गुणांक के कम होने का अर्थ है कि यह संबंध सुदृढ़ नहीं है। प्रति व्यक्ति आय और महिला रोज़गार के बीच नकारात्मक संबंध को ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोज़गार में लगी महिलाओं को पुरुषों की 30 दिन की औसत मज़दूरी में भी देखा जा सकता है।

पीएलएफएस 2017–18 सर्वेक्षण में दिए गए आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों की स्वरोज़गार में लगी महिलाएं, शहरी और ग्रामीण, दोनों ही इलाकों के सबसे कम आमदनी वाले पुरुषों और महिलाओं में शामिल थीं। औसतन, स्वरोज़गार में लगे शहरी पुरुषों की स्वरोज़गार में संलग्न ग्रामीण महिलाओं से चार गुना अधिक आमदनी थी। इसी तरह, ग्रामीण क्षेत्रों के स्वरोज़गार करने वाले पुरुष भी इन्हीं इलाकों की महिलाओं के मुकाबले 2.5 गुना अधिक आय अर्जित कर रहे थे। दूसरी तरफ, शहरी इलाकों में स्वरोज़गार करने वाली महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों की स्वरोज़गार में लगी महिलाओं से 1.7 गुना अधिक कमा रही थीं। इतना ही नहीं, जुलाई 2017 और जून 2018 के दौरान ग्रामीण और शहरी दोनों ही इलाकों के पुरुषों की आमदनी में वृद्धि हुई, वहीं शहरी इलाकों की स्वरोज़गार करने वाली महिलाओं की आमदनी में तो बढ़ोत्तरी हुई मगर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की आमदनी घट गई। जहां शहरी इलाकों में पुरुषों की सकल आमदनी करीब 16,300 रुपये मासिक थी, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की सकल आमदनी करीब 3,900 रुपये ही थी।

- आय में इस असमानता, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में देखी गई असमानता का कारण यह हो सकता है कि महिलाओं की मुख्य ज़िम्मेदारी परिवार के बच्चों और बजुर्गों की देखभाल मानी जाती हैं। आमतौर पर खाना पकाना, घर की साफ–सफाई और पानी लाना ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की प्रमुख ज़िम्मेदारी मानी जाती हैं। यह बात ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोज़गार में लगी महिलाओं द्वारा शहरी महिलाओं की स्वरोज़गार करने वाली महिलाओं के मुकाबले सप्ताह में करीब 19–21 घंटे कम और स्वरोज़गार में संलग्न ग्रामीण पुरुषों की तुलना में करीब 10–12 घंटे कम है। शहरी इलाकों की स्वरोज़गार करने वाली महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्रों की स्वरोज़गार में संलग्न महिलाओं से कुछ घंटे अधिक कार्य करना पड़ता है जो इस बात का द्योतक है कि ग्रामीण महिलाओं की तरह उन पर भी घरेलू कामकाज की ज़्यादा बड़ी ज़िम्मेदारी रहती है।

> "सामाजिक अनुकूलन के दबाव से परिवार की देखभाल की प्रमुख ज़िम्मेदारी निभाने और घर के रोज़मर्रा के ज़्यादातर कामकाज निपटाने के अलावा ऐसी कौन–सी बाधाएं हैं जो उद्यमी के रूप में महिलाओं की भागीदारी और दक्षता के रास्ते में आड़े आती हैं? इन बाधाओं में उनके मामूली शैक्षिक–स्तर से लेकर वित्तीय सहायता की कमी और सूचना तथा जानकारी जैसी अनेक विषमताएं शामिल हैं। बीते वर्षों में सरकार ने ग्रामीण महिलाओं की साक्षरता दर में सुधार के लिए ज़ोरदार कदम उठाए हैं। मगर शहरी और ग्रामीण दोनों ही तरह के इलाकों में पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर में अंतर बना हुआ है।"

पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत की 78.1 प्रतिशत की औसत साक्षरता दर की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में 7 साल से अधिक उम्र की केवल 65.7 प्रतिशत बालिकाएं/महिलाएं साक्षर पाई गईं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर में सुधार के बावजूद श्रमशक्ति में उनकी भागीदारी में बढ़ोत्तरी नहीं हुई है।

वित्तीय समावेशन से ग्रामीण महिला उद्यमियों की आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना बनती है। इस संबंध में रिपोर्टों और आंकड़ों से पता चलता है कि बैंकों तक पहुंच बढ़ने का गरीबों और उपेक्षित वर्गों की महिलाओं पर सकारात्मक असर पड़ा है। इससे वे अपनी आर्थिक गतिविधियों के साथ–साथ आमदनी भी बढ़ा सकती हैं। पारम्परिक बैंकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं तक लोगों की पहुंच बढ़ाई है, लेकिन सरकार द्वारा जारी सब जगह मान्य किसी पहचान–पत्र के न होने तथा सीमित वित्तीय साक्षरता

> महिला उद्यमिता प्लेटफार्म (डब्ल्यू.ई.पी.) नीति आयोग की एक डिजिटल पहल है जिसका उद्देश्य महिला उद्यमियों के लिए सूचना के असंतुलन को कम करना है। यह ऑनलाइन प्लेटफार्म 8 मार्च, 2018 को शुरू किया गया था। यह सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संगठनों के साथ सहयोग कर महिला केंद्रित तमाम योजनाओं, पहलों और कार्यक्रमों से संबंधित सूचनाओं को एक पोर्टल पर लाता है। यह मंच वित्तपोषण और वित्तीय सहायता, इनक्यूबेशन और रफ्तार बढ़ाने, उद्यमियों के मार्गदर्शन, सामुदायिक नेटवर्किंग और अनुपालन तथा कर मूल्यांकन में सहायता उपलब्ध कराता है।

जहां जैम (जनधन, आधार और मोबाइल) से औपचारिक वित्तीय सेवाओं का विस्तार हुआ है, वहीं सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए ऐसी योजनाएं बनाई हैं जिनसे उन्हें अपना स्वतंत्र उपक्रम शुरू करने को प्रोत्साहन मिला है। विश्व बैंक के बैटर दैन कैश अलायंस और वूमन वर्ल्ड बैंक के हाल के एक साझा प्रकाशन में मणिपुर की रोमिता हीसनाम के उदाहरण का उल्लेख किया गया है[2]। उन्होंने प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का फायदा उठाकर बिजली से चलने वाला करघा खरीदा और अपने घर पर ही कारोबार शुरू किया। उन्हें अपना घर चलाने के साथ–साथ ऐसा कारोबार चाहिए था जिसमें घर से काम किया जा सके। अपने इस उद्यम से उनके दोनों उद्देश्य पूरे हो गए। इस कार्यक्रम के तहत उन्हें ऋण के साथ–साथ पावर लूम खरीदने के लिए सब्सिडी भी प्राप्त हुई। अब वह कपड़ा बुनकर स्थानीय बाज़ार में बेचती हैं और उन्हें उम्मीद है कि कभी उनका अपना शोरूम भी होगा। कारोबारी कौशल के साथ–साथ उन्होंने एटीएम का उपयोग करना और अपने बैंक खाते में पैसा बचाने के साथ–साथ दूरदर्शितापूर्ण वित्तीय प्रबंधन कौशल सीखा ताकि कर्ज़ की निश्चित किश्त का भुगतान किया जा सके।

के कारण महिलाओं के वित्तीय समावेशन में कमियां रह गई हैं।

भारत सरकार ने तीन–स्तरीय रणनीति अपनाकर इस मसले को सुलझाने की कोशिश की है जो जनधन योजना, आधार कार्ड और मोबाइल फोन की त्रिमूर्ति (जैम ट्रायनिटी) के नाम से भी जानी जाती है। जहां 'आधार' से प्रत्येक भारतीय को सरकार द्वारा प्राधिकृत 12 अंकों की विशिष्ट बायोमीट्रिक पहचान संख्या प्राप्त हुई है, वहीं जनधन योजना के अंतर्गत महिलाओं का अपना व्यक्तिगत बैंक खाता खोलने पर ज़ोर दिया गया है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अब तक करीब 20 करोड़ महिलाओं ने जनधन योजना के अंतर्गत अपने बैंक खाते खोले हैं और देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान उन्हें सरकार से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना का भी फायदा मिला है। इससे उन्हें अपना खुद का खाता स्वयं संचालित करने में मदद मिली है बल्कि अपने पैसे और बचत को अपनी मर्जी से खर्च करने की अधिक स्वायत्तता भी मिल गई है। अपना कारोबार चलाने वाली महिलाओं के लिए ऐसा करना और भी ज़रूरी था क्योंकि ऐसे कई उदाहरण हैं जिनसे पता चलता है कि अक्सर महिलाओं द्वारा अपने कामधंधे को चलाने के लिए जो सूक्ष्म ऋण लिए जाते हैं, उसका उपयोग उनके पति के कारोबार में किया जाता था[1]। आधार और जनधन खातों को मोबाइल नेटवर्क संपर्क से और बढ़ावा मिला है। आज भारत दुनिया के सबसे सस्ती डाटा दरों वाले देशों में शामिल है जहां कम लागत के ऐसे फीचर और स्मार्ट मोबाइल फोन भी उपलब्ध हैं जिन पर खास वित्तीय एप्लिकेशंस का उपयोग किया जा सकता है। महिलाएं अब अपने बैंक खातों तक मोबाइल फोन के ज़रिए पहुंच सकती हैं और घर की सुरक्षा में रहते हुए अपनी सुविधा के अनुसार वित्तीय लेन–देन कर सकती हैं। 2014 से 2017 के दौरान सरकार के लगातार प्रयासों और अनुकूल बाज़ार स्थितियों

ग्रामीण भारत में महिलाओं को रोज़गार (प्रतिशत में)

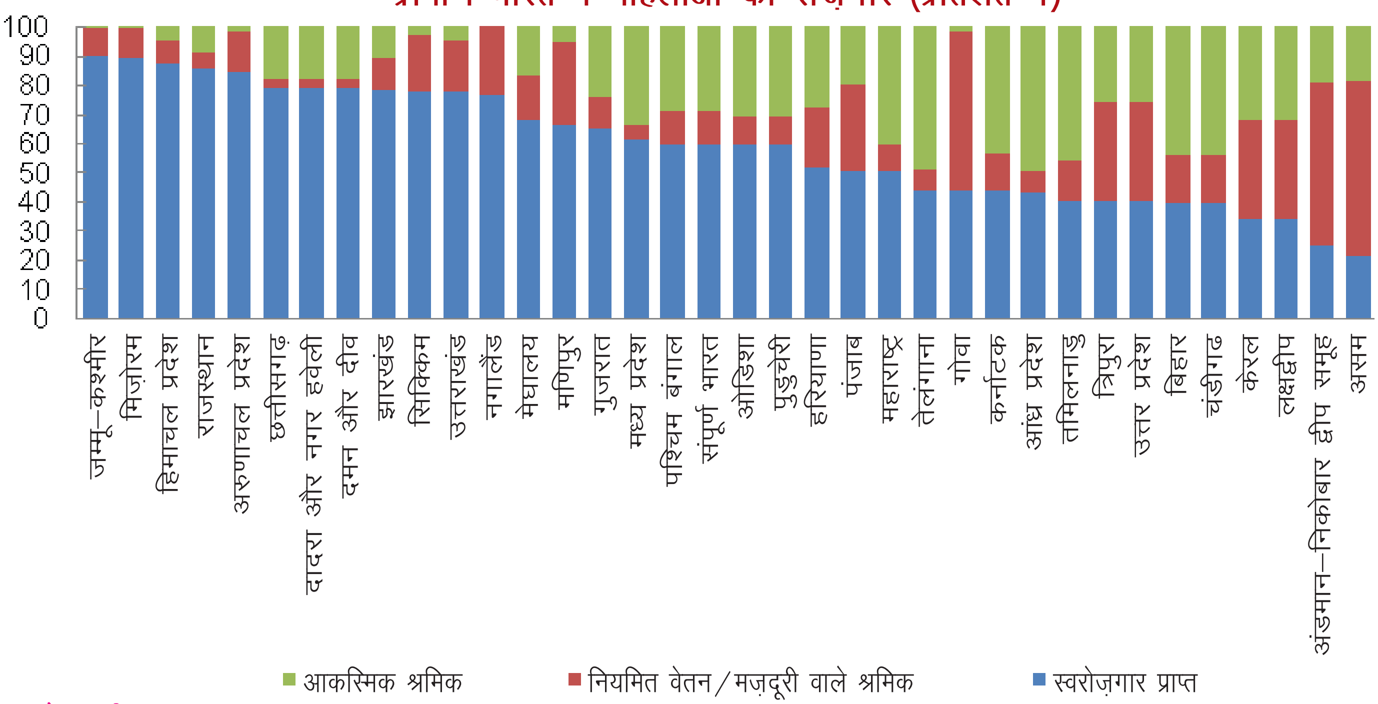

स्रोत : पीएलएफएस 2018–19

1. Bernhardt, Arielle, Erica Field, Rohini Pande, and Natalia Rigol. 2017. हाउसहोल्ड मैटर्सः रिविजिटिंग द रिटर्नस टू कैपिटल अमंग फीमेल माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स, वर्किंग पेपर 23358, नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च, कैंब्रिज, Mass.
2. https://www.gpfi.org/news/advancing-women-s-digital-financial-inclusion-0

की वजह से बैंक खातों के स्वामित्व के क्षेत्र में स्त्री–पुरुष अंतर 20 प्रतिशत से घटकर 6 प्रतिशत के स्तर पर आ गया है।

खादी और ग्रामोद्योग विभाग राष्ट्रीय–स्तर की नोडल एजेंसी के रूप में पीएमईजीपी योजना को लागू करता है। राज्य–स्तर पर राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड और ज़िला–स्तर पर ज़िला उद्योग केंद्र तथा बैंक इसे लागू करते हैं। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को अपने खातों में सब्सिडी प्राप्त होती है और बैंकों को केवीआईसी से सब्सिडी प्राप्त हो जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं विशेष श्रेणी की लाभार्थी मानी जाती हैं। उन्हें 5 प्रतिशत परियोजना लागत का भुगतान करना पड़ता है और 35 प्रतिशत की दर से सब्सिडी मिलती है। कुल लागत की बकाया राशि बैंक ऋण के रूप में लाभार्थी को दे दी जाती है।

महिलाओं की वित्तीय निर्भरता, खासतौर पर ग्रामीण महिलाओं की वित्तीय निर्भरता के समाज से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए सरकार ने 2015 में सुकन्या समृद्धि खातों की योजना शुरू की। इसका उद्देश्य माता–पिता को अपनी बेटियों की शिक्षा–दीक्षा और विवाह के खर्च के लिए बचत खाता खोलने को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के अंतर्गत सबसे ज़्यादा कर छूट मिलती है, कुछ पक्की गारंटियां प्राप्त होती हैं और इसका खाता पास के पोस्ट आफिस में खोला जाता है। देश के ग्रामीण इलाकों में डाक सेवा की विस्तृत पहुंच को ध्यान में रखते हुए यह योजना शुरू की गई। इस साल के प्रारंभ में वित्त मंत्री ने लॉकडाउन की वजह से महिला स्वयंसहायता समूहों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें बिना किसी ज़मानत के 20 लाख रुपये का ऋण देने के प्रावधान की घोषणा की थी। महिला उद्यमियों की मदद के लिए एक अन्य योजना स्टैंडअप इंडिया है जिसे 2016 में शुरू किया गया था। इसमें महिला उद्यमियों को कृषि क्षेत्र से इतर कारोबार की स्थापना के लिए 10 लाख रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये तक के ऋण दिए जाते हैं। वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति (एनएसएफई 2020–25) जारी की है। इसमें महिलाओं में भी वित्तीय साक्षरता में सुधार की आवश्यकता को स्वीकार किय गया है। रिज़र्व बैंक के 2019 के सर्वेक्षण के अनुसार केवल 21 प्रतिशत महिलाओं ने वित्तीय साक्षरता सर्वेक्षण में न्यूनतम स्तर को पार करने योग्य अंक प्राप्त किए जबकि पुरुषों में यह 29 प्रतिशत रहा।

महिला हाट जैसी सरकार की पहल अनिवार्य और महत्वपूर्ण हैं। इसकी पहुंच उतनी महंगी नहीं है जितनी डिजिटल ऑनलाइन ई–कामर्स कंपनियों की होती है। अगला कदम ग्रामीण महिला उद्यमियों को शिक्षित करना और उनकी मदद करना होना चाहिए ताकि वे अपने उत्पादों को डिजिटल ई–कामर्स कंपनियों के ज़रिए सीधा ग्राहकों को बेच सकें।

ग्रामीण क्षेत्रों की महिला उद्यमियों की लागत शृंखला में सूचना असंतुलन एक अन्य कमज़ोर कड़ी है। नीति आयोग का महिला उद्यमिता प्लेटफार्म (डब्ल्यू.ई.पी.) ऐसी ही एक डिजिटल पहल है

जिसका उद्देश्य महिला उद्यमियों के लिए सूचना के असंतुलन को कम करना है। यह ऑनलाइन प्लेटफार्म 8 मार्च, 2018 को शुरू किया गया था। यह सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संगठनों के साथ सहयोग कर महिला केंद्रित तमाम योजनाओं, पहलों और कार्यक्रमों से संबंधित सूचनाओं को एक पोर्टल पर लाता है। इस योजना के तीन स्तंभ हैं–महत्वाकांक्षी महिला उद्यमियों को अपना कारोबार स्थापित करने को प्रेरित करने के लिए इच्छाशक्ति; उदीयमान उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान और माहौल की सहायता उपलब्ध कराने के लिए ज्ञानशक्ति और कारोबार की स्थापना और उसे बढ़ाने के लिए व्यावहारिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए कर्मशक्ति। सारांश में, यह मंच वित्तपोषण और वित्तीय सहायता, इनक्यूबेशन और रफ्तार बढ़ाने, उद्यमियों के मार्गदर्शन, सामुदायिक नेटवर्किंग और अनुपालन तथा कर मूल्यांकन में सहायता उपलब्ध कराता है।

2017–18 में स्वरोज़गार से पिछले 30 दिन की औसत सकल आय

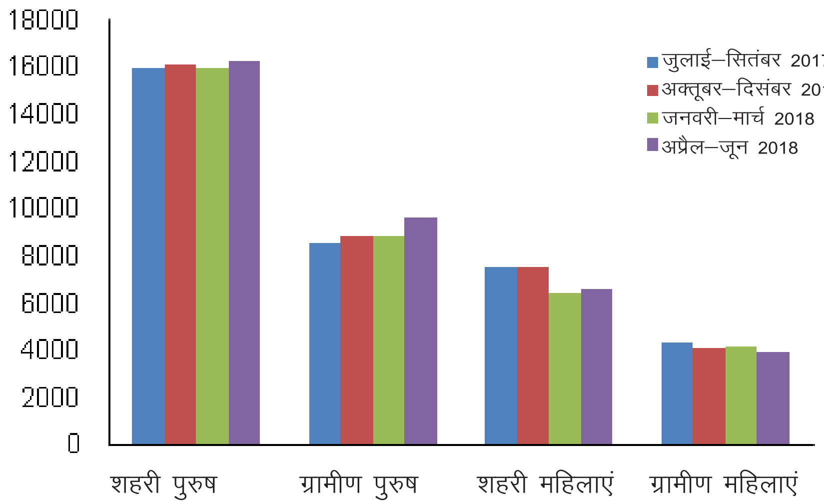

स्रोत : पीएलएफएस 2017–18

डब्ल्यूईपी का उपयोग करने वाले 7,000 उद्यमियों के डाटा से संकेत मिलता है कि उसके 90 प्रतिशत पंजीकृत उपभोक्ता 20 और 49 आयु वर्ग के हैं जबकि इसके करीब 40 प्रतिशत पंजीकृत उपभोक्ता 30–40 आयु वर्ग में आते हैं। कोविड–19 के लॉकडाउन के दौर में डब्ल्यूईपी ने घर से काम करने वाली महिलाकर्मियों को कच्चे माल के सप्लायरों और संभावित खरीदारों, दोनों से ही जोड़कर 1,00,000 से अधिक मॉस्क बनाए और बेचे जिससे लॉकडाउन के दौरान ऐसे प्रत्येक श्रमिक को 4,500 रुपये की न्यूनतम आमदनी सुनिश्चित की जा सकी।[3] इन दिनों यह प्लेटफार्म ग्रामीण की बजाय शहरी महिला उद्यमियों के बीच अधिक लोकप्रिय है और ग्रामीण उद्यमियों की आवश्यकाओं के अनुसार अपने को ढालने के प्रयास कर रहा है। उनके डाटा के संक्षिप्त नमूने से पता चलता है कि टीयर–3 शहरों की महिला उद्यमियों में से अधिकांश कृषि से संबंधित व्यवसायों में संलग्न हैं। इसके विपरीत टीयर–1 और टीयर–2 शहरों की अधिकांश महिला उद्यमी शिक्षा क्षेत्र के उपक्रम संचालित कर रही हैं। महिला हाट महिला उद्यमियों और स्वयंसहायता समूहों के लिए सरकार की एक अन्य पहल है जिसके माध्यम से वे स्वयं के बनाए सामान को ऑनलाइन प्लेटफार्म पर प्रदर्शित कर सकती हैं। यह बाज़ार तक ग्रामीण उद्यमियों की पहुंच बढ़ाने, डिजिटल समावेशन में वृद्धि करने और महिलाओं के सशक्तीकरण का अनोखा तरीका है।

जैसाकि ऊपर बताया जा चुका है, सरकार द्वारा की गई कई पहलों के अलावा ऐसी कई सहकारी समितियां और मुनाफे के बिना और मुनाफे के लिए कार्य करने वाले संगठन हैं जो ग्रामीण महिला उद्यमियों से संपर्क साधकर सूचनाओं में असंतुलन कम करने के साथ–साथ बाज़ार तक अपनी पहुंच बढ़ाना और उत्पादकता में सुधार करना चाहते हैं। इस संबंध में महिला हाट जैसी सरकार की पहल अनिवार्य और महत्वपूर्ण हैं। इसकी पहुंच उतनी महंगी नहीं है जितनी डिजिटल ऑनलाइन ई–कामर्स कंपनियों की होती है। अगला कदम ग्रामीण महिला उद्यमियों को शिक्षित करना और उनकी मदद करना होना चाहिए ताकि वे अपने उत्पादों को फ्लिपकार्ट या एमेज़ॉन जैसी बड़ी ऑनलाइन कारोबार करने वाली डिजिटल ई–कामर्स कंपनियों के ज़रिए सीधा ग्राहकों को बेच सकें। इससे न सिर्फ ग्रामीण उद्यमियों को अपने उत्पादों की पहुंच काफी विस्तृत बाज़ार तक बनाने में मदद मिलेगी, बल्कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी सुदृढ़ किया जा सकेगा। करों में छूट और ऋण उपलब्ध कराने जैसे कई कार्यक्रमों के ज़रिए ग्रामीण महिला उद्यमियों से कच्चा माल या सामान प्राप्त करने वाले कारोबारों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। इससे निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी जिसका लाभ अंततः महिला उद्यमियों को ही मिलेगा।

रिपोर्टों से यह भी पता चलता है कि महिला उद्यमी उस स्थिति में अधिक आत्मविश्वास से काम करती हैं जब बैंकों में अधिकारी और कर्मचारी भी महिलाएं हों। इस समय बैंकों और सूक्ष्म वित्त संस्थाओं में महिलाकर्मियों की संख्या क्रमशः 22 प्रतिशत और 12 प्रतिशत ही है। पी.एल.एफ.एस. सर्वेक्षण से स्पष्ट संकेत मिलता है कि स्वरोज़गार करने वाली ग्रामीण महिलाएं काम की प्रकृति और मज़दूरी के लिहाज से सभी तरह के उद्यमियों में सबसे कमज़ोर होती हैं। समय की आवश्यकता यही है कि बाज़ार शक्तियों को एकजुट किया जाए ताकि वे अपनी असली ताकत का फायदा उठा सकें।

(लेखिका नीति आयोग में पब्लिक पॉलिसी कंसल्टेंट हैं।)

(लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।)

ई–मेल : pankhuri.dutt@nic.in

3. https://niti.gov.in/documents/arth-niti

विज्ञान-प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और स्टार्टअप
सपनों को साकार करते युवा उद्यमी एवं नवप्रवर्तक

–निमिष कपूर

आज विज्ञान आधारित स्टार्टअप युवा उद्यमशीलता के लिए सफलता की नई इबारत लिख रहे हैं। आज ग्रामीण भारत के विकास में युवा एवं उद्यमी नवप्रवर्तक विज्ञान, प्रौद्यागिकी, तकनीकी विकास, जैव प्रौद्योगिकी पर आधारित अपने विचारों को व्यवसाय का रूप दे सकते हैं। स्टार्टअप इंडिया ने नए विचारों और सपनों को पंख दिए हैं और इन सपनों को ज़मीनी–स्तर पर साकार करने का रास्ता भी दिखाया है। आज किसी नए उद्यमी को अपने विचार के साथ भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर विचार बेहतर हैं तो स्टार्टअप इंडिया उसे साकार करने की दिशा में पूरा योगदान देगा।

भारत युवाओं का देश है। यहां 50 फीसदी से ज़्यादा लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं, यानी भारत में युवा और ऊर्जावान लोगों की अच्छी–खासी संख्या है और युवाओं के मन में हमेशा नए विचारों की कोपलें फूटती रहती हैं। आज इन नए विचारों में नवसृजन के पंख लगाकर उड़ान भरने का मौका दे रहा है सरकार का स्टार्टअप अभियान।

स्टार्टअप में नए विचारों और उनसे होने वाले परिवर्तन पर ज़ोर दिया जाता है। देश के संस्थानों में सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादों और प्रक्रियाओं में होने वाले अनुसंधान से युवाओं को स्टार्टअप आरंभ करने के मौके मिल रहे हैं। स्टार्टअप संबंधी उद्यमिता विकास के लिए सरकार ने कई पहलों जैसे कि अटल इनोवेशन मिशन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइज़ेशन, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया आदि की शुरुआत की है। इस दिशा में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की शुरुआत की है जो वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहन देने के साथ–साथ स्टार्टअप को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते हैं। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 5000 स्टार्टअप और 200 इनक्यूबेटर को आर्थिक सहायता प्रदान की है। स्टार्टअप के संदर्भ में इनक्यूबेटर का तात्पर्य एक कंपनी या स्थान से है जो स्टार्टअप के प्रबंधन, प्रशिक्षण या कार्यालय संबंधी सेवाओं की उपलब्धता में सहायक होता है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने पिछले 60 साल की तुलना में, छह वर्षों में अधिक इनक्यूबेटर स्थापित किए हैं। आइए, जानते हैं कि केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी विभाग किन योजनाओं के ज़रिए देश में स्टार्टअप को प्रोत्साहित कर रहे हैं जिसमें आर्थिक सहायता भी दी जा रही है।

राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास बोर्ड के 'निधि' कार्यक्रम का स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया कार्यक्रमों से समन्वय

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप

इंडिया एक्शन प्लान के अंतर्गत "नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवेलपिंग एंड हारनेसिंग इनोवेशन" (निधि) कार्यक्रम शुरू किया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य उद्यमियों और युवाओं में वाणिज्यिक उत्पादों और सेवाओं के प्रति वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना है। 'निधि' कार्यक्रम के अंतर्गत स्टार्टअप ईकोसिस्टम की दिशा में मार्केट वैल्यूचेन को बढ़ावा देने के लिए प्रारूप तैयार किया गया है। कई राष्ट्रीय संस्थानों में स्टार्टअप केंद्र, इनक्यूबेटर और रिसर्च पार्क स्थापित करने के लिए इस कार्यक्रम की शिक्षा मंत्रालय के साथ भागीदारी की गई है। यह एक ऐसा कार्यक्रम या योजना है, जो महत्वाकांक्षी स्टार्टअप के सपने को प्रोत्साहित करते हुए एक लंबा सफर तय करने में मदद कर रहा है। 'निधि' कार्यक्रम युवाओं पर केंद्रित है जो नए विचारों को प्राथमिकता देता है और एक सहज और नवाचार संचालित उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित करता है। 'निधि' कार्यक्रम में तकनीकी समाधानों से स्टार्टअप को जोड़ा जा रहा है, जिससे युवाओं के लिए धन और रोज़गार सृजन के नए रास्ते खुल रहे हैं।

नवाचार, उद्यमिता और इनक्यूबेशन में सहयोग देने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास बोर्ड (एनएसटीईडीबी) द्वारा हाल ही में जारी इम्पैक्ट रिपोर्ट के अनुसार "एनएसटीईडीबी के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने इनक्यूबेटर के नेटवर्क के ज़रिए स्टार्टअप परितंत्र को बढ़ावा देने और समृद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पिछले पांच वर्षों के दौरान नवाचार में संचालित उद्यमशीलता और उच्च शिक्षण संस्थानों में इनक्यूबेशन गतिविधियों के समर्थन किए गए प्रयास महत्वपूर्ण रहे हैं और इनकी गति और पैमाने में भी वृद्धि हुई है।"

'निधि' कार्यक्रम किसी भी उद्यमी की सोच को बाज़ार तक पहुंचाता है। इसमें पहला चरण है 'प्रयास' (पीआरएवाईएएस) — प्रमोटिंग एंड एक्सीलरेटिंग यंग एंड एस्पायरिंग इनोवेटर्स एंड स्टार्टअप्स यानी युवा और आकांक्षी नवप्रवर्तकों और स्टार्टअप को बढ़ावा देना और उनके विकास में तेज़ी लाना, जो नए विचार सोचने वालों को 10 लाख रुपये तक का अनुदान देकर उनके विचारों का प्रारूप तैयार करने में सहायता करता है। इसका अंतिम घटक है किसी नए विचार को प्रोत्साहित करना, जिसके अंतर्गत हर स्टार्टअप को एक करोड़ रुपये दिए जाते हैं और इसे टेक्नोलॉजी बिज़नेस इनक्यूबेटर के माध्यम से लागू किया जाता है।

'निधि' कार्यक्रम ने स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया जैसे कार्यक्रमों के साथ समन्वय किया है और इनक्यूबेटर के मार्गदर्शन में नवाचार मूल्य श्रृंखला को सक्रिय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस कार्य में प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटरों के नेटवर्क की स्थापना, नवाचारों की खोज, प्रारूप में दिए विचारों का समर्थन करना, इनोवेटर्स को स्टार्टअप्स के रूप में सक्षम करना, इनक्यूबेटेड स्टार्टअप को समय पर शुरुआती निवेश (सीड फंडिंग) का प्रावधान और स्टार्टअप को मार्गदर्शन, साझेदारी तथा नेटवर्क के माध्यम से समर्थन देना आदि शामिल थे।

'निधि' कार्यक्रम किसी भी उद्यमी की सोच को बाज़ार तक पहुंचाता है। इसमें पहला चरण है 'प्रयास' (पीआरएवाईएएस) — प्रमोटिंग एंड एक्सीलरेटिंग यंग एंड एस्पायरिंग इनोवेटर्स एंड स्टार्टअप्स यानी युवा और आकांक्षी नवप्रवर्तकों और स्टार्टअप को बढ़ावा देना और उनके विकास में तेज़ी लाना, जो नए विचार सोचने वालों को 10 लाख रुपये तक का अनुदान देकर उनके विचारों का प्रारूप तैयार करने में सहायता करता है। इसका अंतिम घटक है किसी नए विचार को प्रोत्साहित करना, जिसके अंतर्गत हर स्टार्टअप को एक करोड़ रुपये दिए जाते हैं और इसे टेक्नोलॉजी बिज़नेस इनक्यूबेटर के माध्यम से लागू किया जाता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय प्रबंधन संस्थानों और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों सहित भारत के शैक्षणिक और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों में 100 से अधिक टेक्नोलॉजी बिज़नेस इनक्यूबेटर की स्थापना की गई है। इनमें से प्रत्येक इनक्यूबेटर प्रौद्योगिकी के किसी ख़ास पहलू पर केंद्रित है और वर्तमान में कुल 2000 से अधिक स्टार्टअप हैं, जो 7 लाख वर्ग फीट के क्षेत्र में स्थापित हैं।

ये 'प्रयास' देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों में किए गए हैं। इसके अलावा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सृजित 153 इनक्यूबेटरों के नेटवर्क के माध्यम से इनक्यूबेशन के तहत 3,681 स्टार्टअप की मदद की गई है और 1992 बौद्धिक संपदाओं का भी सृजन हुआ है। इन्हें स्टार्टअप का जन्मदाता भी कहा जा सकता है। इसके अलावा, इम्पैक्ट रिपोर्ट की प्रमुख बातों में शामिल हैं— पिछले पांच वर्षों में 61,138 प्रत्यक्ष रोज़गार का सृजन और 27,262 करोड़ रुपये की आर्थिक संपदा का निर्माण। सीड फंडिंग इस रिपोर्ट में प्राप्त स्टार्टअप द्वारा एंजेल*, उद्यमपूंजी (वेंचर कैपिटल) व अन्य हितधारकों के वित्तपोषण में हुई पांच गुना वृद्धि का भी उल्लेख किया गया है। एनएसटीईडीबी ने उच्च शिक्षा संस्थानों की तकनीकी ताकत का लाभ शैक्षणिक इनक्यूबेटर के नेटवर्क के माध्यम से स्टार्टअप तक पहुंचाया है। एनएसटीईडीबी ने इन इनक्यूबेटर की सीड फंडिंग की है और इनका समर्थन किया है, जिसके कारण इन स्टार्टअप को सफलता मिली है। 'निधि' कार्यक्रम, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग इनक्यूबेटर नेटवर्क और उसके स्टार्टअप का समन्वय कोविड–19 संकटकाल में देखने को मिला। कोविड–19 संकट से निपटने के लिए सेंटर फॉर ऑगमेंटिंग वॉर विद् हेल्थ क्राइसिस (कवच) कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न समाधानों का समर्थन किया गया।

छात्रों को स्टार्टअप प्रोत्साहन हेतु इंस्पायर मानक पुरस्कार योजना

अहमदाबाद स्थित राष्ट्रीय नवप्रवर्तन संस्थान तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगकी विभाग द्वारा छठी से दसवीं कक्षा के स्कूली बच्चों

*निजी निवेशक जोकि छोटे स्टार्टअप या उद्यम को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है और जिसके बदले में कंपनी में उसकी हिस्सेदारी होती है।

में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय ने 'मानक' (मिलियन माइन्ड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज) कार्यक्रम शुरू किया है जिसके अंतर्गत इंस्पायर मानक पुरस्कार योजना शुरू की गई है। इंस्पायर मानक पुरस्कार योजना का उद्देश्य विज्ञान प्रौद्योगिकी प्रणाली की मज़बूती, विस्तार और अनुसंधान एवं विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण मानव संसाधन पूल बनाना है, ताकि बच्चों एवं किशोरों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी नवसृजन को स्टार्टअप से जोड़ा जा सके। इस योजना के अंतर्गत बच्चे कृषि विकास, प्रदूषण कम करने से जुड़े उपाय, अपशिष्ट प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, मेडिकल उपकरण, स्मार्ट डिवाइज़ और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की स्थानीय समस्याओं पर आधारित परियोजनाओं के मॉडल प्रस्तुत करते हैं और नवाचारी छात्रों को इंस्पायर मानक पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।

इंस्पायर मानक पुरस्कार योजना एक इनक्यूबेशन कार्यक्रम है, जहां नवाचारी छात्रों को प्रोत्साहित और प्रशिक्षित किया जाता है, ताकि वे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। इस प्रतियोगिता में राष्ट्रीय–स्तर पर चुने गए शीर्ष विचारों एवं नवाचारों को उद्यमी मॉडल स्टार्टअप के रूप में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन और सहयोग भी दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत देशभर के सरकारी और निजी स्कूलों के छात्रों से रचनात्मक एवं प्रौद्योगिकी आधारित विचारों एवं नवाचारों को आमंत्रित किया जाता है। योजना का संचालन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और राष्ट्रीय नवप्रवर्तन संस्थान (एनआईएफ) द्वारा किया जाता है। छात्रों द्वारा प्रदर्शित किए जा रहे मॉडल में सुधार लाने के उद्देश्य से एनआईएफ द्वारा देश के प्रमुख तकनीकी संस्थानों में कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं।

बाइरैक द्वारा एंटरप्रेन्योरियल ड्रिवेन अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स फंड की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य बायो इनक्यूबेटर्स स्टार्टअप्स की "स्थान, सेवाएं और ज्ञान यानी स्पेस, सर्विसेज और नॉलेज" आवश्यकताओं को पूरा करना है। यह फंड प्रति स्टार्टअप एक करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत बायोनेस्ट बायो इनक्यूबेटर को इक्विटी और इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स के लिए संभावित स्टार्टअप में निवेश के लिए 5 करोड़ रुपये तक का फंड दिए जाने का प्रावधान है।

राष्ट्रीय नवप्रवर्तन संस्थान, विज्ञान एवं प्रौद्योगकी विभाग का एक महत्वपूर्ण स्वायत्तशासी संस्थान है जिसका उद्देश्य ज़मीनी–स्तर पर नए विचारों और ज्ञान को बढ़ावा देना और उन्हें सशक्त बनाना है। राष्ट्रीय नवप्रवर्तन संस्थान ऐसे नवचारकों (सभी वर्ग के लोग, जिन्होंने विज्ञान की पढ़ाई नहीं की है या जो अधिक पढ़े–लिखे नहीं हैं) को जिनके पास नए विचार हैं, मदद देता है। साथ ही, नवचारकों को मान्यता, सम्मान और उद्यमशीलता के लिए सहायता के अवसर भी मिलते हैं। राष्ट्रीय नवप्रवर्तन संस्थान ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों जैसे इंटेल, लॉकहीड मार्टिन, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स और बोइंग के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकी संचालित और नवाचार आधारित कार्यक्रमों की शुरुआत की है ताकि स्टार्टअप की क्रांति को बढ़ावा मिल सके।

कोविड–19 पर स्टार्टअप तकनीक मैपिंग के लिए टॉस्कफोर्स का गठन

कोविड–19 महामारी के कारण उपजे हालात में भारत के बहुआयामी नवोन्मेषक और स्टार्टअप जांच, रोकथाम, साफ–सफाई आदि को लेकर नई प्रौद्योगिकी, नए समाधान के साथ आगे आए हैं। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कोरोना वायरस से संबंधित मसलों से निपटने के लिए उपयुक्त तकनीक विकसित करने की दिशा में शोध एवं विकास प्रयोगशालाओं, अकादमिक संस्थाओं, स्टार्टअप्स और एमएसएमई को मिलाकर एक कोविड–19 टॉस्कफोर्स का गठन किया गया है। इसके ज़रिए डॉयग्नोस्टिक, टेस्टिंग, स्वास्थ्य देखभाल संबंधी तकनीक व उपकरण मुहैया कराने को लेकर बाज़ार आधारित समाधान प्रदान किए जा रहे हैं। इनमें मॉस्क और अन्य सुरक्षात्मक सामग्री जैसे सैनिटाइज़र, स्क्रीनिंग के लिए किफायती किट्स, वेंटीलेटर और ऑक्सिजनेटर, ट्रैकिंग और निगरानी के लिए डाटा ऍनालिटिक्स

और कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए इंटरनेट आधारित समाधान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित किए जा रहे हैं।

टॉस्कफोर्स में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् अटल इनोवेशन मिशन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, स्टार्टअप इंडिया और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के प्रतिनिधि शामिल हैं। टॉस्कफोर्स सबसे उपयुक्त स्टार्टअप की पहचान करने के लिए लक्षित किया गया है। जिन स्टार्टअप को वित्तीय या अन्य मदद की आवश्यकता हो सकती है या तेज़ी से बड़े पैमाने पर मांग या संपर्क करने की आवश्यकता होगी, उन्हें टॉस्कफोर्स मदद मुहैया करा रहा है।

देश में ग्रामीण विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े स्टार्टअप के लिए मिलेनियम एलायंस कार्यक्रम एक व्यापक कार्यक्रम है, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी है। इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएसएआईडी), फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की), ब्रिटेन सरकार का अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी), फेसबुक और मेरिको इनोवेशन फाउंडेशन शामिल हैं। इस कार्यक्रम ने पिछले 6 वर्षों में भारतीय सामाजिक उद्यमियों की मदद को लेकर वित्तपोषण, क्षमता निर्माण और कारोबार विकास की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। मिलेनियम एलायंस कार्यक्रम ने भारतीय और वैश्विक विकास की चुनौतियों के नवोन्मेषी समाधान के लिए उभरते भारतीय सामाजिक उद्यमियों को 36 लाख डॉलर का पुरस्कार देने की भी घोषणा की है। इनमें से 33 नवोन्मेषी समाधान स्वास्थ्य, कृषि, स्वच्छ ऊर्जा, शिक्षा, जल और सफाई तथा निशक्तता के क्षेत्र पर केंद्रित होंगे।

उद्यम एवं स्टार्टअप को प्रोत्साहित करता एंटरप्रेन्योरियल ड्रिवेन अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स फंड

जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी), विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस कौंसिल – बाइरैक) को स्थापित किया गया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य बायोटेक उद्यम एवं स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना है। बाइरैक किसानों व ग्रामीणों के बड़े वर्ग की ज़रूरतों को पूरा करने वाले किफायती उत्पादों के निर्माण के लिए भारतीय बायोटेक उद्योग से जुड़े स्टार्टअप के लिए नवाचार और उद्यमिता को प्रेरित कर रहा है। बाइरैक द्वारा छोटे एवं मध्यम उद्योगों (एसएमई) में अनुसंधान को प्रेरित करने के साथ ही सामाजिक क्षेत्रों में किफायती नवाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस राष्ट्रीय मंच के माध्यम से देश के युवाओं एवं उद्यमियों को स्टार्टअप और छोटे एवं मध्यम उद्यमों को सशक्त बनाने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इतना ही नहीं, बाइरैक को उद्यम एवं स्टार्टअप क्षमता बढ़ाने और नवाचार के प्रसार के लिए भागीदारों के माध्यम से व्यवसायीकरण को सक्षम बनाने के लिए भी लक्षित किया गया है।

बाइरैक 100 बिलियन डॉलर वाले भारतीय जैव अर्थव्यवस्था के निर्माण में परिवर्तनकारी और उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहा है। बाइरैक द्वारा एंटरप्रेन्योरियल ड्रिवेन अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स फंड की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य बायो इनक्यूबेटर्स स्टार्टअप्स की "स्थान, सेवाएं और ज्ञान यानी स्पेस, सर्विसेज और नॉलेज" आवश्यकताओं को पूरा करना है। यह फंड प्रति स्टार्टअप एक करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत बायोनेस्ट बायो इनक्यूबेटर को इक्विटी और इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स के लिए संभावित स्टार्टअप में निवेश के लिए 5 करोड़ रुपये तक का फंड दिए जाने का प्रावधान है। उद्यमी इस निधि के अंतर्गत पॉयलट–स्तरीय योजना, अपने उत्पादों और प्रौद्योगिकियों का व्यवसायीकरण करने के लिए संभावित स्टार्टअप को सक्षम कर पाएंगे। यह ज्ञान के मुक्त आदान–प्रदान का ज़रिया भी है, जो उद्योग से शिक्षा, शोध व प्रौद्योगिकी को जोड़ता है और तकनीकी और व्यावसायिक परामर्श की सुविधा के साथ ही नेटवर्किंग का एक मंच प्रदान करता है।

इस वित्तीय सहायता के लिए इनक्यूबेटर को बाइरैक के बायो–नेस्ट कार्यक्रम के माध्यम से समर्थित होना चाहिए। बायो–नेस्ट योजना के तहत् स्टार्टअप और उद्यमियों को ज्ञान के कुशल आदान–प्रदान के साथ–साथ तकनीकी और व्यावसायिक परामर्श की सुविधा दी जाती है और बौद्धिक संपदा और प्रौद्योगिकी प्रबंधन, कानूनी और अनुबंध, संसाधन और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म

एक स्टार्टअप कैसे काम करता है?

स्टार्टअप के लिए सबसे ज़रूरी है नया विचार या आइडिया। सब कुछ एक बड़े विचार से शुरू होता है जो किसी भी उद्योग के लिए सफलता का द्योतक बन जाता है। एक बार जब कोई विचार मन में आ गया और अगर उस पर काम करने से जुड़ी सहमति और स्वीकृति बन गई, तो अगला चरण होता है इस बात की तैयारी का कि वह व्यवसाय कैसे काम करेगा। इसके बाद आती है इनक्यूबेशन अवधि और यहीं से इनक्यूबेशन केंद्र का काम शुरू होता है। स्टार्टअप के संदर्भ में इनक्यूबेशन का तात्पर्य नई सोच, नए विचार और उसकी व्यावसायिक सफलता के बीच का समय है। इनक्यूबेशन केंद्र स्टार्टअप शुरू करने और उसको आगे बढ़ाने से जुड़ी लोगों की समस्याओं को हल करने में मदद करते हैं। इसके तहत स्टार्टअप शुरू करने के इच्छुक लोगों को काम करने की जगह, शुरुआती निवेश, उचित सलाह, ट्रेनिंग, योजनाएं बनाने और मार्केटिंग में मदद की जाती है।

के लिए सक्षम सेवाओं हेतु विशेषज्ञता उपलब्ध कराई जाती है। बायो–नेस्ट योजना के अंतर्गत 50 इनक्यूबेटर और 625 उद्यमियों (इनक्यूबेटीज़), 200 उत्पादों या प्रौद्योगिकियों के व्यवसायीकरण के साथ लगभग 3500 रोज़गार उत्पन्न हुए हैं।

बायोनेस्ट योजना का लाभ लेने के लिए स्टार्टअप इनक्यूबेटर को बाइरैक का शुरुआती निवेश (सीड फंड) पार्टनर होना चाहिए, बायोटेक/मेड–टेक/जीवन विज्ञान में कम से कम 5 स्टार्टअप के साथ पिछले पांच वर्षों से ऑपरेशनल होना चाहिए एवं कुछ अन्य शर्तों के साथ इनक्यूबेटर को स्टार्टअप या उद्यमिता विकास के अनुभव में निवेश करना चाहिए।

स्पर्श– (एसपीएआरएसएच) सोशल इनोवेशन प्रोग्राम फॉर प्रोडक्ट्सः अफोर्डेबल एंड रिलेवेंट टू सोशल हेल्थ, बाइरैक का एक और बेहतरीन कार्यक्रम है, जिसका एकमात्र उद्देश्य नए विचारों को प्रोत्साहित करना है। यह कार्यक्रम भारतीयों में स्वास्थ्य की देखभाल पर ध्यान देने को प्रोत्साहित करता है और सामाजिक क्षेत्र में ऐसे उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा देता है जो किफायती हों। विशेष रूप से बायोटेक के क्षेत्र में सामाजिक नवप्रवर्तकों को लक्षित करते हुए यह कार्यक्रम समाज के हर वर्ग को बढ़ावा दे रहा है और ख़ासतौर पर समाज के कमज़ोर लोगों की मदद कर रहा है।

टेक्नोलॉजी इनक्यूबेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ़ एंटरप्रेन्योर योजना

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में स्वदेशी उत्पाद के विकास में उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न पहल और उपाय किए हैं। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में स्टार्टअप का पोषण करके नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 2008 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा टेक्नोलॉजी इनक्यूबेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ़ एंटरप्रेन्योर (टीआईडीई) योजना बनाई गई। इस योजना के अंतर्गत युवा उद्यमियों को उनके द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों के व्यावसायिक प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी स्टार्टअप कंपनियां बनाने में सक्षम किया जाता है। इसके लिए टेक्नोलॉजी इनक्यूबेशन सेंटर्स को मज़बूत करने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उन्नत संस्करण टेक्नोलॉजी इनक्यूबेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेनर्स (टीआईडीई 2.0) योजना के तहत उभरती तकनीकों जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉक चेन, रोबोटिक्स आदि का उपयोग करते हुए स्टार्टअप की मदद में लगे इनक्यूबेटर को प्रोत्साहित किया जाता है। इनक्यूबेटर को वित्तीय और तकनीकी सहायता के साथ उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया जाता है।

रिसर्च पार्क, टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर्स और स्टार्टअप सेंटर की स्थापना

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय स्वतंत्र रूप से एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के संयोजन में उच्च शिक्षण संस्थानों में इनक्यूबेशन सेंटर और रिसर्च पार्क स्थापित कर रहा है। इसके अलावा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और शिक्षा मंत्रालय ने संयुक्त रूप से रिसर्च पार्क, टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर्स और स्टार्टअप सेंटर की स्थापना के लिए पहल की है। रिसर्च पार्क स्थापित करने का उद्देश्य शिक्षा और उद्योग के बीच इनक्यूबेशन और संयुक्त अनुसंधान तथा विकास प्रयासों के माध्यम से सफल नवाचार को बढ़ावा देना है। इसके अलावा, उच्चतर आविष्कार योजना के माध्यम से सरकार का उद्देश्य छात्रों में बाज़ार उन्मुख सोच विकसित करना है।

भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने कहा था–''विज्ञान मानवता के लिए एक सुंदर उपहार है, हमें इसे विकृत नहीं करना चाहिए।'' आज विज्ञान आधारित स्टार्टअप युवा उद्यमशीलता के लिए सफलता की नई इबारत लिख रहे हैं। आज ग्रामीण भारत के विकास में युवा एवं उद्यमी नवप्रवर्तक विज्ञान, प्रौद्यागिकी, तकनीक विकास, जैव प्रौद्योगिकी पर आधारित अपने विचारों को व्यवसाय का रूप दे सकते हैं। स्टार्टअप इंडिया ने नए विचारों और सपनों को पंख दिए हैं और इन सपनों को ज़मीनी–स्तर पर साकार करने का रास्ता भी दिखाया है। आज किसी नए उद्यमी को अपने विचार के साथ भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर विचार बेहतर है तो स्टार्टअप इंडिया उसे साकार करने की दिशा में पूरा योगदान देगा। इस तरह देश में उद्यमिता और नवाचार की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का एक नया अध्याय आरम्भ हो चुका है।

(लेखक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के स्वायत्तशासी संस्थान विज्ञान प्रसार में वैज्ञानिक 'ई' हैं एवं विज्ञान संचार के राष्ट्रीय कार्यक्रमों से जुड़े हैं।)

ई–मेलः nkapoor@vigyanprasar.gov.in

खेती-किसानी में उद्यमिता की अपार संभावनाएं

–भुवन भास्कर

हाल ही में संसद के दोनों सदनों से पास होकर कानून बन चुके आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसीए) संशोधन और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग काफी महत्वपूर्ण हैं। जहां 55 साल पुराने ईसीए में संशोधन से गोदामों और वेयरहाउसिंग सेक्टर में निजी क्षेत्र के निवेश की बाढ़ आने की उम्मीद की जा रही है, वहीं इसके स्वाभाविक परिणामस्वरूप खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में भी विकास होगा। ये दोनों ही स्थितियां खेती में कारोबार और आमदनी बढ़ाने के अनेक अवसर पैदा करेंगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़े नए कानून खासतौर पर कोऑपरेटिव और एफपीओ के लिए वरदान साबित होंगे।

खेती शायद दुनिया का सबसे पुरातन व्यवसाय है। लेकिन यदि कहा जाए कि बदलते दौर में खेती दुनिया का सबसे अद्यतन कारोबार भी हो गई है, तो संभव है कि कई लोगों को इससे सहमत होने में तकलीफ महसूस हो। इसलिए इस कथन को थोड़ा और विस्तार दिए जाने की ज़रूरत है। दरअसल खेती को अब भी ज़्यादातर लोग बेकारी की मज़बूरी का ठिकाना मानते हैं। लेकिन ये वो लोग हैं, जिन्हें इस बात का बिलकुल भी अंदाज़ा नहीं है कि इक्कीसवीं सदी की खेती कितनी बदल चुकी है। अब खेती आजीविका का कोई एकमात्र साधन नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा आधार बन चुकी है, जिसमें कारोबार और आमदनी बढ़ाने के अनेक अवसर पैदा हो रहे हैं।

आधुनिक खेती में तकनीक का महत्व बढ़ता जा रहा है। छोटे से छोटा किसान भी अब अपने खेतों की जुताई ट्रैक्टर से करना चाहता है जिससे न सिर्फ उसका समय बचे, बल्कि गहरी जुताई हो और मज़दूरों पर उसकी निर्भरता कम हो। उसे खेतों में बिजाई करने से लेकर, दवा के छिड़काव तक, हर कदम पर मशीनों की आवश्यकता और इच्छा होने लगी है। हार्वेस्टिंग के लिए भी मशीनों का प्रयोग धीरे–धीरे बढ़ रहा है। लेकिन भारतीय कृषि की एक कड़वी सच्चाई यह है कि आज भी आधे से ज़्यादा किसान एक एकड़ और दो एकड़ जोत वाले खेतों के मालिक हैं। उनके पास इतना सामर्थ्य नहीं कि वे अपना ट्रैक्टर या दूसरी मशीनें रख सकें। यही अंतर खेती में रोज़गार और व्यवसाय का एक अवसर भी पैदा करता है।

कस्टम हायरिंग सेंटर, यानी एक ऐसा केंद्र जहां तमाम तरह के कृषि कार्यों के लिए आवश्यक मशीनें मौजूद हो और कोई भी किसान घंटे के हिसाब से किराया चुका कर इनका इस्तेमाल कर सके, इसमें एक बेहतरीन अवसर पैदा करते हैं। इनमें ट्रैक्टर, सीड ड्रिल, स्प्रेयर, हार्वेस्टर, थ्रेशर, ड्रायर और सिंचाई सेवाओं, घासपात नियंत्रण, परिवहन, भंडारण इत्यादि जैसी तकनीकी सेवाएं शामिल हैं। इसी तरह पशुपालन में भी ब्रीडिंग, टीकाकरण, बीमारी पहचान और इलाज सेवाएं, पशुचारे की आपूर्ति इत्यादि ऐसे अवसर हैं, जहां रोज़गार और उद्यमिता विकसित की जा सकती है। खासतौर पर एफपीओ इन अवसरों का फायदा उठाने के लिहाज से सबसे बेहतरीन स्थिति में हैं।

दरअसल लगभग सारे एफपीओ, जो सक्रिय हैं और अपने किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं, वे दो तरह के काम अवश्य कर रहे है। पहला, सदस्य किसानों

प्रगतिशील किसान समीर चड्ढा अपनी तेल आसवन इकाई के साथ

कृषि सुधार कानून से बदलेगा खेती परिदृश्य

केंद्र सरकार ने हाल ही में कृषि सुधारों से जुड़े तीन विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित करवा कर उनके कानून बनाए जाने का रास्ता साफ कर दिया। वैसे तो ये तीनों कानून संसद में पारित होने से पहले ही अध्यादेश के रूप में अस्तित्व में आ चुके थे, लेकिन संसद में इनके पारित होते ही देश में इन पर नए सिरे से चर्चा और कुछ हिस्सों में विरोध भी शुरू हो गए। ये तीन विधेयक हैः कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक 2020, मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) अनुबंध विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु संशोधन बिल।

इन तीन कानूनों में पहले का सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो यह कानून एपीएमसी एक्ट में सुधार से जुड़ा है। इसमें कुल मिलाकर 4 बिंदुओं पर किसानों का विरोध हो रहा है। ये चार बिंदु हैं। एपीएमसी मंडियों से बाहर ट्रेड एरिया की परिभाषा, ट्रेडर की परिभाषा, बाज़ार शुल्क और किसानों तथा व्यापारियों के बीच होने वाले किसी भी विवाद के निपटारे की प्रक्रिया। कमाल की बात यह है कि हर जगह समाचार माध्यमों में और किसान रैलियों में बात एमएसपी के हटने की उछाली जा रही है, जो दरअसल पेश कानून का कहीं विषय ही नहीं है।

सच्चाई यह है कि एपीएमसी मंडियों के अधिकार या उनकी महत्ता को इस कानून में किसी भी तरह कम नहीं किया गया है, हालांकि यह व्यवस्था ज़रूर दी गई है कि मंडी के बाहर किसी भी "ट्रेड एरिया" में किसी किसान से खरीदी गई उपज पर किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जा सकेगा। सारी समस्या की जड़ यही शुल्क है।

पंजाब की मंडियों में किसानों को सबसे ज़्यादा टैक्स देना होता है। बाज़ार शुल्क के रूप में 3 प्रतिशत, ग्रामीण विकास शुल्क के रूप में 3 प्रतिशत और आढ़तिया कमीशन के रूप में 2.5 प्रतिशत मिलाकर पंजाब का हर किसान 100 रुपये की उपज बेचने में 8.5 रुपये का शुल्क देता है। यह देश के दूसरे राज्यों की तुलना में बहुत ज़्यादा है, जो मोटे तौर पर 1–3 प्रतिशत है। इसका असर एक उदारण से समझा जा सकता है। धान के इस साल के एमएसपी पर 8.5 प्रतिशत मंडी ट्रांज़ेक्शन खर्च के हिसाब से हर क्विंटल धान पर लगभग 160 रुपये शुल्क बैठता है। इसका मतलब है कि यदि कोई व्यापारी मंडी से बाहर वही धान खरीदे तो उसे 160 रुपये की सीधी बचत होगी, जिसका कुछ हिस्सा वह किसानों को दे सकता है और इस तरह किसान को एमएसपी से भी ज़्यादा रकम मिलेगी। यह मंडी के पैरोकारों और आढ़तियों की चिंता है। उनका तर्क है कि इससे कोई किसान मंडी नहीं आएगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि जो भारी–भरकम शुल्क पंजाब की मंडियों में वसूला जा रहा है, उसे मंडियों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कम करना होगा। इसमें किसानों का फायदा ही है।

इस कानून के विरोधियों का यह भी कहना है कि किसानों और व्यापारियों के आपसी विवाद के निपटारे के लिए विधेयक में सब–डिविजनल मजिस्ट्रेट द्वारा गठित समाधान बोर्ड की व्यवस्था रखी गई है, जो किसान विरोधी है। उनका कहना है कि किसानों के पास अदालत में जाने का विकल्प होना चाहिए। यह हास्यास्पद है। अदालत में मुकदमेबाजी के लिहाज से किसान और व्यापारी के बीच कौन ज़्यादा समर्थ है, यह कोई अनुमान की बात नहीं है। इस लिहाज से यह हमेशा किसान के पक्ष में होगा कि ऐसे विवाद का जल्दी से जल्दी समाधान हो, जो कि अदालत में नहीं हो सकता।

दूसरा कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अब भी देश में कई जगहों पर होता है, लेकिन कोई कानून न होने के कारण इसे ज़्यादातर अनौपचारिक रूप से ही किया जाता है। इसका नुकसान यह होता है कि एक तरफ तो कॉन्ट्रैक्ट करने वाली कंपनियां किसी तरह का कानूनी संरक्षण न होने के कारण किसानों पर कोई बड़ा निवेश करने का जोखिम नहीं लेना चाहती और दूसरी ओर किसान, कंपनियों द्वारा अपने कॉन्ट्रैक्ट से मुकर जाने का जोखिम उठाने से बचने के लिए अपनी ओर से उस फसल और ज़मीन की गुणवत्ता बढ़ाने पर कम से कम निवेश करना चाहते हैं। एक बार कानून के दायरे में आने के बाद दोनों पक्ष निश्चिंत होकर गुणवत्ता और भाव पर अपना ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। किसान समूह इसका फायदा उठा सकते हैं। और देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास में इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है क्योंकि उद्योग जगत को एक खास गुणवत्ता की फसल मनचाही मात्रा में केवल इसी सिस्टम में प्राप्त हो सकती है। उल्लेखनीय है कि भारत में कॉरपोरेट खेती को अब भी कानूनी वैधता हासिल नहीं है। यानी यह अब भी किसी कंपनी के लिए संभव नहीं है कि वह किसी किसान या किसान समूह की खेती लीज पर लेकर स्वयं खेती करे।

तीसरा कानून, जो 55 साल पुराने आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसीए) में संशोधन से संबंधित है, उसमें भी किसी लिहाज से किसान के हित बाधित होने की आशंका नज़र नहीं आती। अब तक इस कानून के कारण सरकार कभी भी किसी भी कमोडिटी पर स्टॉक लिमिट लगा सकती थी। इसका मतलब यह हुआ कि यदि किसी व्यापारी ने 1000 टन चना अपने गोदाम में रखा है और सरकार ने एकाएक चने पर 200 टन की स्टॉक लिमिट लगा दी, तो रातोंरात व्यापारी को 800 टन, चाहे जिस भी भाव पर हो, बेचना होगा। इस कारण कोई भी व्यापारी, कंपनी या यहां तक कि किसान उत्पादक समूह (एफपीओ) गोदामों पर निवेश करने से कतराता था। अब इस कानून में संशोधन कर यह निश्चित कर दिया गया है कि सरकार सिर्फ तभी स्टॉक लिमिट लगा सकती है जब फलों–सब्जियों की कीमत में 100 प्रतिशत और अनाज की कीमत में 50 प्रतिशत या उससे अधिक की बढ़ोत्तरी हो जाए। इसके अलावा युद्ध, सूखा, बाढ़ जैसी आपात स्थितियों में ही स्टॉक लिमिट लग सकती है। इस एक संशोधन से यह उम्मीद बनी है कि वेयरहाउसिंग सेक्टर में बड़े पैमाने पर निजी क्षेत्र का निवेश आएगा, जिससे कृषि उपज का सही भंडारण हो सकेगा। इससे सालाना नष्ट होने वाली करीब 90000 करोड़ रुपये की उपज तो बर्बाद होने से बचेगी ही, किसानों को उनकी उपज का बेहतर भाव भी मिल सकेगा क्योंकि उचित भंडारण व्यवस्था से उनके लिए अपना माल किसी भी कीमत पर बेचने की मज़बूरी नहीं. रह जाएगी।

से उपज की खरीद और दूसरा, खरीदी गई उपज की मिलों, प्रोसेसर और थोक व्यापारियों को सीधी बिक्री। इससे एक ओर तो किसानों को बिचौलियों से मुक्ति मिली है, वहीं दूसरी ओर वे बेहतर मोलभाव कर पा रहे हैं, जिससे किसानों को मिलने वाला अंतिम मूल्य पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है। इसके अलावा, एफपीओ किसानों को अपनी उपज साफ करने और ग्रेड करने की सुविधा भी मुहैया करा रहे हैं। अध्ययनों के मुताबिक इसका उनके बिक्री भाव पर 30–40 प्रतिशत तक असर पड़ता है।

खेत तैयार होने के बाद किसान के लिए सबसे बड़ा काम होता है, पहले बीज और बाद में खाद तथा कीटनाशकों की खरीद और उनका प्रयोग। हर फसल के लिए बाज़ार में कई ब्रांड और कंपनियों के बीज उपलब्ध हैं और इसी तरह खाद और कीटनाशकों के लिए भी कई विकल्प मौजूद हैं। लेकिन किसान की परेशानी यह है कि उसे कोई विशेषज्ञ सलाह उपलब्ध नहीं है। जो बीज वह बाज़ार से खरीद कर ला रहा है, वह क्या वास्तव में अंकुरित होगा, जो खाद वह अपनी मिट्टी में डाल रहा है या जिस मात्रा में डाल रहा है, क्या वास्तव में उसकी आवश्यकता है? जो कीटनाशक वह इस्तेमाल कर रहा है, क्या वह फसल की बीमारी के लिए सही है या फिर क्या किसी कीटनाशक की ज़रूरत है भी? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिनके लिए किसान को हमेशा न सिर्फ सही सलाह की, बल्कि इनपुट सप्लाई यानी सही बीज, खाद और कीटनाशकों की भी आवश्यकता होती है। जिन युवाओं की शैक्षणिक पृष्ठभूमि कृषि रही हो, वे बड़ी आसानी से किसानों की इन ज़रूरतों को पूरा कर इसे रोज़गार के एक बेहतरीन अवसर में बदल सकते हैं। निश्चित तौर पर किसान सिर्फ सही सलाह के लिए भुगतान नहीं कर सकते, लेकिन इसे आधार बना कर इनपुट सप्लाई का काम अवश्य किया जा सकता है।

फसल पकने के बाद हार्वेस्टिंग का समय आता है। अब तक किसान के पास फसल की कटाई के बाद उसे मंडी में ले जाने का कोई विकल्प नहीं था। लेकिन अब केंद्र सरकार के एपीएमसी एक्ट में सुधार करने के बाद किसान अपना माल कहीं भी बेच सकता है। पहले भी मंडियों के अंदर 'ए' ग्रेड और 'सी' ग्रेड की फसलों

एग्ज़ोटिक सब्जियों की खेती करने वाले रमेश वर्मा

के बीच दाम का अंतर 20 प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत तक देखा जाता रहा है। लेकिन अब फसलों की गुणवत्ता में फर्क का और बड़ा असर पड़ने वाला है क्योंकि जब मंडी के बाहर खरीदार एक ही माल के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे, तो निश्चित तौर पर अच्छी गुणवत्ता वाली फसलों के लिए कीमतों पर और भी बड़ा प्रीमियम दांव पर होगा।

अब सवाल है कि यह स्थिति किस तरह कृषि से संबंधित रोज़गार का अवसर पैदा करती है? आमतौर पर उपज के किसी भी ढेर में 70–80 प्रतिशत माल ग्रेड 'ए' का होता है, लेकिन 20 प्रतिशत बाकी माल के कारण किसान के पूरे ढेर की कीमत 'बी' या 'सी' ग्रेड के हिसाब से लग जाती है। यदि किसान अपनी उपज की क्लीनिंग और ग्रेडिंग करके मंडी ले जाए, तो उसकी आमदनी बढ़ जाती है। साथ ही, एपीएमसी मंडी से बाहर अपना माल बेचने में भी उसे काफी सहूलियत होगी। लेकिन दिक्कत यह है कि किसान को क्लीनिंग और ग्रेडिंग के लिए साधन उपलब्ध नहीं हैं। एक पूरी क्लीनिंग–ग्रेडिंग इकाई 8–10 लाख रुपये में लगाई जा सकती है। यानी यह एक ऐसा छोटा–सा उद्योग हो सकता है, जिसे काफी कम निवेश में किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में लगाया जा सकता है।

लोगों की आमदनी के स्तर में बढ़ोत्तरी के साथ खाने–पीने की चीजों की गुणवत्ता पर ज़ोर भी बढ़ता जा रहा है। ऑर्गेनिक अनाज, फल, सब्जियां आजकल खेती में नया ट्रेंड हैं, जिनके किसानों की संख्या भी दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। लेकिन जैविक खाद और जैविक दवाइयों की आपूर्ति अब भी जैविक किसानों के लिए बहुत सुलभ नहीं है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में करन सीकरी नाम के युवा उद्यमी ने इसी अवसर को पहचान कर गोबर से जैविक खाद बनाने का काम शुरू किया और महज कुछ वर्षों में उनका सालाना उत्पादन 20000 टन तक पहुंच चुका है। इसी तरह सागर के आकाश चौरसिया और नासिक का ढिंडोरी फार्म भी जैविक खाद और जैविक कीटनाशकों का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर रहे हैं।

किसानों की नई पीढ़ी में हाईटेक फार्मिंग यानी तकनीक आधारित खेती को लेकर काफी उत्सुकता है। यहां तक कि छोटे रकबे के मालिक किसान भी पॉलीहाउस, नेटहाउस, ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग इत्यादि का प्रयोग कर अधिकतम उत्पादन हासिल करने के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। लखनऊ के निकट विदेशी (एग्ज़ोटिक) सब्जियों की खेती करने वाले रमेश वर्मा इसका एक अद्‌भुत उदाहरण हैं, जो महज ढाई एकड़ ज़मीन से नेटहाउस और मल्चिंग जैसी तकनीकों का सहारा लेकर साल में 9–10 लाख रुपये की कमाई कर रहे हैं। इस कारण युवा उद्यमियों के लिए रोज़गार एवं आजीविका के कई शानदार अवसर पैदा हो रहे हैं। बेंगलुरू के राजीब रॉय और लखनऊ के शशांक भट्ट नई पीढ़ी के दो ऐसे ही उद्यमी हैं। दोनों ऐसी कंपनियां चलाते हैं, जो किसानों को उच्च तकनीक वाले इन साधनों का इस्तेमाल करने में मदद करते हैं। हालांकि दोनों का बिजनेस मॉडल एक–दूसरे से बिलकुल अलग है। जहां रॉय वित्तीय संस्थाओं, बैंकों और एनबीएफसी को किसानों से संपर्क करा कर उनके माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए आवश्यक वित्त की व्यवस्था करते हैं, वहीं भट्ट किसानों को विभिन्न सरकारी विभागों से जोड़कर सब्सिडी के माध्यम से ये काम करवाते हैं।

इस तरह की उच्च तकनीकी खेती के अलावा पारंपरिक खेती के तौर–तरीकों में भी पिछले कुछ वर्षों में किसानों में आई जागरूकता के कारण बुनियादी फर्क आया है। किसान जहां पहले केवल दुकानदार की सलाह पर फसलों के बीज इस्तेमाल कर लिया करते थे, वहीं अब वे बीजों की गुणवत्ता पर विचार करने लगे हैं। जहां पहले लौकी और टमाटर जैसी सब्जियां ज़मीन पर फैली लत्तियों के रूप में उगाई जाती थीं, वहीं अब इन्हें टेलीफोन विधि से यानी ऊपर बांधे गए तार पर फैला कर उगाया जा रहा है। छोटे खेतों पर तीन, चार और पांच–स्तरीय खेती कर अधिकतम उत्पादन के तरीके ईजाद किए जा रहे हैं। मिट्टी में कार्बन तत्व की बढ़ोत्तरी के लिए वर्मी कम्पोस्ट तैयार किए जा रहे हैं। ऐसे में कृषि और उससे संबंधित कारोबारों में युवा उद्यमियों के लिए अवसरों की बाढ़ है। कुरुक्षेत्र के करण सीकरी और मेरठ की सना खान ने साबित

किया है कि इन अवसरों का लाभ उठाकर अविश्वसनीय आमदनी हासिल की जा सकती है।

जब बात तकनीक की हो, तो आमतौर पर लोग उसका सीधा संबंध मशीनों से और बड़े खर्च से जोड़ते हैं। लेकिन खेती में ऐसी दर्जनों तकनीकें हैं, जिनका इस्तेमाल कर किसान खेती के साथ–साथ कारोबार भी कर सकता है और आमदनी के अतिरिक्त रास्ते भी खोल सकता है। गुजरात में आणंद के हर्षद भाई पटेल का उदाहरण देखें तो इसे समझा जा सकता है। हर्षद भाई ने टमाटर और तरबूज जैसे सामान्य सब्जियों–फलों की खेती में भी सामान्य तकनीकों का सहारा लेकर आश्चर्यजनक नतीजे हासिल किए हैं। जहां उनके टमाटर 100 से 110 घंटों तक ताज़ा रहते हैं और पश्चिम एशियाई देशों तक जाते हैं, वहीं त्योहारों के हिसाब से तरबूज की खेती कर वे शानदार कमाई भी कर पाते हैं।

कृषि में एक बड़ा अवसर किसानों के लिए अपने उत्पादों का मूल्यवर्धन करना है। देश में दर्जनों स्वयंसहायता समूह (एसएचजी) और किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) यह कर भी रहे हैं। एक सामान्य बाज़ार सर्वे से यह बात ज़ाहिर है कि यदि कुछ कृषि उत्पादों को सामान्य तरीके की मशीनों का इस्तेमाल कर प्रोसेस कर लिया जाए और उन्हें अंतिम उत्पाद के तौर पर बेचा जाए, तो किसानों की आमदनी में काफी बढ़ोत्तरी की जा सकती है। राजस्थान के बूंदी ज़िले में समृद्धि महिला प्रोड्यूसर कंपनी लि. नाम का एक स्वयंसहायता समूह है, जिसके कामकाज को इस बाबत एक उदाहरण के तौर पर पेश किया जा सकता है। समूह की महिलाएं अपने ही खेतों में पैदा होने वाले सोयाबीन को मंडियों में न बेचकर उन्हें प्रोसेस करती हैं और सोया मिल्क, टोफू, केक, हलवा, कई तरह की मिठाइयां और सोया आटा जैसे उत्पाद तैयार करती हैं। इन उत्पादों को स्थानीय कैटरर, रेस्टोरेंट और परिवारों को बेचा जाता है और किसानों को इससे मंडी में सोयाबीन बेचने के मुकाबले कहीं ज़्यादा कीमत हासिल होती है। इसके अलावा, सामान्य खेती में ही मधुमक्खी पालन के बक्से लगा कर भी शहद जैसे उत्पाद हासिल किए जा सकते हैं, जो शुद्ध तौर पर किसानों की आमदनी में वृद्धि करेगा।

खेती के कई सारे अवसर केंद्र सरकार की पिछले 6 सालों की नीतियों ने भी पैदा किए हैं, जो किसानों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से बनाई गईं। इन्हीं नीतियों के आधार पर कई योजनाओं और कार्यक्रमों की शुरुआत भी की गई जिनके कारण कारोबार और रोज़गार के कई अवसर पैदा हुए हैं। **राष्ट्रीय अरोमा मिशन** ऐसा ही एक कार्यक्रम है जो 2016 में शुरू हुआ था और जिसका पहला चरण 31 मार्च, 2020 को समाप्त हो चुका है। इस कार्यक्रम के तहत खस, लेमन ग्रास, जर्मेनियम, पामारोज़ा, मेंथा इत्यादि सुगंधित पौधों की खेती को बढ़ावा दिया गया है। ये पौधे एसेंशियल ऑयल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिन्हें दवाइयों, साबुन, परफ्यूम, मच्छर भगाने की दवाओं इत्यादि में प्रयोग किया जाता है। कुछ वर्षों पूर्व तक देश की ज़रूरत का लगभग सारा एसेंशियल ऑयल आयात होता था। लेकिन राष्ट्रीय अरोमा मिशन के ज़रिए सरकार ने किसी भी ऐसे उत्सुक किसान को प्रशिक्षण, बाज़ार और बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया जो सगंध पौधों की खेती और उससे तेल निकालने में रुचि रखता हो।

लखनऊ से समीर चड्ढा और तमिलनाडु में कडलूर से पी. धनराज राष्ट्रीय अरोमा मिशन के बूते खेती और कारोबार में शानदार सफलता हासिल करने के लिहाज से बेहतरीन उदाहरण हैं। लखनऊ के एक संपन्न कारोबारी परिवार से आने वाले चड्ढा ने अपने पिता द्वारा खेती के शौक को आगे बढ़ाने के लिए खरीदी गई 3 एकड़ ज़मीन पर कुछ वर्षों पहले सगंध पौधों की खेती शुरू की। खस, लेमन ग्रास, मेंथा सहित कई और पौधों की खेती के लिए लखनऊ स्थित राष्ट्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान (सीमैप) से ट्रेनिंग लेने के बाद समीर ने इनकी खेती शुरू की। सीमैप की मदद से उन्हें खरीदार भी मिल गए और वहीं करीब 4 लाख रुपये के निवेश से सीमैप के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा तैयार आसवन इकाई के ज़रिए उन्होंने तेल निकालने की व्यवस्था भी तैयार कर ली। अब खेती का रकबा बढ़ा कर 35 एकड़ कर चुके समीर न केवल अपने खेतों से लाख रुपये प्रति एकड़ से ज़्यादा की कमाई कर रहे हैं, बल्कि आसपास के किसानों की फसल का तेल भी निकालते हैं और इस तरह उनकी आसवन इकाई उनके लिए आमदनी का एक जरिया भी बन गई है।

इसी संदर्भ में हाल ही में संसद के दोनों सदनों से पास हो कर कानून बन चुके एसेंशियल कमोडिटी एक्ट (ईसीए) संशोधन और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी काफी महत्वपूर्ण हैं। जहां 55 साल पुराने ईसीए में संशोधन से गोदामों और वेयरहाउसिंग सेक्टर में निजी क्षेत्र के निवेश की बाढ़ आने की उम्मीद की जा रही है, वहीं इसके स्वाभाविक परिणामस्वरूप खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में भी विकास होगा। ये दोनों ही स्थितियां खेती में कारोबार और आमदनी बढ़ाने के अनेक अवसर पैदा करेंगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़े नए कानून खासतौर पर कोऑपरेटिव और एफपीओ के लिए वरदान साबित होंगे।

निजी तौर पर किसानों और उद्यमियों के लिए रोज़गार और उद्यमिता के इन मौकों के अलावा एफपीओ और एसएचजी के लिए भी कृषि के बदलते परिदृश्य ने कई दरवाजे खोल दिए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस साल की शुरुआत में अगले 5 वर्ष में 10000 एफपीओ तैयार करने की औपचारिक शुरुआत की। इसके लिए नए दिशानिर्देश आ चुके हैं, जिनमें एफपीओ मॉडल की मौजूदा दिक्कतों को दूर कर दिया गया है। इसलिए आने वाले दिनों में ऐसे किसान समूह इन अवसरों का और भी प्रभावी इस्तेमाल करने की स्थिति में होंगे।

(लेखक कॉरपोरेट सेक्टर से संबद्ध हैं।)
ई–मेल : bhaskarbhuwan@gmail.com

उद्यमिता और कौशल विकास में सीएसआर की उपयोगिता

–शिशिर सिन्हा

शिक्षा, प्रशिक्षण, इको सिस्टम और तमाम बुनियादी सुविधाओं को विकसित करने और फिर नियमित खर्च का इंतज़ाम केवल और केवल सरकारी बजट से किया जाए तो ज़्यादा लोगों तक इनका फायदा पहुंचाना संभव नहीं हो सकेगा, क्योंकि सरकारी संसाधन काफी सीमित हैं। ऐसे में सीएसआर यानी कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व खासा कारगर साबित होगा। देश के अलग–अलग इलाकों में बुनियादी सुविधाओं का विकास सीएसआर के ज़रिए हो और फिर प्रशिक्षण का नियमित खर्च सीएसआर के साथ सरकारी बजट से किया जाए। इससे किसी एक पक्ष पर पूरा बोझ नहीं पड़ेगा और ज़्यादा बड़े लक्ष्य को हासिल करना संभव हो सकेगा।

भारत गांवों का देश है, 6,64,462 गांवों का देश। जुलाई 2018 से जून 2019 के बीच संपन्न हुए आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण (पीएलएएफएस) के मुताबिक, इन गांवों में रहने वाले 51.7 फीसदी परिवारों की आय का मुख्य स्रोत स्वरोज़गार है। एक ऐसा देश जहां गांवों में रहने वाले 55 फीसदी से ज़्यादा पुरुष और करीब 20 फीसदी महिलाएं श्रमशक्ति में शामिल हैं और जहां गांवों में कामगार जनसंख्या अनुपात 35.3 फीसदी है। सर्वेक्षण आगे बताता है कि 2018–19 के दौरान गांवों में बेरोज़गारी की दर 5.8 फीसदी रही, पुरुषों के लिए 5.6 फीसदी और महिलाओं के लिए 3.5 फीसदी। अब सबसे ज़रूरी बात, 15–29 वर्ष के ग्रामीण पुरुष युवाओं में बेरोज़गारी दर 16.6 फीसदी तक पहुंची जबकि ग्रामीण युवा महिलाओं के लिए 13.8 फीसदी।

यह तस्वीर का एक पहलू है। अब दूसरा पहलू देखिए। दसवां किसान सर्वेक्षण (2015–16) बताता है कि देश के करीब 86 फीसदी किसान छोटे और सीमांत किसान हैं, यानी ऐसे किसान जिनके पास दो हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है जबकि फसल योग्य ज़मीन का महज करीब 47 फीसदी हिस्सा ही उनके पास है। मत भूलिए कि बढ़ते साल और बढ़ते परिवार के साथ जोत का आकार छोटा होता गया। नतीजा? ज़मीन के एक टुकड़े पर सामान्य स्थिति में जितने लोगों की निर्भरता होनी चाहिए थी, उससे कहीं ज़्यादा लोग जुड़ते गए और बढ़ती गई छिपी हुई बेरोज़गारी।

अब ऐसे में ज़रूरी है कि फसल योग्य ज़मीन पर दबाव कम हो और किसानी के इतर कामकाज के लिए ज़रूरी माहौल तैयार हो। साथ ही, यह भी अहम होगा कि ग्रामीण युवाओं–युवतियों को सामान्य शिक्षा के साथ व्यावसायिक कार्यों के लिए दक्ष किया जाए। ऐसा हुआ तो अपना काम करना संभव हो सकेगा और रोज़गार पाने में सहूलियत होगी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इन सबसे ग्रामोद्योग के लिए उद्यमिता और स्टार्टअप विकसित करने की ज़मीन तैयार हो सकेगी। लेकिन क्या इतना ही काफी है?

बिल्कुल नहीं। अब ज़रूरत वित्तीय संसाधनों की है। इस संसाधन की ज़रूरत कई मामलों में पड़ेगी। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के साथ रोज़गारपरक प्रशिक्षण के

लिए आधारभूत ढ़ांचा तैयार करने के लिए, कौशल विकास के लिए, उद्यमिता प्रशिक्षण के लिए और स्वरोज़गार की सूरत में स्टार्टअप के लिए शुरुआती मदद हेतु।

वैसे तो वित्तीय संसाधनों के लिए कई स्रोत हैं जैसे केंद्र की ओर से बजटीय आवंटन, राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाएं, विभिन्न सरकारी व गैर–सरकारी संस्थाओं की ओर से अनुदान, बैंक व वित्तीय संस्थानों के ज़रिए कर्ज़ वगैरह–वगैरह। लेकिन क्या यह काफी है? शायद नहीं। ऐसे में ज़रूरत है कि ग्रामीण इलाकों में कौशल विकास, रोज़गार, उद्यमिता और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कुछ गैर–परम्परागत स्रोतों पर नजर डाली जाए या फिर यूं कहा जाए कि उनकी मदद ली जाए।

ऐसा ही एक गैर–परम्परागत स्रोत है– कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरादायित्व यानी सीएसआर के तहत उपलब्ध राशि।

क्या है कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

तय सीमा से ज़्यादा कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए बगैर नफा–नुकसान की बात किए समाज के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करने का एक अहम माध्यम है सीएसआर। भारत दुनिया का पहला देश है जो सीएसआर को कानून के तहत पूरा करने की बात कहता है। कानूनी प्रावधान के तहत सीएसआर ना निभा सकने की सूरत में जुर्माना लगाने का प्रावधान है। साथ ही, कंपनी को यह भी बताना होता है कि आखिर तय रकम खर्च क्यों नहीं कर पाए और सुनिश्चित करना पड़ता है कि आगे वो खर्च की जाएगी। दूसरी ओर, खर्च की गई रकम की जानकारी सार्वजनिक करनी होती है। इससे कंपनी की साख और मज़बूत होती है, अप्रत्यक्ष तौर पर कंपनी से संबंधित ब्रांड को भी फायदा होता है।

कंपनी कानून 2013 के तहत गठित वो सभी कंपनियां, जो कुछ खास मापदंडों को पूरा करती हैं, सीएसआर के दायरे में आती हैं। इसमें सरकारी व निजी दोनों ही कंपनियां शामिल हैं। यहां एक सवाल ये भी उठता रहा है कि क्या सरकारी बैंकों पर भी कंपनी कानून के सीएसआर से जुड़े प्रावधान लागू होते हैं तो जवाब है, नहीं। वजह ये है कि सरकारी बैंकों का गठन कंपनी कानून के तहत नहीं हुआ है, फिर भी रिज़र्व बैंक के दिशा–निर्देशों के मुताबिक बीते साल में हुए शुद्ध मुनाफे का एक फीसदी सीएसआर पर बैंक खर्च करते हैं।

सीएसआऱ के लिए कानूनी प्रावधानः कंपनी कानून 2013 की धारा 135 के मुताबिक हर वो कंपनी जिनका एक कारोबारी साल में :

- नेटवर्थ 500 करोड़ रुपये या उससे ज़्यादा या
- कारोबार 1000 करोड़ रुपये या उससे ज़्यादा या फिर
- शुद्ध मुनाफा 5 करोड़ रुपये या उससे ज़्यादा हो, तो उन पर सीएसआऱ की व्यवस्था लागू होगी। ऐसी कंपनी को बीते तीन साल के दौरान हुए शुद्ध मुनाफे का कम से कम दो फीसदी एक कारोबारी साल के दौरान कानून के तहत सूचीबद्ध गतिविधियों पर खर्च करना होगा।

इसके लिए कंपनी को अपने निदेशक मंडल से कम से कम तीन सदस्यों (जिनमें एक स्वतंत्र निदेशक होना चाहिए) को सीएसआर कमेटी बनानी होगी। यह कमेटी परिभाषित गतिविधियों में सीएसआर का पैसा खर्च करने की सिफारिश करेगी। कमेटी के सुझाव के आधार पर कंपनी का निदेशक बोर्ड सीएसआर नीति को मंजूर करेगा जिसे बाद में सार्वजनिक किया जाएगा।

कंपनी जितना पैसा खर्च करेगी, वह जानकारी तो सार्वजनिक होगी ही; अगर तय सीमा से कम खर्च किया गया हो तो इसके कारणों की जानकारी सालाना रपट में देनी होगी। अगर कंपनी साल–दर–साल चल रही किसी परियोजना के लिए पैसा देती है और उसकी वजह से किसी साल में खर्च तय सीमा से हो तो उसका ज़िक्र विशेष तौर पर करना होगा। इसके बावजूद तय सीमा से वो कम ही खर्च करती है तो बाकी रकम विशेष फंड में हस्तांतरित करनी होगी।

कानून कहता है कि कंपनी जिस भौगोलिक क्षेत्र में काम कर रही है, वहां सीएसआर गतिविधियों के तहत पैसा खर्च करने को प्राथमिकता देनी होगी। अब इसे यूं भी समझ लीजिए विनिर्माण क्षेत्र से जुड़ी प्रमुख कंपनियों के मुख्यालय महानगरों में स्थित हैं, लेकिन उनके संयंत्र दूरदराज के इलाकों में स्थित हैं। अब संयंत्र के आसपास के ग्रामीण इलाकों में सीएसआर का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो सकता है।

कानून के तहत जिन गतिविधियों पर सीएसआर खर्च करने का प्रावधान शामिल किया गया है, वो हैंः

- भूखमरी, गरीबी व कुपोषण मिटाना, बचाव सुविधा समेत स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता और सुरक्षित पेयजल
- बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना, जीविका बेहतर करने की परियोजना
- लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं का सशक्तीकरण, महिलाओं, अनाथ व बुर्जुगों के लिए आवास की व्यवस्था, बुजुर्गों के लिए डे केयर और दूसरी व्यवस्था, सामाजिक–आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के साथ असमानता को खत्म करने के प्रयास
- पर्यावरण की बेहतरी के प्रयास, पशु कल्याण, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, जलवायु व मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने की पहल, गंगा सफाई के लिए सरकारी कोष में योगदान
- राष्ट्रीय धरोहर, कला–संस्कृति का संरक्षण, सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना, पारम्परिक कला व हस्तकला का विकास
- देश के लिए युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों और शहीद सेनानियों की पत्नी व उनके आश्रतियों के लिए कल्याण योजना
- ग्रामीण खेलकूद व दूसरे खेलों को बढ़ावा देने की पहल
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या पीएम केयर में योगदान
- विज्ञान, तकनीक, अभियांत्रिकी व दवा के लिए केंद्र/राज्य/

केंद्र या राज्य की एजेंसी/सरकारी उपक्रम के शोध व विकास परियोजनाओं या फिर इनक्यूबेटर के लिए सहायता

- ग्रामीण विकास परियोजनाएं
- झुग्गी–झोपड़ी विकास कार्य
- राहत, पुनर्वास व पुनर्निर्माण समेत आपदा प्रबंधन

अब प्रश्न उठता है कि सीएसआर से जुड़े प्रावधानों से कम या ज़्यादा खर्च करने पर क्या होगा। कंपनी कानून में इसके लिए विशेष व्यवस्था पहले से ही है, अब सितम्बर, 2020 में किए बदलाव के तहत व्यवस्था को और दुरुस्त किया गया हैः

- अगर कंपनी बीते तीन वर्ष के औसत शुद्ध मुनाफे के दो फीसदी से ज़्यादा खर्च एक ही वर्ष में कर ले तो वो इसके ज़रिए आगे के वर्ष के दौरान के लिए तय रकम का सेट ऑफ कर सकती है। दूसरे शब्दों में कहें तो उसे आगे कम खर्च करना होगा।
- अगर कंपनी ने कम खर्च किया है तो ऐसी सूरत में बाकी रकम का दोगुना या फिर एक करोड़ रुपये, जो भी कम हो, अनस्पेंट कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट में जमा करना होगा। सीएसआऱ के लिए तय रकम खर्च करने के लिए जवाबदेही अधिकारी को कम रकम के दसवें हिस्से या दो लाख रुपये, जो भी कम हो, अनस्पेंट कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट में जमा कराना होगा। जमा रकम आगे के तीन साल के दौरान खर्च करनी होगी।

सीएसआर उपयोगिता

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के नेशनल सीएसआर पोर्टल के मुताबिक, 2014–15 से 2018–19 के बीच विभिन्न सरकारी और गैर–सरकारी कंपनियों ने 71,277 करोड़ रुपये सीएसआर पर खर्च किए। तीन प्रमुख गतिविधियों (भूखमरी, गरीबी व कुपोषण मिटाना, बचाव सुविधा समेत स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता और सुरक्षित पेयजल, बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना, जीविका बेहतर करने की परियोजना और ग्रामीण विकास) को ले लें, जिनका ज़्यादा से ज़्यादा संबंध ग्रामीण क्षेत्र से रहा है, उनमें पांच सालों के दौरान क्रमशः 26,989 करोड़ रु, 19,090 करोड़ रु और 7,776 करोड़ रुपये खर्च किए गए।

अब अगर और गहराई से विश्लेषण करें तो पाएंगे कि कंपनियों ने ग्रामीण इलाकों में खासतौर पर विद्यालयों में कक्षा बनवाने, विद्यालय भवन की चारदीवारी बनवाने, शौचालय बनवाने, महाविद्यालय बनवाने में मदद, व्यावसायिक शिक्षा केंद्र की स्थापना करने, प्रशिक्षण केंद्र शुरु करवाने, संपर्क सड़क बनवाने वगैरह पर खर्च किए। गांव के स्तर पर भले ही रकम छोटी–छोटी हो, लेकिन बड़ी पहल की शुरुआत ज़रूर कर दी। दूसरे शब्दों में कहें तो ग्रामीणों के लिए शुरुआती शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के बाद व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास का सामान्य ढ़ांचा विकसित करने का काम हो रहा है।

दूसरी ओर, विभिन्न सरकारी बैंकों ने अपनी ओर से पहल की है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक की 2019–20 की सालाना रपट बताती है कि उन्होंने सीएसआर के काम के लिए एसबीआई फाउंडेशन का गठन किया है जो शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास पर विशेष ध्यान दे रहा है। वर्ष 2019–20 के दौरान बैंक ने एसबीआई फाउंडेशन के ज़रिए करीब साढ़े 12 करोड़ रुपये खर्च किए। देश का एक औऱ प्रमुख बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने 2019–20 की अपनी सालाना रपट में बताया कि सीएसआर गतिविधियों के तहत वो 12 किसान प्रशिक्षण केंद्र और 57 ग्रामीण स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थानों की मदद से ग्रामीण इलाको में रहने वालों को सशक्त बनाने का काम कर रहा है। बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो वो सीएसआर के तहत विभिन्न कार्यों के अलावा 43 ग्रामीण प्रशिक्षण केंद्रों के तहत गांव में रहने वालों के लिए कृषि औऱ उससे इतर कार्यों के लिए प्रशिक्षित कर रहा है।

आजीविका के तहत ही स्टार्टअप के लिए भी खास कार्यक्रम (एसवीईपी एंड स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम) शुरू किया गया है जहां स्वयंसहायता समूह और उनके सदस्यों के परिजनों को गैर–कृषि क्षेत्र में छोटे–छोटे उद्यम शुरू करने के लिए सहायता दी जाती है। इसके लिए 'इको सिस्टम' तैयार किया जाता है। कार्यक्रम के तहत 23 राज्यों के 153 प्रखंडों में दो लाख उद्यमियों को मदद देने की योजना है।

अब इन प्रयासों को कुछ इस तरह से भी समझा जा सकता है। सीएसआर के तहत देश के विभिन्न ग्रामीण इलाकों में सड़क निर्माण व भवन निर्माण के कार्य लगातार चल रहे हैं, इससे रोज़गार के मौके बनते हैं। स्पष्ट तौर पर यह कहना तो मुश्किल है कि रोज़गार के कितने मौके बने, फिर भी ये संख्या लाखों श्रमदिवस में हो सकती है। यही नहीं, निर्माण कार्य से प्रत्यक्ष रोज़गार के साथ–साथ अस्थायी तौर पर ही सही लेकिन अप्रत्यक्ष रोज़गार के मौके भी बनते हैं। जैसे सड़क निर्माण या भवन निर्माण के लिए कच्चा सामान लाने का इंतजाम, निर्माण स्थल के आसपास चाय व खाने–पीने का इंतजाम करना वगैरह अप्रत्यक्ष रोज़गार को बढ़ावा देते हैं।

अब कौशल विकास की बात कर लें। कौशल विकास के लिए भवन का निर्माण हो गया और ज़रूरी बुनियादी सामान का इंतजाम हो गया और अब इस पर नियमित खर्च कंपनी भी उठा सकती है या फिर केंद्र या राज्य सरकार। सरकार के ऊपर बुनियादी सुविधा विकसित करने का बोझ नहीं आएगा तो बजट आवंटन के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो योजनाओं का फायदा दे सकती है।

इसी तरह उद्यमिता को ले लीजिए। ग्रामीण इलाकों में उद्यमिता का मतलब बस इतना नहीं कि प्रशिक्षण दे दिया गया या फिर बैंक या वित्तीय संस्था से आसान शर्तों पर कर्ज़ दिलवा दिया गया... उद्यमिता के कामयाब होने के लिए यह भी ज़रूरी है कि ग्रामीण क्षेत्र में सड़क, पानी, बिजली, इंटरनेट जैसी बुनियादी सुविधाएं कितनी विकसित हुई हैं और बदलते माहौल के हिसाब

से सतत प्रशिक्षण चल रहा है या नहीं। मत भूलिए कि सड़क या फिर डिजिटल व्यवस्था विकसित होगी तभी एक ग्रामीण उद्यमी के लिए देश–दुनिया से जुड़ना आसाना होगा और उसके कारोबार की सफलता काफी हद तक इसी पर निर्भर है।

सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है– आजीविका। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के ज़रिए दो खास योजनाएं चलाई जा रही हैं– दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना और आरसेती (रूरल सेल्फ एम्पॉलयमेंट ट्रैनिंग इंस्टीट्यूट)। पहली योजना के तहत सरकार व निजी क्षेत्र के सहयोग से सुनिश्चित रोज़गार के लिए युवाओं के कौशल को विकसित किया जाता है, वहीं दूसरी योजना के तहत हर ज़िले में एक प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है जहां गरीब परिवारों के ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देकर छोटे–छोटे कारोबार शुरु करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। प्रशिक्षण के बाद बैंक से कर्ज़ लेने में भी मदद की जाती है।

आजीविका के तहत ही स्टार्टअप के लिए भी खास कार्यक्रम (एसवीईपी एंड स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम) शुरू किया गया है जहां स्वयंसहायता समूह और उनके सदस्यों के परिजनों को गैर–कृषि क्षेत्र में छोटे–छोटे उद्यम शुरू करने के लिए सहायता दी जाती है। इसके लिए 'इको सिस्टम' तैयार किया जाता है। कार्यक्रम के तहत 23 राज्यों के 153 प्रखंडों में दो लाख उद्यमियों को मदद देने की योजना है।

उपरोक्त वर्णित इन दोनों योजनाएं और एक कार्यक्रम को देखें तो सभी में सामान्य शिक्षा और फिर उसके बाद प्रशिक्षण की बात है जिसके लिए एक व्यवस्था भी तैयार की जानी है जिससे पारंपरिक उद्योग और स्टार्टअप्स के ज़रिए स्वरोज़गार को बढ़ावा देना है। अब शिक्षा, प्रशिक्षण, इको सिस्टम और तमाम बुनियादी सुविधाओं को विकसित करने और फिर नियमित खर्च का इंतज़ाम केवल और केवल सरकारी बजट से किया जाए तो ज़्यादा लोगों तक इनका फायदा पहुंचाना संभव नहीं हो सकेगा, क्योंकि सरकारी संसाधन काफी सीमित हैं। ऐसे में सीएसआर खासा कारगर साबित होगा। देश के अलग–अलग इलाकों में बुनियादी सुविधाओं का विकास सीएसआर के ज़रिए हो और फिर प्रशिक्षण का नियमित खर्च सीएसआर के साथ सरकारी बजट से किया जाए। इससे किसी एक पक्ष पर पूरा बोझ नहीं पड़ेगा और ज़्यादा बड़े लक्ष्य को हासिल करना संभव हो सकेगा।

आगे क्या हो सकता है?

सीएसआर के ज़रिए खर्च के लिए कानून में शामिल सभी 12 तरह की गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों की ज़रूरत को देखते हुए ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता वगैरह गतिविधियों को खास महत्व दिए जाने की ज़रूरत है। ऐसे में एक विकल्प बैंक कर्ज़ के मामले में प्राथमिकता क्षेत्र का मॉडल हो सकता है। इस मॉडल में कृषि, छोटे उद्योग वगैरह के लिए कुल कर्ज़ का कम से कम एक निश्चित हिस्सा तय किया गया है। सीएसआर के मामले में भी ये हो सकता है कि कुल प्रावधान की गई रकम का कम से कम 50 फीसदी ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह के लिए आरक्षित कर दिया जाए। इससे दो फायदे होंगे। एक, हर वर्ष सरकारी बजट के अतिरिक्त रकम उपलब्ध होगी तो वहीं दूसरी ओर, सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल और दूसरे महत्वपूर्ण कार्यों पर भी हो सकता है।

(लेखक वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं।)
ई–मेल : hblshishir@gmail.com

ग्रामीण भारत में पंख पसारता स्टार्टअप तंत्र

–इरतीफ लोन

स्टार्टअप तंत्र को मज़बूत करने के लिए 2016 में सरकार ने हाथ बढ़ाया, जब प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम ने तस्वीर ही बदल दी है और हमें दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप तंत्र बना दिया है जोकि हर साल लगभग 10 प्रतिशत की रफ्तार से बढ़ रहा है। रोज़ाना तकनीक पर आधारित नए स्टार्टअप आने से यह भरोसा बढ़ा है कि राष्ट्र जबर्दस्त साहस और दृढ़ता के साथ स्थानीय तथा वैश्विक–स्तर पर आ रही समस्याएं हल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

भविष्य की कुंजी नवाचार यानी नई पहल में ही होती है। आज की दुनिया में कोई भी राष्ट्र नवाचार और रचनात्मकता को अपने विचारों और कार्यों के केंद्र में रखे बगैर नहीं रह सकता। नए कारोबारी मॉडल एकदम नए विचारों पर आधारित होते हैं और इसीलिए उन्हें स्टार्टअप कहा जाता है। जिन नवाचारों में व्यापक–स्तर तक पहुंचने की संभावना होती है, वे स्टार्टअप के ज़रिए शुरू किए जाने पर स्थानीय एवं वैश्विक–स्तर पर आ रही समस्याओं का प्रभावी समाधान दे सकते हैं तथा मानव जीवन की गुणवत्ता भी सुधार सकते हैं।

स्टार्टअप विकसित एवं विकासशील देशों के लिए वृद्धि एवं संपन्नता के वाहक बन गए हैं, जो रोज़गार देते हैं तथा सामाजिक–आर्थिक विकास का कारण बनते हैं। इन स्टार्टअप की खासियत यही है कि किसी किशोर या युवा के पास एक पाई चाहे नहीं हो मगर यदि उसके पास विचार है और उसे साकार करने की इच्छाशक्ति भी है तो वह अरबों डॉलर की कंपनी खड़ी कर सकता है तथा उसे चला भी सकता है। इस तरह यह किसी भी क्षेत्र में समानता लाता है। हालांकि यह देखने की बात है कि ये विचार कितने समय तक कारगर रहते हैं।

हाल के दिनों में एक अरब डॉलर से अधिक हैसियत या मूल्यांकन वाले स्टार्टअप के लिए यूनिकॉर्न शब्द इस्तेमाल किया गया है और कमाई के मामले में स्टार्टअप की सफलता इसी से पता चलती है। इस मामले में हमने अक्सर फेसबुक, स्पेसएक्स और एयरबीएनबी जैसे स्टार्टअप देखे हैं। कॉलेज के कमरे से शुरू हुए फेसबुक को अब दुनिया भर में 2.5 अरब से भी ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी शुद्ध कीमत 500 अरब डॉलर से भी अधिक है। एलोन मॅस्क द्वारा स्थापित स्पेसएक्स निजी अंतरिक्ष परिवहन का अनूठा और महत्वाकांक्षी स्टार्टअप है, जो 2002 में लांच किया गया था। वेकेशन रेंटल यानी छुट्टियां बिताने के लिए

कमरे किराये पर दिलाने वाली कंपनी एयरबीएनबी ठहरने के अनूठे और प्रामाणिक ठिकानों के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा बाज़ार बन गई है और 70 लाख से ज़्यादा ठहरने के स्थान मुहैया कराती है। मगर भारत को अब भी स्टार्टअप की दुनिया में सफलता का इंतजार है। इनमोबी 2011 में भारत की पहली यूनिकॉर्न (एक अरब डॉलर से अधिक वैल्यू के स्टार्टअप) बनी और उसके बाद से हम कई गुना तरक्की कर चुके हैं। यूनिकॉर्न तैयार करने के मामले में आज भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है। महामारी के दौरान भी भारत से 6 नए यूनिकॉर्न जुड़े और रेज़रपे सबसे नया यूनिकॉर्न है। इन उदाहरणों से लोगों को प्रेरणा ही नहीं मिलती बल्कि हमें इस बात पर यकीन भी होता है कि विचारों की कोई सीमा नहीं होती।

लगभग 1.3 अरब आबादी वाला भारत देश के भीतर एवं बाहर बने उत्पादों और दूसरे कारोबारों के लिए अहम बाज़ार बन गया है। यह देश सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और यहां सामाजिक–आर्थिक तस्वीर भी तेज़ी से बदल रही है, जिसके कारण मध्य वर्ग एवं निम्न मध्य वर्ग की खरीदारी की क्षमता भी तेज़ी से बढ़ी है। इन तबकों में ढेरों देसी स्टार्टअप की मदद करने की क्षमता भी है। साथ ही जीवन–स्तर बेहतर करने तथा गरीबी दूर करने के लिए अनूठे समाधानों की आवश्यकता एवं तमाम क्षेत्रों में तकनीकी हस्तक्षेप की ज़रूरत के कारण ग्राहकों का बहुत बड़ा आधार मिल जाता है।

तकनीकी ईजादों से कंपनियां शुरू करने का खर्च भी कम हो गया है क्योंकि जगह की ज़रूरत घट गई है तथा ग्राहक बनाना आसान हो गया है। इसीलिए तकनीकी स्टार्टअप के लिए अपना आकार बढ़ाने और अधिक से अधिक तरक्की करने का मौका पैदा हो गया है। इंटरनेट आज की दुनिया का सबसे ताकतवर औजार है, जिसने दुनिया को हमारी कल्पना से भी अधिक करीब ला दिया है। यह नए विचारों को तेज़ी से समाज के बीच पहुंचाता है। भारत में 1995 में जब इंटरनेट का सार्वजनिक इस्तेमाल शुरू हुआ था तब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यह हमें कहां तक ले जाएगा। आज हमारे देश की करीब 55 प्रतिशत आबादी इंटरनेट का इस्तेमाल करती है और सामान बेचने के लिए यह बेहद सुलभ बाज़ार बन गया है। इसीलिए इंटरनेट की मदद से कहीं से भी ग्राहकों तक पहुंचना आसान एवं सुलभ हो गया है, जिससे स्टार्टअप तंत्र को बढ़ावा मिला है। दूसरी ओर, इससे ग्राहकों के लिए भी बाज़ार तक पहुंचना सुलभ एवं सुविधाजनक हो गया है।

इसीलिए स्टार्टअप के क्षेत्र में अपने हिस्से की सफलता हासिल करने के बाद भविष्य के लाभ हासिल करने के मकसद से इस तंत्र को मज़बूत करने के लिए 2016 में सरकार ने हाथ बढ़ाया, जब प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम ने तस्वीर ही बदल दी है और हमें दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप तंत्र बना दिया है जोकि हर साल लगभग 10 प्रतिशत की रफ्तार से बढ़ रहा है। रोज़ाना तकनीक पर आधारित नए स्टार्टअप आने से यह भरोसा बढ़ा है कि राष्ट्र जबर्दस्त साहस और दृढ़ता के साथ स्थानीय तथा वैश्विक–स्तर पर आ रही समस्याएं हल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

> पूरे भारत के सुदूर से सुदूर शहरों में भी नवाचार तथा इनक्यूबेशन को पंख फैलाने में भरपूर मदद मिली है। इन सभी कार्यक्रमों में सबसे अहम अटल इनोवेशन मिशन रहा है, जो नीति आयोग के अंतर्गत काम करता है। उन्होंने देश भर में विभिन्न क्षेत्रों में 100 से अधिक इनक्यूबेशन केंद्र सफलतापूर्वक स्थापित किए हैं, जहां शुरुआती निवेश के साथ ही मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराया जाता है। वे एक और प्रमुख कार्यक्रम अटल टिंकरिंग लैब का संचालन करते हैं। यह कार्यक्रम स्कूलों के लिए है, जो युवा मानस को कम उम्र में ही अपनी रचनात्मकता दिखाने का मंच प्रदान करता है। इसकी उपलब्धि अगले दशक में दिखेगी, जब ये छात्र अपने–अपने स्टार्टअप स्थापित करेंगे।

भारत में स्टार्टअप का तंत्र पिछले दशक में बहुत बढ़ गया है। अक्सर भारत की सिलिकन वैली कहलाने वाले बेंगलूरु जैसे चुनिंदा महानगरों से शुरू होकर यह तंत्र मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद तक फैल गया। लेकिन यह समझना ज़रूरी है कि तंत्र में कई लोगों की हिस्सेदारी होती है। इनमें सबसे पहली तो सरकार ही होती है, जो आकांक्षाओं से भरा तंत्र तैयार करने के लिए अनुकूल साधन मुहैया कराती है। विश्वविद्यालय होते हैं, जहां शोध कार्य किया जा रहा है, इनक्यूबेटर और एक्सीलरेटर हैं, जो कारोबारी विचार को वाणिज्यिक–स्तर पर ले जाने और बड़ा बनने में मदद करते हैं। अंत में वित्तीय संस्थाएं तथा निवेशक होते हैं, जो उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देने में बड़ी भूमिका अदा करते हैं। स्वस्थ यानी अच्छा तंत्र तभी बनता है, जब ये सभी हिस्सेदार एक साथ आते हैं।

वित्तीय संस्थाओं ने दुनिया भर में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने में बड़ी भूमिका अदा की है; लेकिन स्टार्टअप का तंत्र तैयार करने में ऐंजल निवेशकों और वेंचर कैपिटल फर्मों का असली हाथ रहा है। भारत में इनकी आमद 2008 के आसपास शुरू हुई, जब फ्लिपकार्ट को बड़ा निवेश हासिल हुआ और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय–स्तर पर काम कर रहे कई निवेशकों ने भारत में आधारित विभिन्न स्टार्टअप में निवेश किया। यह सिलसिला बढ़ता गया है और अधिक से अधिक निवेशक भारत आए हैं। कई कंपनियों ने भी भारत में अच्छी–खासी पैठ बना ली है। निवेशक कंपनियों ने भी जबर्दस्त प्रगति की है मगर देश में ज़्यादा–से–ज़्यादा स्टार्टअप स्थापित होने के साथ ही निवेश की मांग भी कई गुना बढ़ गई है।

यह तंत्र अब छोटे शहरों और कस्बों में भी फैलने लगा है। सरकार के प्रमुख कार्यक्रम स्टार्टअप इंडिया की भी इसमें अहम् भूमिका रही है, जिसने इन छोटे नेटवर्कों को आपस में जोड़ा है और एक साझे मंच पर लाया है, जो स्टार्टअप इंडिया अभियान चला रही युवा टीम की बड़ी कामयाबी रही है। इतना ही नहीं वे

मार्गदर्शकों का एक समूह भी तैयार कर रहे हैं ताकि मझोले और छोटे शहरों में काम कर रहे स्टार्टअप को मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। साथ ही, वे किफायती समाधान हासिल करने के लिए विभिन्न चुनौतियों तथा हैकॉथान का आयोजन भी कर रहे हैं।

स्टार्टअप इंडिया की मदद से ही भारत में 30 से अधिक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने स्टार्टअप नीतियां तैयार की हैं, जिनमें स्टार्टअप के क्षमता निर्माण तथा कारोबारी मौके प्रदान करने की पहलों के साथ ही भौतिक बुनियादी ढांचा एवं शुरुआती निवेश प्रदान करने पर ज़ोर दिया गया है। इसके अलावा, राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के लिए रैंकिंग की व्यवस्था भी शुरू की गई है, जिसमें राज्यों में गुजरात और केंद्रशासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा।

साथ ही, सरकार के विभिन्न मंत्रालयों ने इनक्यूबेटर तथा एक्सीलरेटर कार्यक्रमों को मदद करने के लिए विभिन्न योजनाएं तथा कार्यक्रम भी शुरू किए हैं। सरकारी नीतियों में निजी तथा सरकारी क्षेत्र में नवाचार पर बहुत ध्यान दिया गया है। यह समझा गया है कि तकनीकी नवाचारों या नई ईजादों से लोगों की जीवन स्थिति सुधारने तथा सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन लाने में मदद मिलेगी। लेकिन सरकारें स्टार्टअप को सीधे इनक्यूबेट नहीं करतीं यानी सहारा नहीं देतीं बल्कि वे स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों जैसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग और अटल इनोवेशन मिशन के माध्यम से नीति आयोग के ज़रिए इनक्यूबेटर तैयार करने के लिए वित्तीय मदद देती हैं। इन मंत्रालयों की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत न केवल इनक्यूबेशन केंद्र स्थापित करने के लिए धनराशि दी जाती है बल्कि मानदेय, शुरुआती निवेश राशि, पेटेंट दाखिल करने के खर्च के रूप में स्टार्टअप को प्रोत्साहन भी दिए जाते हैं।

> स्टार्टअप की तस्वीर देखकर निसंदेह यह कहा जा सकता है कि भारतीय बाज़ार स्टार्टअप के लिए सबसे जीवंत–तंत्रों में शुमार होने जा रहा है, जहां सरकार, निजी क्षेत्र के निवेशकों तथा अन्य उत्कृष्टता केंद्रों समेत चारों ओर से अधिक से अधिक मदद मिल रही है। पूरी स्थिति देश को यह भरोसा दिलाती है कि स्टार्टअप के तंत्र के तौर पर भारत परिपक्व होता रहेगा, जहां कृषि, प्रौद्योगिकी, कारोबार समेत सभी क्षेत्रों में मार्गदर्शन, नेटवर्किंग और निवेश मिलता रहेगा जो राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में व्यापक बदलाव लाने वाला साबित होगा।

सरकारी मदद वाले इनक्यूबेशन कार्यक्रमों ने आज अंतर या कमियां पाटने में अहम भूमिका निभाई है और मझोले तथा छोटे शहरों में तंत्र विकसित होने लगा है। इन शहरों के स्टार्टअप अब दिखने लगे हैं और पूरे भारत में संबंधित क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों से मदद भी पाने लगे हैं। इन अवसरों ने अब स्टार्टअप के संस्थापकों के लिए एक–दूसरे से संवाद करने तथा सीखने की संभावना भी उत्पन्न की है, इन छोटे शहरों से कुछ स्टार्टअप संस्थापकों को ऐसे शहरों से सह–संस्थापक भी मिलने लगे हैं, जहां स्टार्टअप की संस्कृति परिपक्व हो चुकी है।

पूरे भारत के सुदूर से सुदूर शहरों में भी नवाचार तथा इनक्यूबेशन को पंख फैलाने में जमकर मदद मिली है। इन सभी कार्यक्रमों में सबसे अहम अटल इनोवेशन मिशन रहा है, जो नीति आयोग के अंतर्गत काम करता है। उन्होंने देश भर में विभिन्न क्षेत्रों में 100 से अधिक इनक्यूबेशन केंद्र सफलतापूर्वक स्थापित किए हैं, जहां शुरुआती निवेश के साथ ही मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराया जाता है। वे एक और प्रमुख कार्यक्रम अटल टिंकरिंग लैब का संचालन करते हैं। यह कार्यक्रम स्कूलों के लिए है, जो युवा मानस को कम उम्र में ही अपनी रचनात्मकता दिखाने का मंच प्रदान करता है। इसकी उपलब्धि अगले दशक में दिखेगी, जब ये छात्र अपने–अपने स्टार्टअप स्थापित करेंगे।

इनमें से अधिकतर इनक्यूबेटर को सरकार प्रायोजित करती है और ये शिक्षण संस्थाओं में चलाए जाते हैं, जिनसे छात्रों को कॉलेज या विश्वविद्यालय में रहते हुए ही उद्यम तैयार करने की प्रक्रिया में हिस्सेदारी का मौका मिलता है। इनक्यूबेटरों को कम से कम सरकारी क्षेत्र में वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली एजेंसियों की ज़रूरत के मुताबिक खुद को गैर–लाभकारी संगठन के रूप में पंजीकृत कराना पड़ता है। इनक्यूबेशन केंद्र परिवर्तन के वाहक बन गए हैं, बदलाव ला रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में स्टार्टअप तंत्र तैयार करने की धुरी बन गए हैं। साथ ही, वे न केवल उद्यम खड़ा करने के लिए ज़रूरी बुनियादी ढांचा मुहैया करा रहे हैं बल्कि सपनों को यथार्थ में बदलने, विचार को आरंभिक नमूने में बदलने, प्रमाणीकरण तथा उत्पाद पेश करने में पूरा मार्गदर्शन भी कर रहे हैं।

शुरुआती निवेश राशि स्टार्टअप को मिलने वाला सबसे महत्वपूर्ण निवेश बन गई है क्योंकि यह राशि स्टार्टअप के एकदम शुरुआती दौर में मिलती है। इससे स्टार्टअप को उत्पाद तैयार करने के लिए ज़रूरी अनुसंधान एवं विकास जारी रखने या परियोजना का परीक्षण करने के लिए ज़रूरी गति मिलती है। इसे जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहयोग परिषद (बिराक) के अंतर्गत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों में भी शामिल किया गया है, जिनमें विचार का प्रमाण दिखाने से लेकर व्यवसायीकरण तक उत्पाद विकास के सभी चरणों में मदद के लिए वित्तीय सहयोग, योजनाओं के साथ अनुसंधान एवं विकास के ज़रिए जैव प्रौद्योगिकी के संवर्धन पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है। साथ ही निधि प्रयास (प्रमोटिंग एंड एक्सीलरेटिंग यंग एंड एस्पायरिंग टेक्नोलॉजी ऑन्त्रप्रेन्यर्स) भी एक कार्यक्रम है, जो देश भर के नवाचारियों को सरकार की मदद से अपने आविष्कारों तथा नई पहलों के नमूने या प्रोटोटाइप बनाने में मदद करता है, उन्हें अपने विचारों का परीक्षण करने के लिए पूरा मौका देता है, उन्हें ऐसी स्थिति तक पहुंचने

में मदद करता है, जहां उनके पास तैयार उत्पाद हो और वे उसे वाणिज्यिक रूप देने के लिए इनक्यूबेटरों के पास जाने को तैयार हों। प्रोटोटाइप बनाने के लिए दूसरी एमएसएमई योजनाएं भी हैं।

'दस्कदान इनोवेशंस' जम्मू–कश्मीर के श्रीनगर का एक स्टार्टअप है, जो स्टार्टअप के संघर्ष तथा गौरव का उदाहरण है। खेती की आधुनिक पद्धतियों में अक्सर इस बात की अनदेखी कर दी जाती है कि चिकित्सा की दृष्टि से ज़रूरी दवाओं के इस्तेमाल से सेहत को कितना खतरा हो सकता है। इन अनदेखी के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य की बड़ी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, जिनमें सूक्ष्मजीवियों के विरुद्ध प्रतिरोध यानी एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस भी शामिल हैं। दस्कदान इनोवेशंस ने पशुपालन में चारे के साथ इस्तेमाल होने वाली दवाओं पर निर्भरता कम करने पर ज़ोर दिया। उसका दीर्घकालिक उद्देश्य एहतियात के उपाय नाकाम होने से पहले ही मवेशियों में सूक्ष्मजीवी प्रतिरोध क्षमता पनपने का पता लगाना है।

इस स्टार्टअप को हाल ही में भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहयोग परिषद (बिराक) से पशुओं का स्वास्थ्य सुधारने पर केंद्रित विचार प्रमाण (प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट) के लिए बायोटेक्नोलॉजी इग्नीशन ग्रांट (बिग) भी मिली।

लेकिन यह ग्रांट यानी अनुदान पाने से पहले वे उभरते हुए उद्यमियों या स्टार्टअप के विचार को मान्यता या प्रमाणन दिलाने के मौके तलाश रहे थे और उसी दौरान उन्होंने नेशनल बायो–ऑन्त्रप्रेन्यरशिप चैलेंज के लिए आवेदन किया, जिसमें उन्हें एक निर्णायक मंडल के सामने अपना विचार प्रस्तुत करने का मौका मिला। उस अनुभव से बहुत मदद मिली, उस चुनौती में आगे बढ़ने में नाकाम रहने पर उन्होंने नए सिरे से योजना बनाई और उन्होंने बेहतर विचार तैयार किया। नए परिष्कृत विचार के साथ वे एकेडमिया इंडस्ट्री ट्रेनिंग (एआईटी) 2020 के लिए चुने गए और सोसायटी ऑफ इनोवेशंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप (साइन), आईआईटी– मुंबई तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उन्हें वैश्विक क्षमता वाले दस शीर्ष स्टार्टअप में चुना गया, जिसके कारण उन्हें फरवरी 2020 में वेंचरलैब द्वारा स्विट्जरलैड बुलाया गया। एआईटी फेलोशिप के दौरान उन्हें 'साइन' से नेशनल इनीशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हारनेसिंग इनोवेशंस (निधि) एंटरप्रेन्योर रेज़िडेंस (ईआईआर) फेलोशिप मिल गई। ईआईआर फेलोशिप के दौरान उन्होंने अपने विचार को निखारा और उन्हें मार्गदर्शकों के साथ कारोबारी मॉडल पर काम करने का मौका मिला। इन सत्रों ने आखिर में बायोटेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रांट हासिल करने में उनकी मदद की। सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्युलर प्लेटफॉर्म्स या सी–कैम्प बिग में साझेदार है। इस समय उन्हें सी–कैम्प में आभासी तौर पर और जम्मू एंड कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में वास्तविक तौर पर इनक्यूबेट किया जा रहा है। उन्होंने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के संस्थान तथा जम्मू–कश्मीर सरकार की पेशकश हासिल करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।

स्टार्टअप की तस्वीर देखकर निसंदेह यह कहा जा सकता है कि भारतीय बाज़ार स्टार्टअप के लिए सबसे जीवंत–तंत्रों में शुमार होने जा रहा है, जहां सरकार, निजी क्षेत्र के निवेशकों तथा अन्य उत्कृष्टता केंद्रों समेत चारों ओर से अधिक से अधिक मदद मिल रही है। पूरी स्थिति देश को यह भरोसा दिलाती है कि स्टार्टअप के तंत्र के तौर पर भारत परिपक्व होता रहेगा, जहां कृषि, प्रौद्योगिकी, कारोबार समेत सभी क्षेत्रों में मार्गदर्शन, नेटवर्किंग और निवेश मिलता रहेगा, जो राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में व्यापक बदलाव लाने वाला साबित होगा।

स्टार्टअप अलग–थलग रहकर काम नहीं करते, इसीलिए वे देश के वृहद् आर्थिक परिदृश्य का हिस्सा होते हैं और कारोबारी सुगमता, कारोबार बेचने के लिए आसान विकल्प, समयबद्ध पंजीकरण, सरकारी दस्तावेजीकरण एवं सरकारी खरीद के लिए स्टार्टअप को ध्यान में रखकर बनाई गई मानक परिचालन प्रक्रिया जैसे कारकों पर निर्भर होते हैं। निवेश का प्रवाह बढ़ गया है लेकिन आरंभिक चरण वाले स्टार्टअप में निवेश करने वाले ज़्यादा से ज़्यादा निवेशकों की ज़रूरत है, जो केवल महानगरों पर ही ध्यान न दें बल्कि पूरे भारत के स्टार्टअप को आवेदन करने तथा वित्तीय मदद पाने का मौका प्रदान करें। बड़ी कंपनियों को कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के तहत कम लागत और बड़े असर वाले समाधानों पर धन देते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में इनक्यूबेशन केंद्र स्थापित करने तथा एक्सीलरेशन कार्यक्रम चलाने के लिए प्रोत्साहित करने से स्टार्टअप के तंत्र को और भी बढ़ावा मिल सकता है।

हमारे सामने शानदार मौके हैं मगर चुनौतियां भी हैं। इतिहास गवाह है कि मनुष्य शुरू से ही बहुत उद्यमशील स्वभाव का रहा है। घूम–घूमकर भोजन जुटाने के दौर से लेकर स्विगी और ज़ोमैटो द्वारा दरवाजे पर खाना पहुंचाए जाने तक हमने लंबा सफर तय किया है। चुनौतियां बहुत रहीं और हमारा जवाब भी उतना ही शानदार रहा। उसी के साथ हमने स्टार्टअप का अपना पहला सबक सीखा, "हर समस्या असल में एक नया मौका होती है।"

ग्रामीण भारत को शहरी केंद्रों से जोड़ने में कई चुनौतियां हो सकती हैं मगर स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कौशल विकास, बैंकिंग, बिजली, जल एवं कचरा प्रबंधन के क्षेत्रों तथा कृषि उत्पादन बढ़ाने, रोज़गारपरकता सुधारने तथा सुदूर क्षेत्रों तक उपलब्धता बढ़ाने में स्टार्टअप के पास अंतर दूर करने के कई मौके हैं। यदि हम इसी रफ्तार से काम करते रहे और साल–दर–साल इसी तरह बढ़ते रहे तो हमें स्टार्टअप के लिए दुनिया का सबसे अच्छा तंत्र बनने में देर नहीं लगेगी।

(लेखक जम्मू एंड कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवेलपमेंट इंस्टीट्यूट (जेकेईडीआई) के सेंटर फॉर इनोवेशन, इनक्यूबेशन एंड बिजनैस मॉडलिंग के इंचार्ज हैं।)

(लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।)

ई–मेल : irtif_lone@yahoo.co.in

उद्यमिता और स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय सहायता
सुदृढ़ और दक्ष ऋण वितरण पद्धति ज़रूरी

–सतीश सिंह

उद्यमिता और स्टार्टअप को विकास का वाहक माना जा सकता है, लेकिन इनका विकास बिना वित्तीय और संस्थागत सहायता के संभव नहीं है। इनके विकास के लिए सुदृढ़ और दक्ष ऋण वितरण पद्धति आवश्यक है। देश के व्यावसायिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसानों एवं सूक्ष्म, लघु, मझोले और बड़े कारोबारियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। सरकारी बैंकों द्वारा ज़रूरतमंद उद्यमियों या स्टार्टअप्स को किफायती ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। कई तरह के ऋणों में उन्हें सब्सिडी भी दी जाती है, ताकि उद्यमियों के समक्ष अपने उद्यम को आगे बढ़ाने में आर्थिक मुश्किलें सामने नहीं आए।

भारत में बेरोज़गारी आज भी एक बड़ी समस्या है। देश में काम करने योग्य जितनी जनसंख्या है, उस अनुपात में रोज़गार सृजित नहीं हो पा रहे हैं। इतना ही नहीं, काम करने योग्य जनसंख्या में दिन–प्रतिदिन इज़ाफा भी हो रहा है। भारत में अभी भी सबसे अधिक रोज़गार मुहैया कराने वाला क्षेत्र कृषि है, लेकिन इस क्षेत्र में एक लंबे समय से छद्म बेरोज़गारी की स्थिति बनी हुई है।

खेती–किसानी की बदहाली के कारण आज किसान का बेटा अपने पुश्तैनी व्यवसाय को अपनाने से परहेज कर रहा है। मौजूदा व्यवस्था में गांव में रोज़गार न मिल पाने के कारण युवाओं को शहर पलायन करना पड़ता है। कौशलहीन होने की वजह से बहुत ही कम लोगों को शहर में अच्छे रोज़गार मिल पाते हैं। अधिकांश युवा शहर जाकर मज़दूरी करते हैं। ग्रामीण युवक अमूमन खेती–किसानी को छोड़कर दूसरा काम करना नहीं जानते हैं। वैसे, सभी को रोज़गार मिलना मुमकिन भी नहीं है।

वर्तमान परिस्थिति में जीवनयापन के लिए स्वरोज़गार सबसे बेहतर विकल्प है। हालांकि स्वरोज़गार करना तभी फलदायी होता है; जब युवा किसी तकनीकी क्षेत्र की जानकारी रखते हो। इसके लिए खुद को कौशलयुक्त बनाना ज़रूरी होता है। सरकार युवाओं को कौशलयुक्त बनाने के लिए अनेक योजनाएं चला रही हैं। युवा ऐसी योजनाओं का हिस्सा बनकर खुद को कौशल से युक्त बना सकते हैं।

उद्यमिता है आत्मनिर्भर बनने का माध्यम

उद्यमिता के तहत हम लघु, मध्यम, मझोले और बड़े उद्यमों को रख सकते हैं और उद्यमी वैसे व्यक्ति को कहते हैं, जो जोखिम उठाता है और संसाधनों की व्यवस्था उद्यम को आगे बढ़ाने के लिए करता है। वहीं वह उद्यम, जिसके ज़रिए व्यक्ति के कौशल को विकसित करने एवं सेवा या विनिर्माण के माध्यम से आय

अर्जित करने की कोशिश की जाती है, को उद्यमिता कहते हैं। उद्यमिता विकास एक व्यापक कार्यक्रम है जो उद्यमियों के विकास पर बल देता है, ताकि उद्योग का विकास हो सके। यह उद्यमी को रोज़गार उपलब्ध कराने का एक सशक्त माध्यम है। यह खुद के मार्ग में आने वाली बाधाओं व समस्याओं का समाधान भी करता है। उद्यमिता को विकसित करके युवा खुद तो आत्मनिर्भर बन ही सकते हैं। साथ ही, अपने साथियों को भी रोज़गार मुहैया करा सकते हैं। हालांकि, यह तभी मुमकिन हो सकता है। जब युवा कौशल विकसित करने की तरफ ध्यान देंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों में युवा कृषि–आधारित उद्योगों से जुड़कर लाभान्वित हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर सब्जियों एवं फलों का परिरक्षण एक महत्वपूर्ण उद्यम है। ग्रामीण युवा इस क्षेत्र में कौशल को विकसित करके और अपने व्यावहारिक ज्ञान व अनुभव से स्वरोज़गार शुरू कर सकते हैं। मौजूदा समय में यह ज़रूरी हो गया है कि देश के युवाओं की क्षमता का सही से उपयोग किया जाए। अगर ऐसा किया जाता है तो उत्पादकता और आय दोनों में बढ़ोत्तरी हो सकती है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में से एक है। पीएमकेवीवाई कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की ओर से चलाई जा रही है। इस योजना का उद्देश्य देश के युवाओं को उद्योगों में काम करने के योग्य बनाना है, ताकि उन्हें रोज़गार पाने में मदद मिल सके। इस योजना को जुलाई 2015 में शुरू किया गया था, जिसके तहत 2020 तक 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण देने की योजना बनाई गई थी। इस योजना का उद्देश्य ऐसे लोगों को रोज़गार मुहैया कराना है, जो कम पढ़े–लिखे हैं या जिन्होंने बीच में ही स्कूल छोड़ दिया है। वर्तमान सरकार के सकारात्मक प्रयासों से ग्लोबल उद्यमिता सूचकांक 2017 में भारत 68वें स्थान पर पहुंच सका, 2018 में भी इसी स्थान पर बना रहा। जबकि 137 देशों की इस सूची में अमेरिका पहले स्थान पर था। वहीं, वर्ष 2016 में भारत ने 29 स्थान की छलांग लगाते हुए 68वां स्थान हासिल किया था। यह अमेरिका स्थित "द ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट" द्वारा संकलित किया जाने वाला और आर्थिक गतिविधियों को दर्शाने वाला एक सूचकांक है। इस सूचकांक में यह देखा जाता है कि दुनिया भर के देशों में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए संसाधनों का आवंटन और उसका उपयोग कैसे किया जा रहा है? भारत में "भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान" भी है, जिसकी स्थापना वर्ष 1983 में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। इस संस्थान को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक और भारतीय स्टेट बैंक वित्तपोषण करने का काम करते हैं।

> स्टार्टअप एक नई संकल्पना है। केंद्र सरकार को इससे बहुत सारी उम्मीदें हैं। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग स्टार्टअप्स की प्रगति की निगरानी कर रहा है। स्टार्टअप्स से उद्यमियों को अधिक से अधिक फायदा मिले, इसके लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। स्टार्टअप्स से संबंधित जानकारी मुहैया कराने के लिए एक स्वतंत्र पोर्टल बनाया गया है, जिसमें स्टार्टअप से जुड़ी तमाम जानकारियां मौजूद हैं।

स्टार्टअप्स से मिलेगा विकास को बल

सरकार के स्टार्टअप्स कार्यक्रम का मकसद देश में नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त वातावरण बनाना है, ताकि आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा दिया जा सके और देश में बड़े पैमाने पर रोज़गार के अवसर मुहैया कराये जा सकें। अमेरिका में सिलिकन वैली में आज लाखों स्टार्टअप कंपनियां कार्य कर रही हैं, जिसकी वजह से वहां बड़े पैमाने पर रोज़गार सृजित हो रहे हैं। भारत में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग संवर्धन और आंतरिक विभाग स्टार्टअप के विकास के लिए कार्य कर रहा है। इसके लिए एक स्टार्टअप पोर्टल भी विकसित किया गया है, जिसका मकसद देश में स्टार्टअप की एक मज़बूत पारिस्थितिकी विकसित करना है। स्टार्टअप्स को विकसित करने के लिए देश में कारोबारी सुगमता को भी बढ़ाने पर ज़ोर दिया जा रहा है। कारोबार को करने में आसानी होने पर स्टार्टअप्स का विकास होना तय है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 16 जनवरी, 2016 को भारत में "स्टार्टअप इंडिया" की शुरुआत की थी। कोई भी स्टार्टअप शुरू करने के लिए सबसे पहले एक सशक्त एवं व्यावहारिक योजना की ज़रूरत होती है। उसके बाद उसे सफल बनाने के लिए शुरू किए जाने वाले कारोबार के तमाम पहलुओं एवं संभावनाओं पर गहन अनुसंधान करने की ज़रूरत होती है। उद्यमी स्टार्टअप शुरू करने के लिए सरकारी योजनाओं का भी लाभ ले सकते हैं। ऐसी कुछेक योजनाओं में सब्सिडी देने के भी प्रावधान होते हैं।

"स्टैंडअप इंडिया" योजना की शुरुआत अप्रैल, 2016 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य उद्यमिता को बढ़ावा देना और विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र में कार्यरत उद्यमियों के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मार्ग प्रशस्त करना है। आमतौर पर स्टार्टअप के विफल होने का मुख्य कारण सस्ती दरों पर ऋण का नहीं मिलना होता है। "स्टैंडअप इंडिया" योजना उद्यम स्थापित करने के लिए अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति को और कम से कम एक महिला उद्यारकर्ता को प्रति बैंक शाखा ₹ 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करती है। यह उद्यम विनिर्माण, सेवाओं या व्यापारिक क्षेत्र में हो सकता है। गैर–वैयक्तिक उद्यमों के मामले में शेयर होल्डिंग और नियंत्रण हिस्सेदारी का कम से कम 51 प्रतिशत या तो अनुसूचित जाति या जनजाति के पास या फिर किसी महिला उद्यमी के पास होना चाहिए। "स्टैंडअप इंडिया" योजना के माध्यम से कई एजेंसियां विभिन्न प्रकार के हैंडहोल्डिंग सपोर्ट पर एक संभावित उधारकर्ता की जानकारी प्रदान करता है और ऋण प्राप्त करने के लिए बैंकों के साथ संपर्क करने के लिए एक मंच भी प्रदान करता है। इस तरह, इस योजना के माध्यम से विशेषकर अनुसूचित जाति/

अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने का भी प्रयास किया जाता है, ताकि वे अपने परिवार के सदस्यों की मदद कर सकें और आर्थिक विकास में भागीदार बन सकें।

स्टार्टअप एक नई संकल्पना है। केंद्र सरकार को इससे बहुत सारी उम्मीदें हैं। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग स्टार्टअप्स की प्रगति की निगरानी कर रहा है। स्टार्टअप्स से उद्यमियों को अधिक से अधिक फायदा मिले, इसके लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। स्टार्टअप्स से संबंधित जानकारी मुहैया कराने के लिए एक स्वतंत्र पोर्टल बनाया गया है, जिसमें स्टार्टअप से जुड़ी तमाम जानकारियां मौजूद हैं।

राज्य सरकार स्टार्टअप्स के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें और उनके द्वारा किए जा रहे कामों की पूछ–परख हो, इसके लिए सरकार ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप रैंकिंग की शुरुआत की है। वर्तमान में 22 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों की सक्रिय भागीदारी के साथ इस संकल्पना को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। 11 सितंबर, 2020 को राज्य स्टार्टअप रैंकिंग के दूसरे संस्करण की घोषणा की गई है। इसके तहत संस्थागत सहायता, विनियमों को सरल बनाना, सार्वजनिक खरीद को आसान बनाना, वेंचर फंडिंग सपोर्ट और जागरूकता फ़ैलाने का काम किया जाता है। कोरोना काल में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना ज़रूरी भी है। स्टार्टअप्स का विकास समग्र विकास के लिए कितना अहम् है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज राज्यों के पास अपनी स्टार्टअप नीतियां हैं और इसे बढ़ावा देने की योजनाएं एवं उपाय दोनों हैं।

भारत में विगत कुछ सालों से तेज़ी से स्टार्टअप्स शुरू हुए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में स्टार्टअप्स का योगदान बढ़ता जा रहा है। भारत में लाखों की संख्या में ऐसे स्टार्टअप्स हैं, जिनमें आगे बढ़ने की क्षमता है। भविष्य में कई स्टार्टअप्स बाज़ार के अगुआ बन सकते हैं। ज़्यादातर स्टार्टअप्स ऋण सुविधाओं की कमी के कारण बंद हो जाते हैं। ऋण मिलने पर स्टार्टअप्स नवाचार और दीर्घकालिक दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। स्टार्टअप के लिए वैसे उद्यमी ऋण ले सकते हैं, जो अपना खुद का कारोबार शुरू करने वाले हैं या अपने मौजूदा कारोबार को विस्तार देना चाहते हैं। स्टार्टअप ऋण कारोबार में नकदी का नियमित प्रवाह बनाए रखने में मदद करने के साथ–साथ कारोबार का विस्तार करने और विकास व नवाचार को बढ़ावा देने में सहायता करता है। वैसे, स्टार्टअप के लिए कोई ऋण योजना चिन्हित नहीं है। इसके लिए ऋण एमएसएमई के तहत ही दिए जा रहे हैं।

उद्यमिता और स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय सहायता

उद्यमिता और स्टार्टअप को विकास का वाहक माना जा सकता है, लेकिन इनका विकास बिना वित्तीय और संस्थागत सहायता के संभव नहीं है। इनके विकास के लिए सुदृढ और दक्ष ऋण वितरण पद्धति आवश्यक है। देश के व्यावसायिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसानों एवं सूक्ष्म, लघु, मझोले और बड़े कारोबारियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। सरकारी बैंकों द्वारा ज़रूरतमंद उद्यमियों या स्टार्टअप्स को किफायती ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। कई तरह के ऋणों में उन्हें सब्सिडी भी दी जाती है, ताकि उद्यमियों के समक्ष अपने उद्यम को आगे बढ़ाने में आर्थिक मुश्किलें सामने नहीं आए। फिर भी, संस्थागत सहायता के तहत आम जन एवं कारोबारियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है, क्योंकि यह कभी भी शोषणात्मक नहीं होता है। इसका उद्देश्य होता है ग्रामीणों एवं किसानों की आय में बढोत्तरी करना एवं ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले कारोबारियों की वित्तीय ज़रूरतों को कम ब्याज दरों पर पूरा करना। अमूमन, इसके तहत कृषकों एवं सूक्ष्म कारोबारियों को अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है। सहकारी बैंकों और ग्रामीण बैंकों के कार्यों के विनयमन और पर्यवेक्षण की ज़िम्मेदारी नाबार्ड की है। ज़रूरतमंद ग्रामीणों को कोई उद्यम शुरू करने में आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए नाबार्ड ने भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के सहयोग से सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थिति में सुधार लाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। संस्थागत विकास पहलों के रूप में नाबार्ड ग्रामीण ऋण सहकारी संस्थानों, राज्य सहकारी बैंक, मध्यवर्ती सहकारी बैंक, प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक आदि को सहायता उपलब्ध कराता है।

कृषि ऋण

कृषि एवं कृषि आधारित उद्योगों में कोई उद्यम या स्टार्टअप शुरू करने के लिए कृषि

ऋण के अलावा कृषि आधारित उद्योगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना ज़रूरी है, क्योंकि कृषि आधारित उद्योगों में फसलों का इस्तेमाल कच्चे माल के रूप में किया जाता है। फसलों का पर्याप्त उत्पादन होने से कच्चा माल कृषि आधारित उद्योगों, उद्यम या स्टार्टअप को सस्ती दर पर उपलब्ध हो सकता है। आज कृषि क्षेत्र में बहुतेरे उद्यमी एवं युवा स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। कई युवा इनसे लाखों–करोड़ों रुपये कमा भी रहे हैं और सैकड़ों लोगों को रोज़गार भी उपलब्ध करा रहे हैं।

कृषितर ऋण

आजीविका की वैकल्पिक सुविधा प्रदान कर कृषि पर ग्रामीण भारत की अत्यधिक निर्भरता को कम करने की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण कृषितर क्षेत्र का संवर्धन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसकी मदद से छोटे और सीमांत किसान तथा कृषि से संबंधित मज़दूरों का शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पलायन रोका जा सकता है। नाबार्ड द्वारा ऋण के अधिक प्रवाह, वंचितों के लिए ऋण के प्रावधान तथा छोटे, कुटीर और ग्रामीण उद्योगों, हथकरघा, हस्तशिल्प के लिए संयोजन हेतु प्रावधान तथा ग्रामीण अंचलों के विकेंद्रीकृत क्षेत्रों में अन्य ग्रामीण शिल्प तथा सेवा क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। ग्रामीण कृषि क्षेत्र के लिए बाज़ार के विकास के साथ ही ग्रामीण युवकों और महिलाओं के बीच उद्यमिता संस्कार और आवश्यक कौशल निर्माण नाबार्ड के लिए प्राथमिकता का क्षेत्र है। नाबार्ड एक अलग निधि के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में कृषि और कृषि से संबंधित अन्य क्षेत्रों के लिए नवोन्मेष के संवर्धन का कार्य सक्रिय रुप से कर रहा है। नाबार्ड ऐसे कार्यकलापों के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिससे ग्रामीण कृषितर क्षेत्र के अंतर्गत आजीविका का सृजन हो या फिर आजीविका में वृद्धि हो। ग्रामीण कृषितर क्षेत्र के अंतर्गत किसी परियोजना के सफल होने की संभावना, बुनियादी सुविधाएं, विपणन आदि के विकास पर ज़ोर दिया जाता है। इसके अलावा, नाबार्ड हितधारकों की उपलब्धता के आधार पर सहयोग के लिए एक अथवा सभी गतिविधियों को शामिल करके किसी भी परियोजना को सफल बनाने का प्रयास करता है और आवश्यकतानुसार सभी हितधारकों को अनुदान, ऋण एवं अन्य सहायता भी उपलब्ध कराता है।

मुद्रा ऋण

आज ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में उद्यमिता के विकास के लिए माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंसिंग एजेंसी (मुद्रा) ऋण दिए जा रहे हैं। आमतौर पर सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए आसानी से ऋण प्राप्त करना मुश्किल होता है, जिसके कारण उद्यमी साहूकार या महाजन से ज़्यादा ब्याज दर पर पैसा उधार लेते हैं और बाद में ब्याज और क़िश्त के अंतहीन दुश्चक्र में फंसकर आत्महत्या करने पर मज़बूर हो जाते हैं। मुद्रा योजना केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक है। इस योजना का आगाज़ अप्रैल, 2015 में किया गया था, जिसका उद्देश्य नया कारोबार शुरू करना या वर्तमान कारोबार को विस्तार देना है। मुद्रा ऋण को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। शिशु श्रेणी के तहत 50,000 रुपये तक का ऋण दिया जाता है, जबकि किशोर श्रेणी के तहत 50,000 रुपये से 5,00,000 रुपये तक ऋण दिया जाता है और तरुण श्रेणी के अंतर्गत 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक ऋण दिया जाता है। इस योजना के तहत बिना जमानत और संपार्श्विक प्रतिभूति के किफायती ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है।

सरकार के प्रयासों की वजह से मौजूदा समय में मुद्रा ऋण को रोज़गार सृजन का एक बहुत बड़ा स्रोत माना जा रहा है। इस योजना से लाभान्वित होकर कारोबारी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रहे हैं। इस योजना की सफलता को देखते हुए इसके सालाना बजट में हर साल बढ़ोत्तरी की जा रही है। सरकार का मानना है कि तालाबंदी के दौरान हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की मदद से की जा सकती है। इसीलिए सरकार ने कोरोनाकाल में मुद्रा योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह लाभ शिशु मुद्रा ऋण लेने वाले लगभग 3 करोड़ लाभार्थियों को कम ब्याज दर के रूप में दिया जाएगा।

तालिका–1 : एएससीबी द्वारा प्रमुख क्षेत्रों में बैंक ऋण का वितरण

(करोड़ रुपये में)

क्रम. सं.	क्षेत्र	अधिशेष राशि 30 मार्च, 2018	अधिशेष राशि 29 मार्च, 2019	अधिशेष राशि 27 मार्च, 2020
2	**उद्योग (सूक्ष्म और लघु, मध्यम और बड़े)**	2699268	2885778	2905151
2.1	सूक्ष्म और लघु	372999	375505	381825
2.2	मध्यम	103680	106395	105598
	एमएसएमई 2.1+2.2)	476679	481900	487423
2.3	बड़े	2222589	2403878	2417728
3	**प्राथमिकता क्षेत्र**	2553187	2739021	2897461
3.2	सूक्ष्म और लघु उद्यम	996365	1067175	1149394
3.2 (अ)	विनिर्माण	372999	375505	381826
3.2 (ब)	सेवाएं	623366	691670	767568

स्रोतः–भारतीय रिज़र्व बैंक

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (सांख्यिकी मंत्रालय) की वर्ष 2018 में जारी सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार देश में करीब 6 करोड़ लघु उद्योग हैं, जिनमें 12 करोड़ से अधिक लोग कार्यरत हैं। अधिकांश लघु उद्योग प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण की वजह से चल रहे हैं। सरकार ने इस योजना को सफल बनाने के लिए बड़ी कंपनियों जैसे, फ्लिपकार्ट, पतंजलि, मेरु कैब, मेक माई ट्रिप, ज़ोमेटो, ओला, अमेज़न और अमूल के साथ करार किया है। इस योजना की मदद से समाज के कमज़ोर वर्ग जैसे महिलाओं, दलितों और अल्पसंख्यक वर्ग को प्राथमिकता के आधार पर आर्थिक सहायता मुहैया कराई जा रही है। एक अनुमान के अनुसार इस योजना की मदद से देश में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियां सृजित हुई हैं। उम्मीद है कि कोरोना महामारी से उपजे संकट से निपटने में भी इस योजना की महत्ती भूमिका रहे।

तालिका–1 में देश के सभी अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों द्वारा क्षेत्रवार ऋण वितरण का ब्यौरा दिया गया है। तालिका में स्टार्टअप्स क्षेत्र का अलग से उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि इस सेगमेंट को सूक्ष्म, लघु, मध्यम और बड़े ऋण के तहत ही ऋण दिया जाता है। पिछले तीन सालों के क्षेत्रवार अधिशेष ऋण राशि से यह पता चलता है कि लगभग सभी क्षेत्रों में ऋण वितरण में तेज़ी आई है।

सूक्ष्म, लघु, मध्यम और बड़े क्षेत्र में 30 मार्च, 2018 को 26.99 लाख करोड़ रुपये ऋण की राशि अधिशेष थी, जो 29 मार्च, 2019 में बढ़कर 28.85 लाख करोड़ रुपये और 27 मार्च, 2020 को बढ़कर 29.05 लाख करोड़ रुपये हो गई। इसी तरह सूक्ष्म और लघु क्षेत्र में 30 मार्च, 2018 को 3.73 लाख करोड़ रुपये की ऋण राशि अधिशेष थी, जो 29 मार्च, 2020 को बढ़कर 3.75 लाख करोड़ रुपये और 27 मार्च, 2020 को बढ़कर 3.81 लाख करोड़ रुपये हो गई। मध्यम क्षेत्र में 30 मार्च, 2018 को 1.03 लाख करोड़ रुपये की ऋण राशि अधिशेष थी, जो 29 मार्च, 2019 को बढ़कर 1.06 लाख करोड़ रुपये हो गई, लेकिन 27 मार्च, 2020 में यह थोड़ी कम होकर 1.05 लाख करोड़ रुपये हो गई। एमएसएमई क्षेत्र में 30 मार्च, 2018 को ऋण की अधिशेष राशि 4.76 लाख करोड़ रुपये थी, जो 29 मार्च, 2019 को बढ़कर 4.81 लाख करोड़ रुपये और 27 मार्च, 2020 को बढ़कर 4.87 लाख करोड़ रुपये हो गई। बड़े ऋण के तहत 30 मार्च, 2018 को ऋण की अधिशेष राशि 22.22 लाख करोड़ रुपये थी, जो 29 मार्च, 2019 को बढ़कर 24.03 लाख करोड़ रुपये और 27 मार्च, 2020 को बढ़कर 24.17 लाख करोड़ रुपये हो गई।

प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु क्षेत्र, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में भी ऋण वितरण में मार्च 2018, मार्च 2019 और मार्च 2020 में वृद्धि हुई है, जो यह दर्शाता है कि बैंक की तरफ से उद्यमशीलता और स्टार्टअप्स के विकास के लिए ऋण दिए जा रहे हैं, लेकिन ऋण वितरण की मौजूदा गति को संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है। हालांकि, प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण वितरण में लगातार बढ़ोत्तरी होना इस बात का संकेत है कि कम आय वाले उद्यमियों को अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने का मौका मिल रहा है और यह विकास ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में हो रहा है, जिससे देश के समावेशी विकास की संभावना को बल मिलता है।

निष्कर्ष

कहा जा सकता है कि उद्यमिता और स्टार्टअप के विकास के ज़रिए ही भारत को 'आत्मनिर्भर' बनाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें वित्तीय और संस्थागत सहायता की ज़रूरत है, जिसे व्यावसायिक बैंक, सहकारी व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आदि मुहैया करा रहे हैं। हालांकि इसे पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है; ऋण के प्रवाह को और भी बढ़ाने की ज़रूरत है, तभी विकास की गति में तेज़ी आ सकती है। कोरोनाकाल में ऋण वितरण की गति में इज़ाफा लाना भी ज़रूरी है, तभी देश की अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर जल्द से जल्द वापिस लौट सकेगी।

(लेखक भारतीय स्टेट बैंक के कॉरपोरेट केंद्र, मुंबई के आर्थिक अनुसंधान विभाग में मुख्य प्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं। आर्थिक एवं बैंकिंग विषयों पर केंद्रित पत्रिका "आर्थिक दर्पण" के संपादक हैं और विगत 10 वर्षों से बैंकिंग और आर्थिक विषयों पर स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं।)

ई–मेल : satish5249@gmail.com

ग्रामीण उद्यमियों के विकास में सॉफ्ट स्किल की भूमिका

–शैलेंद्र शर्मा

संभावित युवा उद्यमियों के लिए सरकार को एक सक्षम वातावरण प्रदान करना होगा और उद्यम विकास को सहायता प्रदान करनी होगी। सरकार की सहायता में उद्यमियों को छोटे व्यवसायों को शुरू करने/विस्तारित करने के लिए आसान और छोटे ऋण देना, स्टार्टअप्स को तकनीकी और वित्तीय सहायता देना, स्टार्टअप और युवा उद्यमियों को सामाजिक सुरक्षा और अल्प/मध्यम कर राहत प्रदान करना शामिल हो सकता है।

भारत में विकास की अगली लहर ग्रामीण भारत में विकास पर निर्भर करेगी जिसके लिए नए सामान्य को अपनाने के लिए अनुकूल, एवं रचनात्मक और अभिनव बनने की आवश्यकता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित विभिन्न योजनाएं हैं जो समावेशी ढंग से ग्रामीण युवाओं के उत्थान को लक्षित करती हैं।

कोविड–19 महामारी से पूरी दुनिया प्रभावित हुई है। इसने विशेष रूप से ग्रामीण भारत में रोज़गार और आजीविका पर बेहद असर डाला है। हालांकि महामारी अभी भी खत्म नहीं हुई है, लेकिन इसके नतीजों का हम पर लंबे समय तक प्रभाव बना रहेगा। विशेष रूप से जब विभिन्न देश सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) 4 और 8 के बारे में गंभीर रुख अपना रहे थे तब इस महामारी ने विभिन्न योजनाओं और कार्यनीतियों को पटरी से उतार दिया।

बेरोज़गारी में वृद्धि, प्रभावित आपूर्ति श्रृंखलाओं की वजह से आवश्यक वस्तुओं की अनुपलब्धता, स्कूलों के लंबे समय तक बंद रहने के कारण शिक्षा/अध्ययन का संकट आदि कुछ उदाहरण हैं जो महामारी के उल्लेखनीय परिणामों में शुमार हैं।

एसडीजी–8 के लक्ष्य में 2030 तक सभी महिलाओं और पुरुषों, जिनमें युवा और निशक्तजन शामिल हैं, के लिए पूर्ण और उत्पादक रोज़गार और उचित कार्य प्राप्त करना और समान महत्त्व के काम के लिए समान वेतन शामिल है। इसी एसडीजी के तहत रोज़गार, शिक्षा या प्रशिक्षण में नहीं शामिल युवाओं के अनुपात को काफी कम करने का लक्ष्य है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आइएलओ) के अनुमान के अनुसार दुनिया भर में कुल 2 अरब अनौपचारिक अर्थव्यवस्था वाले श्रमिकों (श्रम बाज़ार में सबसे कमज़ोर वर्ग) में से लगभग 1.6 अरब (लगभग 80 प्रतिशत) की आजीविका अर्जित करने की क्षमता को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है और भारत ऐसे रुझानों के प्रति आंख मूंदे हुए नहीं है बल्कि भारत की चिंता यह है कि कुल कार्यबल का लगभग 93 प्रतिशत 'अनौपचारिक' (आर्थिक सर्वेक्षण 2018–19 के अनुसार) है। 'औपचारिक' या 'अनौपचारिक' क्षेत्र में कार्यबल का बंटा होना कोई मसला नहीं है जिसका कि अभी कोई समाधान खोजना है– अभी बेरोज़गारी दूर करना एक बड़ा मसला है।

अप्रैल 2020 के बाद से कोरोना महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण कई निजी कंपनियों ने नई भर्तियों को रोक दिया है और कर्मचारियों की संख्या कम कर दी है। यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि कार्यबल का कितना प्रतिशत लंबे समय तक काम के बिना रहेगा। आईएलओ की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, हॉस्पिटैलिटी,

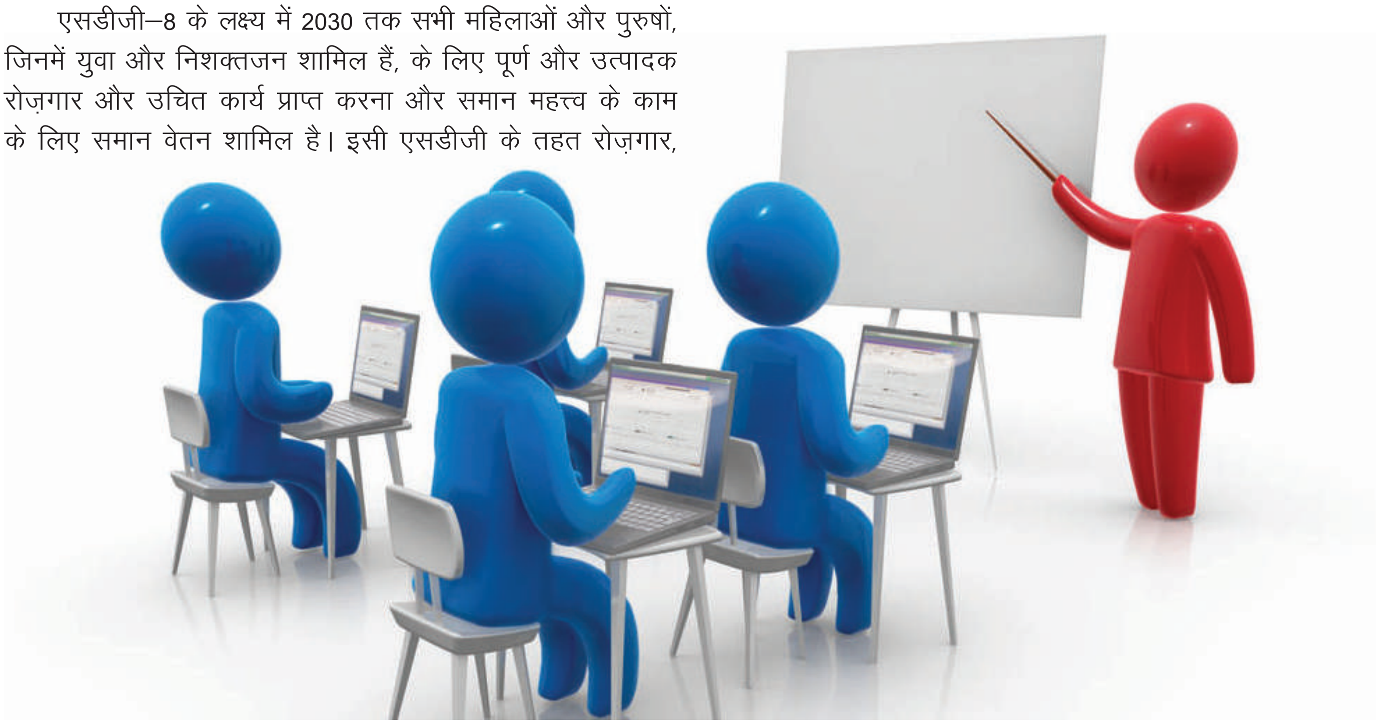

रियल एस्टेट, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग/एडवरटाइज़िंग, ब्यूटी एंड वेलनेस, टूरिज़्म आदि क्षेत्र आर्थिक उत्पादकता के मामले में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं और कई इकाइयां फिर कभी काम नहीं कर पाएंगी। ये क्षेत्र कार्यबल के बड़े भाग को रोज़गार मुहैया करवाते हैं – और अधिकांश लोगों के लिए ये नौकरियां कभी भी उसी तरह से वापस नहीं आ सकती हैं। इससे भी बदतर यह है कि इन क्षेत्रों के लिए घर से काम करना संभव नहीं है।

भारत में युवाओं का एक बड़ा भाग (15 से 24 साल आयु वर्ग) न तो कार्यरत है और न ही स्कूली शिक्षा हासिल कर रहा है। नौकरी के लक्ष्यों को ना हासिल कर पाने का एक बड़ा कारण "बेरोज़गारी" है। भारत की वर्तमान विकास क्षमता के साथ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि न केवल उद्योगों में बल्कि संगठित क्षेत्र में भी नौकरियां उपलब्ध होंगी। दोनों क्षेत्रों के लिए चुनौतियां अलग हैं। हालांकि दोनों क्षेत्रों में सफलता के लिए एक चीज समान है और वह है "गुणवत्ता वाली बुनियादी शिक्षा"।

भारत में अगली विकास लहर ग्रामीण भारत में विकास पर बहुत निर्भर होगी। अपने को लचीला साबित करने के लिए ग्रामीण भारत को नई सामान्य कार्यशैली अपनाने और रचनात्मक और प्रगतिशील बनने की दिशा में अग्रणी बनना होगा। जिन युवाओं ने नौकरी खो दी है वे उसी वेतन के साथ वैसी नौकरियां नहीं पा सकते हैं और इसलिए वे उद्यमिता का मार्ग अपना कर आत्मनिर्भर बन सकते हैं।

ग्रामीण युवाओं को आवश्यक सेवाओं के क्षेत्र में नई संभावनाओं की तलाश करनी चाहिए और नए व्यवसायों का सृजन करना चाहिए। यद्यपि आवश्यक सेवा क्षेत्र भी बाधित आपूर्ति श्रृंखलाओं और मूल्य श्रृंखलाओं से प्रभावित है लेकिन वे अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को फिर से सक्रिय करने में जुटे हैं और अपने लिए अवसरों की संभावनाएं भी उत्पन्न कर रहे हैं। ग्रामीण युवाओं को इन नई आपूर्ति श्रृंखलाओं और मूल्य श्रृंखलाओं को पहचान कर उनमे शामिल होना होगा।

यह देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के एक बड़े हिस्से को 21वीं शताब्दी का कौशल संबंधी ज्ञान न तो स्कूल में और न ही प्रशिक्षण केंद्रों में हासिल हुआ है जिससे उनमें रोज़गार हासिल करने की योग्यता और अति आवश्यक लचीलेपन की कमी होती है। हालांकि यह अवश्य है कि प्रौद्योगिकी कई "कम कौशल" वाली नौकरियों को समाप्त कर सकती है पर साथ ही, प्रौद्योगिकी नए अवसर भी पैदा कर रही है; नई और परिवर्तित नौकरियों के लिए मार्ग प्रशस्त कर रही है। कई देश औद्योगिक प्रशिक्षण देने के अलावा अब 21 वीं सदी के कौशल के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इसलिए इस विकसित होते आर्थिक अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए मानव संसाधन विकास में निवेश करना प्राथमिकता है। इस संबंध में, स्कूली शिक्षा के शुरुआती चरणों से मौजूदा पाठ्यक्रम को 21वीं सदी के कौशल के साथ संरेखित करना स्वाभाविक कार्यनीति होगी।

भारत की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को एक ऐसे कार्यबल की आवश्यकता है जो प्रगतिशील हो और उभरते क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप ढल सके और झटपट पुनः प्रशिक्षित किए जा सकें चाहे वह सफेदपोश नौकरियों के लिए हो या तकनीकी नौकरियों के लिए। इस कार्यबल को उपयुक्त नौकरी के अवसरों और बाज़ारों से जोड़ा जाने की भी आवश्यकता है– और उन्हें न केवल नौकरी ढूंढने वाला बनना चाहिए बल्कि उद्यमी बनकर नौकरी देने वाला भी बनना चाहिए। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि स्कूल और कॉलेज इन विशेषताओं के बारे में बच्चों और युवाओं को शिक्षित करें जो न केवल अच्छे वेतन वाली नौकरी बल्कि अच्छे जीवन–स्तर के लिए महत्वपूर्ण हैं। युवाओं को मज़दूरी से स्वरोज़गार की दिशा में अग्रसर करने के लिए आवश्यक होगाः

- युवाओं की आकांक्षाओं का भली–भांति आकलन करना और उद्यम संबंधी कौशल के विकास के लिए योग्य लोगों का चयन करना;
- उद्यमी कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से स्वरोज़गार हासिल करने के लिए बेरोज़गार कार्यबल को प्रोत्साहित करना जिससे सफल उद्यमी बनने की राह सुगम हो;
- शिक्षित और संभावित उद्यमियों के प्रवास को रोकने के लिए उन्हें उनके राज्यों में उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना ताकि उद्यम स्थापित होने पर स्थानीय लोगों को दिहाड़ी रोज़गार के अवसर मिल सकें;
- सेवा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके और कुशल श्रमशक्ति प्रदान करके राज्य में आर्थिक प्रगति के लिए तैयार होना;
- ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म को पंजीकृत करने और उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण;
- संभावित उद्यमी के लिए पश्चानुबंधन (बैकवर्ड लिंकेज) और अग्रानुबंधन (फॉरवर्ड लिंकेज) बनाना।

सफल उद्यमी/स्टार्टअप बनने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कौशल और विशेषताओं में शामिल हैंः अच्छा संचार कौशल, सहयोग, विवेचनात्मक सोच, आजीवन सीखने का दृष्टिकोण, कार्यशैली के अनुरूप ढलने की क्षमता, दक्षता, और समय प्रबंधन, स्वायत्तता, योजना, तर्क, रचनात्मकता, नेतृत्व, वित्त संबंधी साक्षरता, साझाकरण और टीमवर्क, तनाव प्रबंधन आदि। इनमें से संचार, बातचीत, दक्षता और अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण कौशल है।

अच्छा संचार कौशल उद्यमियों को रोचक ढंग से बात कहने की क्षमता, दर्शकों का ध्यान खींचने और उन्हें वांछित कार्रवाई के लिए प्रेरित करने में मदद करेगा। यह एक उच्च प्रतिस्पर्धी बाज़ार में किसी उत्पाद या सेवा को प्रस्तुत करने की एक प्रभावशाली और नई कार्यनीति है। सफल नेता और प्रबंधक अक्सर अच्छे कहानीकार होते हैं जो अपने संचार कौशल का उपयोग अपनी परिकल्पना को संप्रेषित करने और अपनी टीमों को प्रेरित करने के लिए करते हैं। इसी तरह मोल–तोल की बातें वर्चुअल प्लेटफार्म की स्थिति में जटिल हो सकती हैं जिसमें लोगों के समूह शामिल

होते हैं। युवा उद्यमियों को अपने नेटवर्क से मिलने वाले विभिन्न संकेतों को समझने और उसी के अनुसार प्रभावित करने की अपनी शैली पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आज के दौर में एक और बहुत महत्वपूर्ण सॉफ्ट स्किल है दक्षता। दक्षता में कार्रवाई की दिशा पर नियंत्रण बनाए रखते हुए तेज़ी से बदलने की क्षमता है। युवा उद्यमियों को विशेष रूप से कोविड–19 जैसी स्थितियों में फ़ोकस, उत्साह और व्यवसाय के उद्देश्यों से तालमेल बनाए रखते हुए स्वयं को और अपने व्यवसायों को आवश्यकतानुसार पुनः रचित करने में सक्षम होना चाहिए।

इन सॉफ्ट स्किल के साथ–साथ बढ़ते डिजिटलीकरण और पारंपरिक व्यवसाय के तरीकों के स्वचालन के साथ युवा उद्यमियों सहित सभी के लिए प्रौद्योगिकी और डाटा संबंधित कौशल महत्वपूर्ण हैं। डिजिटल कौशल बुनियादी से लेकर अधिक उन्नत तक हैं। उन्हें व्यवहार, विशेषज्ञता, जानकारी, काम के ढंग, स्वभाव विशेषताओं, प्रस्तावों और महत्वपूर्ण सूझबूझ के संयोजन के रूप में देखा जा सकता है। यह डिजिटल और सॉफ्ट स्किल के परस्पर संबंध को उजागर करता है। वर्तमान रुझान उद्यमियों से मात्र डिजिटल ज्ञान में साक्षरता नहीं बल्कि उसमें महारथ हासिल करने की अपेक्षा रखते हैं। इसके लिए न केवल यह समझना होगा कि डिजिटल साधनों का उपयोग कैसे किया जाए बल्कि उनके साथ कुछ नया सृजित किया जा सके। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन डिजिटल कौशल के तीन स्तरों को परिभाषित करता हैः बुनियादी जैसे ईमेल और नेविगेट करने वाले ऐप; मध्यवर्ती जैसे सरल कोडिंग और ग्राफिक डिज़ाइन; और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और बिग डाटा जैसे उन्नत–स्तर। युवा उद्यमियों की ज़रूरत को समझने का स्तर उनके कार्यक्षेत्र, बाज़ार और क्षेत्र पर निर्भर करेगा। हालांकि, उन्नत डिजिटल कौशल वाले युवा उद्यमी व्यवसाय संचालन को बेहतर बनाने, नए व्यवसाय मॉडल विकसित करने, व्यावसायिक जानकारी जुटाने और/या ग्राहकों और हितधारकों के साथ जुड़ने के लिए नई डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में हैं।

इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्कूल–स्तर पर ध्यान केंद्रित करना है। कई नियोक्ताओं का यह कहा जाना कि युवाओं का "रोज़गार हासिल करने के काबिल न होना" इस कारण से है चूंकि उच्च माध्यमिक विद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी उनका ज्ञान स्तर बहुत कम है और उनमें 21 वीं शताब्दी के कौशल का अभाव है। यह ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि शिक्षा पूरी करने वाले विद्यार्थियों में बढ़ती विविधता के साथ श्रमबल की संरचना तेज़ी से बदल रही है। यह विविधता सामाजिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थिओं की बढ़ती भागीदारी के चलते प्रमुख रूप से देखी गई है। स्कूली शिक्षा हासिल करने वालों की बदलती जनसांख्यिकीय संरचना नए जनसंख्या पिरामिड का निर्माण कर रही है जिसके आधार पर 'रोज़गार हासिल करने के काबिल न होने वालों' की बड़ी संख्या है और पिरामिड के शीर्ष पर बहुत सीमित संख्या में रोज़गार हासिल करने के काबिल लोग हैं। यद्यपि सरकार शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई कदम उठा रही है। कई रिपोर्टों ने समय–समय पर सीखने के स्तर में गिरावट की दिशा में संकेत दिया है। श्रमबल का हिस्सा बनने वाले युवाओं में यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे कौशल से लैस हों जिसकी श्रम बाज़ार में मांग है, सरकार गुणवत्ता में सुधार करने और माध्यमिक शिक्षा और उच्च माध्यमिक विद्यालयों को व्यावसायिक शिक्षा के साथ जोड़ने पर बल दे सकती है जिसमें एक विश्वसनीय प्रमाणन प्रणाली के माध्यम से सीखने के विभिन्न स्तर मौजूद हों।

ग्रामीण भारत के युवाओं के लिए श्रमबल का भाग बनने के लिए, विशेष रूप से उद्यमियों के तौर पर, सतत रूप से प्रशिक्षण और कुछ विशेष पाठ्यक्रम बेहद उपयोगी होंगे। वर्तमान शैक्षणिक तरीके या प्लेटफार्मों को इन मुद्दों के समाधान के लिए उसी प्रकार ढाला जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), एगटेक, पर्यावरण अध्ययन, स्वास्थ्य और स्वच्छता, और कई अन्य पहलुओं को चुनौतियों का सामना करने और रोकने के लिए अधिक कड़ा बनाया जाना चाहिए। हालांकि हमने कोविड–पूर्व स्थिति में इन पहलुओं को महत्व दिया पर वायरस के प्रसार ने इसे उत्प्रेरित किया और इसकी आवश्यकता पर अधिक बल दिया। पहले चर्चा की गई चुनौतियों का समाधान करने के लिए हमें पारंपरिक कार्यशैली को छोड़ना होगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), आग्मेंटेड रियलिटी (एआर), प्रोसेस एनहांसमेंट के लिए दूरस्थ शिक्षा और मौजूदा पाठ्यक्रमों को अनुकूलित करना होगा/नए पाठ्यक्रमों को जोड़ना होगा।

> ग्रामीण भारत के युवाओं के लिए श्रमबल का भाग बनने के लिए, विशेष रूप से उद्यमियों के तौर पर, सतत रूप से प्रशिक्षण और कुछ विशेष पाठ्यक्रम बेहद उपयोगी होंगे। वर्तमान शैक्षणिक तरीके या प्लेटफार्मों को इन मुद्दों के समाधान के लिए उसी प्रकार ढाला जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), एगटेक, पर्यावरण अध्ययन, स्वास्थ्य और स्वच्छता, और कई अन्य पहलुओं को चुनौतियों का सामना करने और रोकने के लिए अधिक कड़ा बनाया जाना चाहिए।

चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) एक केंद्रीय कार्मिक सिद्धांत है। नई संभावनाओं और क्षमताओं को सक्षम करने के लिए एआई को हर क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। हमारे दैनिक जीवन, व्यावसायिक कार्यों, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंज़न और समस्त समाज में एआई के अनुप्रयोग बहुत तेज़ गति से विस्तार कर रहे हैं। कई मौजूदा अंतरों के लिए मानव संसाधनों के प्रशिक्षण में बड़े निवेश की आवश्यकता होती है जिससे समाधान निकल सकें। चूंकि एआई आधारित ऑटोनोमस (सेंसरयुक्त स्वचालित) वाहनों से लेकर ऑटोमेटेड निदान तक नई संभावनाओं को प्रस्तुत करता है, इसलिए एआई सिखाना बहुत उपयोगी है। वर्तमान में एआई को कुछ देशों में मुख्य पाठ्यक्रम या विशेषज्ञता के रूप में माना जाता है। एआई सीखने के अधिक अवसर ग्रामीण क्षेत्रों में उपयुक्त शिक्षार्थियों के लिए दिए जाने हैं।

इससे हमारे जीवन को बहुत सुगम बनाने के लिए स्वास्थ्य, खाद्य, शिक्षा, व्यवसाय आदि के क्षेत्र में नवाचार होंगे।

बढ़ती जनसंख्या पौष्टिक भोजन की मांग को बढ़ाती है। पारंपरिक तरीकों और घटती कृषि योग्य भूमि से सभी लोगों के लिए भोजन और पोषक तत्वों का उत्पादन बहुत कठिन है। मौजूदा कृषि और खाद्य प्रौद्योगिकी से संबंधित पाठ्यक्रमों के साथ खाद्य आपूर्ति बढ़ाने के लिए खेती के प्रभावी नए तरीकों जैसे हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स, बहुपरत खेती को सिखाना लाभप्रद है।

कोरोनावायरस के प्रसार ने विश्व–स्तर पर स्वास्थ्य प्रणाली में मौजूद कमियों को उजागर किया। सीमित संख्या में कुशल मानव संसाधन, प्रभावित व्यक्तियों के इलाज के लिए बुनियादी ढांचे की कमी, शोध की कम गुंजाइश स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में विकास के अवसरों को दर्शाती है। इन जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए कुशल चिकित्साकर्मियों की संख्या बढ़ानी होगी, अनुसंधान और उपचार गतिविधियों के लिए बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना होगा।

शिक्षा प्रणाली में जिन महत्वपूर्ण पहलुओं को तुरंत संबोधित करने की आवश्यकता है, उनमें से एक पर्यावरण अध्ययन है। मानव क्रियाकलापों के कारण जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण प्रदूषण, वैश्विक तापमान में वृद्धि, जीव प्रजातियों का नुकसान आदि हुआ है। कोविड–19 के प्रसार के चलते दीर्घकालिक लॉकडाउन के परिणामस्वरूप पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाली मानव गतिविधियां थम/रुक गई। इससे पर्यावरण की गुणवत्ता में कई सकारात्मक बदलाव/सुधार हुए। सभी प्रकार के प्रदूषण घटकर उस स्तर पर आ गए हैं जो दशकों पहले था। पर्यावरण की गुणवत्ता को समान रूप से बनाए रखा जा सकता है, बशर्ते अक्षय संसाधनों, हरित ऊर्जा का उपयोग किया जाए और प्लास्टिक के उपयोग में कमी लाई जाए, आदि। शिक्षार्थियों के लिए विचारित पहलुओं को वर्तमान में अधिक प्रासंगिक, समाधान–संचालित और स्थायी प्रणालियों से तैयार किया जाना चाहिए।

कोविड–19 ने समाज के सामाजिक और आर्थिक ढांचों में सामान्य स्थिति को बाधित कर दिया, मुस्तैद और उत्तरदायी कौशल विकास की आवश्यकता अपरिहार्य से अधिक हो गई। जैसाकि पहले चर्चा की गई थी, कमज़ोर–तंत्र को मज़बूत करने की मांग से डाटा मैपिंग और प्रबंधन से संबंधित कौशल की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, आपूर्ति श्रृंखला और लॉजिस्टिक्स प्रबंधन के पाठ्यक्रम भी काफी हद तक कोविड–19 के दौरान आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों से संबंधित अनुभवों के अनुरूप महत्वपूर्ण हो जाएंगे। उपरोक्त खंडों में चर्चा किए गए पहलुओं के अलावा, ब्लॉकचैन, बिग डाटा, क्लाउड, डाटा एनालिटिक्स, वॉयस डिप्लॉयमेंट, सिक्स सिग्मा (क्वालिटी एवं ऑपरेशंस मैनेजमेंट के लिए) आदि जैसे कौशल और विशेषज्ञता मानव जीवन को बचाने और बदलने में फायदेमंद हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं जो समावेशी तरीके से ग्रामीण युवाओं के उत्थान को लक्षित करती हैं। यह योजनाएं सभी को सामान अवसर प्रदान करने को प्रोत्साहित करती हैं विशेष रूप से अधिक संवेदनशील वर्गों जैसे अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, आदिम जनजातीय समूह, एकल महिलाओं और महिला प्रधान परिवार, निशक्त जन, भूमिहीन प्रवासी श्रमिक और दूरस्थ, पहाड़ी और अशांत क्षेत्रों में रहने वाले समुदाय।

ग्रामीण युवाओं के उत्थान के लिए मौजूदा संस्थाओं को मज़बूत करने और एकीकृत करने की आवश्यकता होगी। स्वयंसहायता समूहों के सदस्यों को अपने उद्यमों के प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है, उन्हें बाज़ारों से जोड़ कर, उनकी मौजूदा आजीविकाओं का प्रबंधन करके, ऋण अवशोषण क्षमता और ऋण योग्यता को बढ़ा कर आदि। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) आजीविका समूहों को भी बढ़ावा देता है जो ग्रामीण युवाओं को अधिक उत्पादन और कम लागत वाली अर्थव्यवस्थाओं के माध्यम से, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज, सूचना, ऋण, प्रौद्योगिकी, बाज़ार आदि तक पहुंच से अपनी आजीविका बढ़ाने में मदद करता है। एनआरएलएम ग्रामीण युवाओं और गरीबों के लिए किफायती और प्रभावी विश्वसनीय वित्तीय सेवाओं के लिए सार्वभौमिक पहुंच की सुविधा भी प्रदान करता है। इनमें वित्तीय साक्षरता, बैंक खाता, बचत, ऋण, बीमा, प्रेषित धन, पेंशन और वित्तीय सेवाओं पर परामर्श शामिल हैं। एनआरएलएम की वित्तीय समावेशन और निवेश रणनीति का मूल है "गरीबों को बैंकिंग प्रणाली का मुख्य ग्राहक बनाना और बैंक ऋण जुटाना"। हालांकि मिशन सामुदायिक संस्थानों को केवल उत्प्रेरक पूंजी सहायता प्रदान करता है, लेकिन यह उम्मीद की जाती है कि बैंक ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए ऋण की संपूर्ण ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक धनराशि प्रदान करें। इसलिए मिशन को उम्मीद है कि स्वयंसहायता समूह बैंक ऋण की बड़ी राशि का लाभ उठाएंगे।

संभावित युवा उद्यमियों के लिए सरकार को एक सक्षम वातावरण प्रदान करना होगा और उद्यम विकास को सहायता प्रदान करनी होगी। सरकार की सहायता में उद्यमियों को छोटे व्यवसायों को शुरू करने/विस्तारित करने के लिए आसान और छोटे ऋण देना, स्टार्टअप्स को तकनीकी और वित्तीय सहायता देना, स्टार्टअप और युवा उद्यमियों को सामाजिक सुरक्षा और अल्प/मध्यम कर राहत प्रदान करना शामिल हो सकता है।

उपर्युक्त लक्ष्यों और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन भारत में सभी के लिए और विशेष रूप से ग्रामीण युवाओं के लिए बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच को प्रोत्साहित करेगा और विस्तार हेतु घरेलू वित्तीय संस्थानों की क्षमता को बहुत मज़बूती प्रदान करेगा।

(लेखक आईपीई ग्लोबल लिमिटेड में निदेशक, शिक्षा और कौशल विकास हैं।)
(लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।)
ई–मेल : s.sharma@ipeglobal.com

युवाओं में उद्यमिता और कौशल विकास

–बनश्री पुरकायस्थ

सरकार ने ग्रामीण श्रमशक्ति को कौशल संपन्न बनाने और उद्यमिता संबंधी उनकी गतिविधियों में सहायता के लिए सराहनीय प्रयास किए हैं। आज यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि कोविड–19 महामारी से ग्रामीण विकास की गाथा में व्यवधान न आने पाए। वक्त की ज़रूरत यही है कि ग्रामीण श्रमशक्ति को पर्याप्त रूप से कौशल–संपन्न बनाया जाए ताकि वे इस चुनौती का सामना कर सकें और देश की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान कर सकें।

भारत गांवों का देश है और यहां 70 प्रतिशत श्रमशक्ति देहाती इलाकों में रहती है। हमारी राष्ट्रीय आय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का योगदान 46 प्रतिशत के बराबर है। तीव्र शहरीकरण के बावजूद ऐसा अनुमान है कि 2050 तक भारत की आधे से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही होगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि की प्रमुखता की आम धारणा के विपरीत इस समय देश की दो तिहाई ग्रामीण आमदनी गैर–कृषि गतिविधियों से प्राप्त होती है। इस तरह समग्र आर्थिक प्रगति और देश के समावेशी विकास के लिए ग्रामीण श्रमशक्ति को गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण देना और रोज़गार के व्यावहारिक अवसरों में वृद्धि करना बहुत ज़रूरी है।

ग्रामीण युवाओं को कौशल संपन्न बनाने की नीतिगत पहल

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना

इन रुझानों के ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर दूरगामी असर को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ग्रामीण आजीविका में बढ़ोत्तरी के ऐसे कार्यक्रमों पर ज़ोर देती रही है जिनमें ग्रामीण नौजवानों के लिए कौशल में सुधार और रोज़गार के अवसरों की क्षमता हो। ग्रामीण विकास मंत्रालय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (मनरेगा), दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीडीयू–जीकेवाइ) के माध्यम से रोज़गार के अवसरों, स्वरोज़गार को बढ़ावा देकर और ग्रामीण युवाओं को कौशल संपन्न बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के कार्य में लगा है। डीडीयू–जीकेवाई मांग से प्रेरित और रोज़गार उपलब्ध कराने से जुड़ी कौशल विकसित करने की पहल है जिसके अंतर्गत गांवों के गरीब युवाओं को रोज़गार के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवसरों का फायदा उठाने का मौका मिलता है। इसकी सफलता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 10.51 लाख ग्रामीण नौजवानों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और 6.65 लाख को सफलतापूर्वक रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराए जा चुके हैं।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के माध्यम से अपने प्रमुख कार्यक्रम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवाई) को लागू

कर रहा है जिसका उद्देश्य 2020 तक एक करोड़ नौजवानों को विभिन्न कौशलों का प्रशिक्षण प्रदान करना है। एनएसडीसी ने क्षेत्रीय कौशल परिषदें गठित करने में भी मदद की है जो विभिन्न क्षेत्रों की कौशल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले उद्योगों द्वारा संचालित संगठन है। इस कार्यक्रम के तहत कृषि क्षेत्र की कौशल परिषदों के ज़रिए खेती समेत विभिन्न क्षेत्रों में श्रमशक्ति को कौशल–संपन्न बनाने को बढ़ावा दिया जाता है जिससे ग्रामीण युवाओं को ऐसे आवश्यक कौशल हासिल करने में मदद मिलती है जिनसे टिकाऊ रोज़गार के अवसर प्राप्त होते हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण के तीन तरीके हैं : स्कूल/कॉलेज की शिक्षा पूरी न कर पाए बच्चों और बेरोज़गार नौजवानों के लिए अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी), मौजूदा कौशलों की पहचान करने के लिए पहले से सीखे गए कौशल को मान्यता देना, दुर्बल वर्गों की कौशल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष परियोजनाएं और अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन में लचीलेपन की छूट देना शामिल है। यह कार्यक्रम कृषि क्षेत्र सहित 37 क्षेत्रों में देशभर में चलाया जा रहा है।

राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2016–17 के मूल्यांकन अध्ययन से संकेत मिलता है कि अल्पावधि प्रशिक्षण के तहत प्रशिक्षित और प्रमाणित लोगों के रोज़गार प्राप्त करने की संभावना 1.8 गुना बढ़ जाती है और कौशल–संपन्न युवाओं की औसत मासिक आय में भी बढ़ोतरी होती है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत देश भर में कुल 16.62 लाख उम्मीदवारों को 2016–20 के दौरान रोज़गार मिला। पिछले तीन वर्षों में मार्च 2020 तक 94.17 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित/अभिविन्यास्त किया गया। इनमें से 5 लाख से अधिक को कृषि क्षेत्र में प्रशिक्षण मिला। पिछले तीन वर्षों में एनएसडीसी ने मधुमक्खी पालन में 67 और पशुपालन में 60 से अधिक पाठ्यक्रम संचालित किए। इनके लिए लाभार्थियों का नामांकन अखिल भारतीय आधार पर किया जा रहा है और इसमें डेयरी उत्पादन, ऑर्गेनिक खेती करने, पुष्प उत्पादन, माली और दलहनों की खेती करने वालों के लिए प्रशिक्षण भी शामिल हैं। जहां औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में युवाओं को विनिर्माण क्षेत्र में रोज़गार प्राप्त करने के लिए प्रशिक्ष्ण दिया जाता है वहीं टेक्नोलॉजी संबंधी नई खोजों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स (स्मार्ट कृषि), मृदा परीक्षण और फसल टेक्नीशियन जैसे पाठ्यक्रम भी शुरू किए गए हैं। ग्रामीण नौजवान और युवा किसान इनमें बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। 2017 में देशभर में आई.टी.आई. में दाखिला लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों की संख्या 12.18 लाख थी जो 2019 में बढ़कर 14.24 लाख हो गई। इसके अलावा, भारत स्किल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है जिसमें 29 लोकप्रिय पाठ्यक्रम भी शामिल हैं। इस पोर्टल में 71 पाठ्यक्रमों के लिए ई–लर्निंग से संबंधित वीडियो सामग्री और आई.सी.आई. की क्राफ्ट्समैन प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के अंतर्गत आने वाले सभी 137 ट्रेड के प्रश्न बैंक भी उपलब्ध हैं। 9.39 लाख प्रशिक्षणार्थी इनका लाभ उठा रहे हैं।

ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा

स्टार्टअप ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम

स्वरोज़गार के ज़रिए आमदनी में बढ़ोत्तरी और ग्रामीण उद्यमिता सुनिश्चित करना सरकार की ग्रामीण विकास की परिकल्पना की आधारशिला है। इस संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई–एनआरएलएम) के अंतर्गत स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी) की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें स्वरोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने में मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया जाता है और वित्तीय सहायता के साथ–साथ व्यावसायिक प्रबंधन, सॉफ्ट स्किल्स के विकास और उद्यम को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय समुदाय का कॉडर बनाने पर ज़ोर दिया जाता है। 2016 में शुरू की गई इस योजना के तहत गांवों के गरीब लोगों को विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्रों में उद्यम स्थापित करते समय कारोबार के ठीक से जमने तक में मदद दी जाती है। अब तक एसवीईपी ने 23 राज्यों में व्यावसायिक सहायता सेवाएं उपलब्ध कराई हैं और पूंजी की मदद दी है। करीब 2,000 प्रशिक्षित सीआरपी–ईपी (कम्युनिटी रिसोर्स परसंस–एंटरप्राइज़ प्रमोशन यानी उद्यम को बढ़ावा देने वाले सामुदायिक रिसोर्स परसंस) ग्रामीण उद्यमियों को सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। जुलाई 2020 तक कुल 1,01,792 उद्यम स्थापित किए जा चुके थे जिनसे 2,10,709 लोगों

दीनदयाल उपाध्याय–ग्रामीण कौशल्य योजना में वर्षवार प्रगति (डीडीयू–जीकेवाई 736 पीआईए के साथ कार्य कर रही है जिसके पास देशभर में 1,738 प्रशिक्षण केंद्रों के साथ 1,602 परियोजनाए हैं।)

वित्त वर्ष	प्रशिक्षित	नियोजित
2014–15	43,038	21,446
2015–16	236471	109512
2016–17	162586	147883
2017–18	131527	75787
2018–19	241080	138248
2019–20	237213	149463
2020–21	--*.	22,897
कुल	**10,51,915**	**6,65,236**

*अगस्त के अंत तक कोविड लॉकडाउन की वजह से कोई प्रशिक्षण नहीं

स्रोत : http://loksabhaph.nic.in/Questions/QResult15.aspx?qref=17835&lsno=17

को रोज़गार के अवसर प्राप्त हुए हैं। इनमें से 1,00,708 उद्यम व्यक्तिगत हैं जबकि 1,084 सामूहिक हैं।

स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी) की मध्यकालिक समीक्षा क्वालिटी कौंसिल ऑफ इंडिया ने सितंबर 2019 में की जिससे पता चलता है कि जिन उद्यमों को नमूनों के रूप में तमाम ब्लॉकों के सर्वेक्षण में शामिल किया गया उनमें से 82 प्रतिशत अ.जा./अ.ज.जा. और अ.पि.जा. श्रेणी के उद्यमियों के थे। इससे सामाजिक समावेशन का पता चलता है जो एनआरएलएम का एक मुख्य स्तंभ है। 75 प्रतिशत उद्यमों की मालिक और प्रबंधक महिलाएं थीं और इनसे होने वाली औसत मासिक आय विनिर्माण संबंधी गतिविधियों के लिए 39,000 रुपये से 47,800 रुपये, 41,700 रुपये सेवाओं के लिए और व्यापार संबंधी गतिविधियों के लिए 36,000 रुपये थी। अध्ययन से यह भी पता चलता है कि उद्यमियों की कुल पारिवारिक आय का करीब 57 प्रतिशत स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी) उद्यमों से प्राप्त हुआ।

प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम

प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का क्रियान्वयन खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना से गैर–कृषि क्षेत्र में स्वरोज़गार के अवसर उपलब्ध कराना है। ग्रामीण नौजवानों को अपने पांवों पर खड़ा करने की दृष्टि से यह काफी कामयाब साबित हुआ है। यह भारत सरकार का ऋण से जुड़ी सब्सिडी देने वाला कार्यक्रम है और 18 साल से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति इसका फायदा उठा सकता है। इसके अंतर्गत महिलाओं/अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियो/अन्य पिछड़े वर्गों/अल्पसंख्यकों, भूतपूर्व सैनिकों, दिव्यांगजनों, उत्तर–पूर्वी क्षेत्र तथा सीमावर्ती इलाकों जैसे विशेष श्रेणियों के लाभार्थियों को ग्रामीण क्षेत्र में उद्यम लगाने पर 35 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी दी जाती है।

इस कार्यक्रम के लिए आवेदन करने वालों की संख्या में बढ़ोतरी से पिछले तीन सालों में परियोजनाओं की संख्या और के.वी.आई.सी. द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी में तेज़ वृद्धि हुई है। इस वित्त वर्ष के पहले पांच महीनों, यानी 1 अप्रैल, 2020 से 18 अगस्त, 2020 के दौरान इसमें 44 प्रतिशत की शानदार बढोतरी हुई है और स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या भी 1.03 लाख हो गई है। अप्रैल–अगस्त 2020 की अवधि में वित्तपोषण करने वाले बैंकों ने 11,191 परियोजनाओं को स्वीकृति दी और आवेदकों को 345.43 करोड़ रुपये मार्जिन मनी के रूप में संवितरित किए गए जबकि इससे पहले के साल, यानी 2019 में इसी अवधि के दौरान 9161 परियोजनाओं के लिए 376.09 करोड़ रुपये संवितरित किए गए थे। इस तरह बैंकों द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या में 22 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है जबकि के.वी.आई.सी. द्वारा संवितरित मार्जिन मनी इससे पहले साल की तुलना में 24 प्रतिशत बढ़ गई है। इस साल पीएमईजीपी परियोजनाओं पर अधिक तेज़ी से अमल होने का विशेष महत्व है क्योंकि इन पांच महीनों में ज़्यादातर समय सारा देश कोविड महामारी की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के कारण बंद पड़ा था। पीएमईजीपी के अंतर्गत परियोजनाओं की संख्या 2016–17 में 52,912 से बढ़कर 2018–19 में 73,427 हो गई। इनसे रोज़गार प्राप्त करने वाले लोगों की कुल संख्या 2016–17 में 4,07,840 से बढ़कर 2018–19 में 5,87,416 हो गई। कुल मिलाकर 2019–20 में पीएमईजीपी के अंतर्गत 54361 लोगों को सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने में मदद दी गई।

इस बीच, रोज़गारयुक्त गांव (आर.वाइ.जी.) खादी विकास योजना का एक नया घटक है जिसकी शुरुआत में 50 ग्रामों में प्रत्यक्ष रोज़गार के 12,500 नए अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। ये ऐसे गांव हैं जहां अवसरों की कमी है और टिकाऊ आजीविका समर्थन प्रणाली का भी अभाव है। इससे व्यापक संदर्भ में रोज़गार के करीब 18,265 अवसर उपलब्ध होंगे जिनमें से 12,500 प्रत्यक्ष और 5,765 अप्रत्यक्ष अवसरों के रूप में होंगे।

ग्रामीण स्वरोज़गार और प्रशिक्षण संस्थान

ऋण से जुड़ी सब्सिडी, आसान शर्तों पर ऋण और कार्यशील पूंजी तक पहुंच छोटे शहरों और कस्बों में स्थित सूक्ष्म उद्यमों की सफलता का आधार हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ग्रामीण स्वरोज़गार और प्रशिक्षण संस्थान (आर.सेती) कौशल विकास के लिए बैंकों की अगुवाई में की गई पहल है जिससे प्रशिक्षणार्थियों को बैंकों से ऋण प्राप्त करने और अपना छोटा–मोटा उद्यम शुरू करने में मदद मिलती है। ग्रामीण स्वरोज़गार और प्रशिक्षण संस्थान कार्यक्रम फिलहाल 23 प्रमुख बैंकों द्वारा (जिनमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ कुछ ग्रामीण बैंक भी शामिल हैं) 585 आरसेती के ज़रिए 33 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 566 ज़िलों में लागू किया जा रहा है। इस समय आरसेती में 61 पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं जो राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अनुसार हैं। इन 61 पाठ्यक्रमों में से 38 महिला उम्मीदवारों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त हैं। इनका प्रशिक्षण लेकर वे स्वरोज़गार शुरू कर सकती हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार आरसेती कार्यक्रम के अंतर्गत 23 लाख लोगों को स्वरोज़गार का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वित्त वर्ष 2019–20 में आरसेती कार्यक्रम को लागू करने के लिए 100.02 करोड़ रुपये की धनराशि आबंटित की गई है।

प्रधानमंत्री वन–धन योजना

स्वयंसहायता समूहों (एस.एच.जी.) ने ग्रामीण नौजवानों, खासतौर पर जनजातीय युवकों और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में बड़ी मदद की है। जनजातीय विकास मंत्रालय के ट्राईफेड द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री वन–धन योजना के अंतर्गत स्थापित 'वनधन स्टार्टअप्स' जनजातीय संग्रहकर्ताओं और वनवासियों के साथ–साथ कोरोना काल में शहरों से घर लौटे श्रमिकों और दस्तकारों के लिए भी

रोज़गार के अच्छे स्रोत साबित हुए हैं। जनजातीय स्वयंसहायता समूहों के कलस्टर गठित करने और उन्हें जनजातीय उत्पादक कंपनियों के रूप में सुदृढ़ करने के लिए बाज़ार से जुड़े उद्यमिता विकास कार्यक्रम ने जनजातीय श्रमिकों और हस्तशिल्पियों को उनके हस्तनिर्मित उत्पादों के लिए बाज़ार खोजने में मदद दी है। 2019 में शुरू किए गए इस कार्यक्रम की सफलता की गाथा बड़ी शानदार रही है। 22 राज्यों में खोले गए 1205 जनजातीय उद्यमों और 18,000 स्वयंसहायता समूहों में 3.6 लाख जनजातीय संग्रहकर्ताओं को रोज़गार के अवसर मिले हैं। कोविडकाल में 'गो वोकल फॉर लोकल' के नारे के साथ 'गो वोकल–फॉर लोकल, गो ट्राइबल–मेरा वन मेरा धन, मेरा उद्यम' भी जोड़ दिया गया है। स्टार्टअप्स योजना का उद्देश्य मंत्रालय की कोविड–19 राहत योजना का दायरा बढ़ाकर इसके अंतर्गत 10 लाख जनजातीय संग्राहकों और 50,000 जनजातीय स्वयंसहायता समूहों को शामिल करने का है। दो हज़ार से अधिक उत्पादों जैसे वनों में मिलने वाला शहद, झाड़ू, दोना पत्तल, समिधा की लकड़ी, कॉफी, तेज़पत्ता, बेल का गूदा जैसी अनेक वस्तुओं की पहचान की गई है जिनकी शहरी भारत के बाज़ारों में बड़ी मांग है।

नई पहल

रोज़गार और कौशल प्रशिक्षण की चुनौतियां अलग–अलग क्षेत्रों और समय में अलग–अलग होती हैं। कुछ इलाकों में तो कोविड–19 के प्रकोप का कौशल कार्यक्रमों के साथ–साथ रोज़गार के अवसरों पर भी असर पड़ा है। इस तरह के अवरोधों का समाधान खोजा जाना चाहिए। जो बात बिहार में गया या उत्तर प्रदेश में मथुरा के अर्ध–ग्रामीण इलाकों के नौजवानों पर लागू होती है वह मणिपुर या लद्दाख के युवाओं पर लागू नहीं की जा सकती। इसलिए विविधतापूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नीतियों और कार्यक्रमों का पुनर्गठन करना आवश्यक हो जाता है। परीक्षण के तौर पर चलाई जाने वाली पायलट परियोजनाएं और भारत स्किल्स पोर्टल द्वारा कौशलों के ऑनलाइन प्रशिक्षण से काफी मदद मिल सकती है।

उदाहरण के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय फिलहाल छह धार्मिक नगरियों पुरी, वाराणसी, हरिद्वार, कोल्लूर, पंढरपुर और बोधगया में सूक्ष्म तथा लघु उपक्रमों में उद्यमिता संवर्धन और परामर्श के लिए एक परियोजना पर अमल कर रहा है। इसका उद्देश्य प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों, शिक्षित बेरोज़गारों, स्कूल/कॉलेज की शिक्षा पूरी न कर पाए लोगों, महिलाओं और पिछड़े समुदायों के युवाओं की उद्यमिता क्षमता का उपयोग करना है। मंत्रालय प्रधानमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान (पी.एम.वाइ.यू.वी.ए.) पर भी अमल कर रहा है जिसका उद्देश्य उद्यमिता शिक्षा, प्रशिक्षण, समर्थन और उद्यमिता नेटवर्क तक आसान पहुंच तथा आई.टी.आई., प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, जन शिक्षण संस्थान आदि से पढ़कर निकलने वाले विद्यार्थियों/प्रशिक्षणार्थियों और पूर्व विद्यार्थियों के

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 (अल्पावधि प्रशिक्षण और पहले से सीखे हुए को मान्यता) के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में प्रशिक्षित उम्मीदवारों की राज्यवार और वर्षवार संख्या

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश	2017-18	2018-19	2019-20
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	0	74	1,274
आंध्र प्रदेश	58,368	64,421	98,740
अरुणाचल प्रदेश	1,022	4,598	15,951
असम	37,873	50,549	1,94,434
बिहार	92,087	88,099	1,76,394
चंडीगढ़	1,925	5,463	12,227
छत्तीसगढ़	23,095	42,905	40,571
दादरा और नगर हवेली	186	1,746	1,108
दमन और दीव	240	1,630	4,857
दिल्ली	88,646	84,379	3,88,239
गोवा	846	1,764	4,119a
गुजरात	32,897	86,534	1,47,019
हरियाणा	1,87,246	1,18,814	1,89,170
हिमाचल प्रदेश	16,939	32,409	43,097
जम्मू–कश्मीर	44,873	36,588	1,20,495
झारखंड	31,352	37,317	71,983
कर्नाटक	72,393	1,13,611	1,71,035
केरल	65,594	41,339	71,654
लक्षद्वीप	0	0	60
मध्यप्रदेश	1,89,634	1,56,669	2,03,996
महाराष्ट्र	97,621	1,69,533	6,78,328
मणिपुर	4,894	4,430	29,685
मेघालय	4,058	7,543	12,307
मिज़ोरम	0	2,855	11,326
नगालैंड	1,745	1,510	16,599
ओड़िशा	66,260	93,258	2,15,566
पुडुचेरी	3,451	6,328	7,324
पंजाब	1,03,130	65,260	1,07,677
राजस्थान	2,14,911	1,42,535	4,60,214
सिक्किम	525	1,968	5,017
तमिलनाडु	1,33,589	1,27,850	1,73,156
तेलंगाना	91,424	58,627	1,02,063
त्रिपुरा	13,334	7,741	47,606
उत्तर प्रदेश	3,56,769	3,10,144	5,67,274
उत्तराखंड	27,769	47,241	63,148
पश्चिम बंगाल	91,142	81,565	1,84,356
कुल	21,55,838	20,97,297	46,38,069

https://pqars.nic.in/annex/252/AU799.pdf (संलग्नक–1)

कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम पहले ही तैयार कर लिया गया है। इसे गरीब कल्याण रोज़गार अभियान नाम दिया गया है। इसके अंतर्गत 3 लाख उम्मीदवारों के प्रशिक्षण का (1.5 लाख लोगों को अल्पावधि प्रशिक्षण और पहले से सीखे हुए को मान्यता देने के लिए) लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड के 116 ज़िले इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं।

एक अन्य महत्वपूर्ण पहल कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा आत्मनिर्भर कुशल नियोक्ता–कर्मचारी मानचित्रण (असीम) नाम के पोर्टल के शुभारंभ से की गई है जिससे कौशल संपन्न लोगों को आजीविका के टिकाऊ अवसर खोजने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा संचालित इस पहल से कोविड–19 से उबरने के भारत के प्रयासों को तेज़ करने में मदद मिलेगी।

अनुकूल माहौल तैयार करना है। परीक्षण के तौर पर चलाई जा रही इस परियोजना से प्राप्त अनुभवों से सरकार को अपने कार्यक्रमों को और बेहतर बनाने और नवोदित ग्रामीण उद्यमियों की उभरती आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी।

ग्रामीण उद्यमियों के लिए बाज़ारों तक उनकी पहुंच होना बहुत ज़रूरी है और कोविड महामारी के इस दौर में, जब ऑनलाइन होना एकमात्र रास्ता है, यह और भी आवश्यक हो जाता है। इस संदर्भ में हाल में सरकारी ई–मार्केट प्लेस (जीईएम) पोर्टल पर 'सरस कलेक्शन' को जारी किया जाना बड़ा मददगार साबित होगा। जीईएम (जेम) और दीनदयाल अंत्योदय योजनाः राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की इस अनोखी पहल में सरस कलेक्शन के अंतर्गत स्वयंसहायता समूहों द्वार निर्मित रोज़मर्रा की ज़रूरत के उत्पाद प्रदर्शित किए गए और केंद्रीय तथा राज्य सरकारों जैसे सरकारी खरीदारों तक पहुंच की भी सुविधा है। इस पहल के तहत स्वयंसहायता समूहों को शामिल किए जाने की शुरुआत बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, केरल, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में हो चुकी है।

कोविड–19 के प्रकोप के कारण लोगों का शहरों से दूरदराज अपने घरों को वापस लौटने का जो सिलसिला शुरू हुआ है उसने सरकार को मुसीबत में फंसी इस श्रमशक्ति को नए सिरे से कौशल–संपन्न बनाने पर विवश कर दिया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय और कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय ने कोविड की वजह से नौकरी गंवाने वाले इस तरह के लोगों के जो आंकड़े जुटाए हैं, उनके आधार पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 (2016–20) के तहत छह राज्यों के 116 ज़िलों के लिए एक

इसमें विभिन्न क्षेत्रों और स्थानीय उद्योगों की मांग के अनुसार कौशल–संपन्न श्रमशक्ति का सर्वेक्षण किया जाएगा और उन्हें कोविड परवर्तीकाल में उनके कौशल के आधार पर आजीविका के उपयुक्त अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। कोविड काल में अपनी रोज़ी–रोटी गंवाने वालों में से बहुत से छोटे कस्बों और शहरों से थे, इसलिए असीम पोर्टल से अपेक्षा की जाती है कि यह ऐसे लोगों को उनके घरों के आसपास ही नए रोज़गार और नौकरियां उपलब्ध कराने में मदद करेगा। मंत्रालय की कौशल–संपन्न बनाने की व्यवस्था के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रशिक्षित 1,75,000 लोगों के डाटाबेस में जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आपात चिकित्सा तकनीशियन, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, घर पर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने वाले कर्मी आदि शामिल हैं, उन्हें राज्यों को उपलब्ध कराया गया है ताकि वे महामारी के दौरान उनकी सेवाओं का उपयोग कर सकें।

आगे का रास्ता

आज कोविड–19 भारत की अर्थव्यवस्था और श्रमशक्ति के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इस महामारी से देश में कौशल विकास और ग्रामीण उद्यमिता के विभिन्न कार्यक्रमों में कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए। वक्त का तकाज़ा यही है कि ग्रामीण भारत की विशाल श्रमशक्ति को पर्याप्त कौशल प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे इस चुनौती से निपट सकें और अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान कर सकें। तभी भारत अपने प्रतिभा के भंडार का विस्तार कर सकेगा और ग्रामीण नौजवानों की क्षमता का भरपूर उपयोग कर सकेगा।

(लेखिका वरिष्ठ पत्रकार हैं।)
ई–मेल : banasree03@gmail.com

स्वामित्व योजना :आत्मनिर्भर भारत की ओर एक बड़ा कदम

ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री ने 11 अक्टूबर, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को शुभकामनाएं दी जिन्होंने अपने घरों के संपत्ति कार्ड प्राप्त किए और कहा कि अब लाभार्थियों के पास अपने घरों के मालिक होने का एक कानूनी दस्तावेज होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह योजना देश के गांवों में ऐतिहासिक बदलाव लाने जा रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र,उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के एक लाख लाभार्थियों को उनके घरों के कागजात सौंप दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने अगले तीन–चार वर्षों में देश के प्रत्येक गांव में हर परिवार को ऐसे संपत्ति कार्ड देने का वायदा किया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के विकास में भूमि और घर का स्वामित्व एक बड़ी भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि जब संपत्ति का रिकॉर्ड होता है तो नागरिक आत्मविश्वास हासिल करते हैं और निवेश के नए रास्ते खुलते हैं। संपत्ति, रोज़गार और स्वरोज़गार के रिकॉर्ड पर बैंक से ऋण आसानी से उपलब्ध होता है लेकिन मुश्किल यह है कि आज दुनिया में केवल एक तिहाई जनसंख्या के पास कानूनी रूप से अपनी संपत्ति का रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि संपत्ति रिकॉर्ड ग्रामीणों के लिए किसी भी विवाद के बिना संपत्ति खरीदने और बेचने का रास्ता साफ करेगा। उन्होंने कहा कि आज हमारे गांव में बहुत सारे युवा है जो अपने दम पर कुछ करना चाहते हैं। संपत्ति कार्ड प्राप्त करने के बाद उनके घरों पर बैंकों से ऋण की आसान पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि मैपिंग और सर्वेक्षण में ड्रोन का उपयोग करने जैसी नई तकनीक से हर गांव के लिए सटीक भूमि रिकॉर्ड बनाए जा सकते हैं। सटीक भूमि रिकॉर्ड के बल पर गांव में विकास संबंधी कार्य भी आसान हो जाएंगे जो इन संपत्ति कार्डों का एक और लाभ होगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामित्व योजना पंचायती राज प्रणाली को मजबूत करने में मदद करेगी जिसके लिए पिछले 6 वर्षों से प्रयास चल रहे हैं। उन्होंने पिछले 6 वर्षों में ग्राम पंचायतों को मज़बूत करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा की और कहा कि स्वामित्व योजना नगर पालिकाओं और नगर निगमों की तरह व्यवस्थित तरीके से हमारी ग्राम पंचायतों के लिए ग्राम प्रबंधन को आसान बनाएगी।

स्वामित्व योजना की घोषणा प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल, 2020 को की थी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है। ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक का उपयोग कर ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों का सीमांकन किया जाएगा। इससे ग्रामीण लोगों को, जो अपने घरों के मालिक हैं, अधिकारों का रिकॉर्ड (रिकॉर्ड ऑफ राइट्स) प्रदान किया जाएगा जो उन्हें बैंक से ऋण लेने और अन्य वित्तीय लाभों के लिए वित्तीय संपत्ति के रूप में अपनी संपत्ति का उपयोग करने में सक्षम बनाएगा।

इस योजना को 4 वर्ष में चरणबद्ध रूप से लागू किया जाएगा। इसे 2020 से 2024 के बीच पूरा किया जाना है और देश के 6.62 लाख गांवों में लागू किया जाएगा।

हमारी पत्रिकाएं

योजना
विकास को समर्पित मासिक
(हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू व 10 अन्य भारतीय भाषाओं में)

प्रकाशन विभाग
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

कुरुक्षेत्र
ग्रामीण विकास पर मासिक
(हिंदी और अंग्रेजी)

आजकल
साहित्य एवं संस्कृति का मासिक
(हिंदी तथा उर्दू)

रोज़गार समाचार
साप्ताहिक
(हिंदी, अंग्रेजी तथा उर्दू)

बाल भारती
बच्चों की मासिक पत्रिका
(हिंदी)

घर पर हमारी पत्रिकाएं मंगाना है काफी आसान...

आपको सिर्फ नीचे दिए गए 'भारत कोश' के लिंक पर जा कर पत्रिका के लिए ऑनलाइन डिजिटल भुगतान करना है-
https://bharatkosh.gov.in/Product/Product

आप 'अपर महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय' के पक्ष में नई दिल्ली में देय डिमांड ड्राफ्ट, भारतीय पोस्टल आर्डर या मनीआर्डर से सदस्यता दरों एवं प्लान के अनुसार निर्धारित राशि भेज सकते हैं।

भेजने का पता है- संपादक, पत्रिका एकांश, प्रकाशन विभाग, कक्ष सं. 56, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

अपने डीडी, पोस्टल आर्डर या मनीआर्डर के साथ नीचे दिया गया 'सदस्यता कूपन' या उसकी फोटो कॉपी में सभी विवरण भरकर हमें भेजें।

अधिक जानकारी के लिए ईमेल करें- **pdjucir@gmail.com**

हमसे संपर्क करें - फोन: 011-24367453, (सोमवार से शुक्रवार सभी कार्य दिवस पर प्रात: साढ़े नौ बजे से शाम छह बजे तक)

सदस्यता दरें

प्लान	योजना, कुरुक्षेत्र, आजकल (सभी भाषा)		बाल भारती		रोज़गार समाचार*	
वर्ष	साधारण डाक	रजिस्टर्ड डाक	साधारण डाक	रजिस्टर्ड डाक	छपी हुई प्रति	ई-संस्करण
1	₹ 230	₹ 434	₹ 160	₹ 364	₹ 530	₹ 400
2	₹ 430	₹ 838	₹ 300	₹ 708	₹ 1000	₹ 750
3	₹ 610	₹ 1222	₹ 420	₹ 1032	₹ 1400	₹ 1050

* रोज़गार समाचार की 6 माह की सदस्यता भी उपलब्ध, प्रिंट संस्करण रु. 265, ई-संस्करण रु. 200/-, कृपया ऑनलाइन भुगतान के लिए https://eneversion.nic.in/membership/login लिंक पर जाएं। डीडी 'Employment News' के पक्ष में, रोज़गार समाचार, 7वां तल, सर्कुलेशन सेक्शन, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 के पते पर भेजें।

कृपया नोट करें कि पत्रिका भेजने में, सदस्यता शुल्क प्राप्त होने के बाद कम से कम आठ सप्ताह लगते हैं, कृपया इतने समय प्रतीक्षा करें और पत्रिका न मिलने की शिकायत इस अवधि के बाद करें।

सदस्यता कूपन (नई सदस्यता/नवीकरण/पते में परिवर्तन)

कृपया मुझे 1/2/3 वर्ष के प्लान के तहत .... पत्रिका .... भाषा में भेजें।

नाम (साफ व बड़े अक्षरों में) ....

पता : ....

.... जिला .... पिन ....

ईमेल .... मोबाइल नं. ....

डीडी/पीओ/एमओ सं. .... दिनांक .... सदस्यता सं. ....

आर. एन. आई./708/57
डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी.एल. (एस)-05/3164/2018-20
आई.एस.एस.एन. 0971-8451, पूर्व भुगतान के बिना आर.एम.एस.
दिल्ली में डाक में डालने के लिए लाइसेंस : यू (डी.एन.)-54/2018-20
01 नवंबर, 2020 को प्रकाशित एवं 5-6 नवंबर, 2020 को डाक द्वारा जारी

R.N.I/708/57
P&T Regd. No. DL (S)-05/3164/2018-20
ISSN 0971-8451, Licenced under U (DN)-54/2018-20
to Post without pre-payment at R.M.S. Delhi.

हमारे नए प्रकाशन

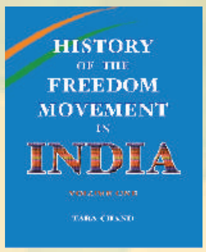

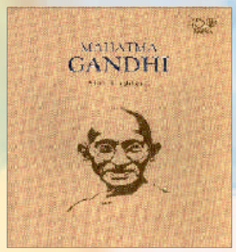

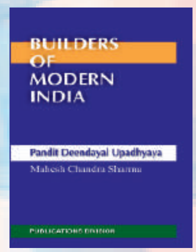

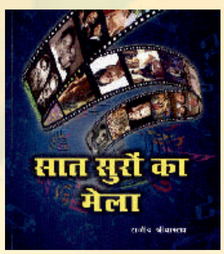

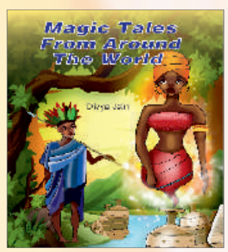

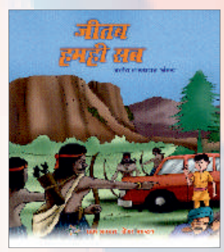

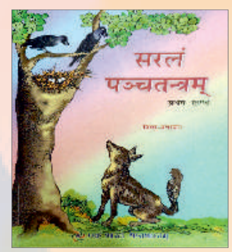

चुनिंदा ई-बुक
एमेज़ॉन और गूगल प्ले
पर उपलब्ध

गांधी साहित्य, भारतीय इतिहास, जाने-माने व्यक्तियों की जीवनियां, उनके भाषण और लेखन, आधुनिक भारत के निर्माता श्रृंखला की पुस्तकें, कला एवं संस्कृति, बाल साहित्य

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार

हमारी पुस्तकें ऑनलाइन खरीदने के लिए कृपया www.bharatkosh.gov.in पर जाएं।
ऑर्डर के लिए कृपया संपर्क करें : फोन : 011-24365609, ई-मेल : businesswng@gmail.com
वेबसाइट : www.publicationsdivision.nic.in

@ DPD_India

प्रकाशक और मुद्रक: मोनीदीपा एम. मुखर्जी, महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.
मुद्रक : जे.के. ऑफसेट, बी-278, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली-110020, वरिष्ठ संपादक: ललिता खुराना